छत्तीसगढ़ शासन

आर्थिक सर्वेक्षण

वर्ष–2007–2008

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,

छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़
का
आर्थिक सर्वेक्षण

2007–2008

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्राक्कथन

''छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2007–08'' नामक प्रस्तुत प्रकाशन में राज्य की आर्थिक प्रगति के विभिन्न पहलुओं, सामाजार्थिक स्थिति, उसे प्रभावित करने वाले आधारभूत घटकों एवं राज्य शासन की वर्तमान नीतियों के संदर्भ में प्रगति का विवेचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है । आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रकाशन का यह आठवॉ अंक है ।

इस प्रकाशन के दो भाग है । प्रथम भाग में शासन की नीतियों के संदर्भ में प्रदेश की सामाजार्थिक एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास की गतिविधियों का विवेचनात्मक अध्ययन है । भाग–2 में संबधित सांख्यिकी तालिकाएँ प्रस्तुत की गई हैं । इस प्रकाशन हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों द्वारा समयावधि में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई है, इसके लिए हम उनके आभारी है । संचालनालय के वे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होने इस प्रकाशन को अंतिम रूप देने में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से अपना योगदान दिया है, प्रशंसा के पात्र हैं ।

आशा है, प्रस्तुत प्रकाशन राज्य की वर्तमान सामाजार्थिक स्थिति एवं विकास की गतिविधियों/उपलब्धियों का आंकलन करने के अपने उद्देश्य में सफल होगा । प्रकाशन को और अधिक उपयोगी एवं सार्थक बनाने हेतु सुझावों का सहर्ष स्वागत है ।

रायपुर,
दिनांक : फरवरी 2008

(के. श्रीनिवासुलु)
(आई.ए.एस.)
संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रकाशन तैयार करने में सहयोगी अधिकारी/कर्मचारी

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री किशोर परियार	अपर संचालक
2.	श्री यू. सी. ओगरे	संयुक्त संचालक
3.	श्री आर. जी. एस. चौहान	सहायक संचालक
4.	श्री एस. के. चंद्राकर	सहायक सांख्यिकी अधिकारी

कम्प्यूटीकरण में विशेष सहयोग

1.	श्री हर्षनारायण मिश्रा	डाटा एन्ट्री आपरेटर
2.	श्री सुनील कुमार भैना	सहायक ग्रेड–03

This page was intentionally left Blank

भाग–एक

आर्थिक विवेचना

–:: विषय सूची ::–

भाग–एक (आर्थिक विवेचना)

क्र.	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
1	आर्थिक स्थिति –एक समीक्षा	01–04
2	राज्यीय आय	05–08
3	पंचवर्षीय योजना	09–10
4	छत्तीसगढ़ में मानव विकास	11–13
5.	कृषि	14–26
6.	भाव स्थिति	27–31
7.	पशुपालन एवं डेयरी विकास	32–35
8.	मत्स्य विकास	36–38
9.	वानिकी	39–44
10.	जल संसाधन	44–49
11.	उर्जा	50–60
12	उद्योग	61–74
13.	खनिज	75–77
14	परिवहन सुविधाएँ	78–80
15.	श्रम एवं रोजगार	81–93
16.	सामाजिक सेवायें	94–127
17.	सहकारिता	128–129
18.	बचत एवं विनियोजन	130–133

अध्याय–1

आर्थिक स्थिति–एक समीक्षा

1. वर्ष 2005–2006 में सामान्य वर्षा होने के कारण प्राथमिक क्षेत्र की उत्पादक गतिविधियों में वृद्धि एवं वर्ष 2006–07 में अनुकूल वर्षा से कृषि क्षेत्र (पशुधन सहित) में स्थिर भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में 4.29 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई । वर्ष 2005–06 में सकल घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अनुमान, स्थिर भावों पर 4070712 लाख रूपये से बढ़ कर 2006–07 में 4442904 लाख रूपये अनुमानित है । इस प्रकार आलोच्य अवधि में उत्पाद गतिविधियों में 9.14 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई । प्रचलित भावों के आधार पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2005–06 के 3583059 लाख की तुलना में वर्ष 2006–07 में 3922398 लाख रूपये अनुमानित किया गया जो 9.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है ।

बाक्स नं–1.1

प्रगति की संभावनायें

- प्राथमिक क्षेत्र में प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की 1756055 लाख रूपये से वृद्धि होकर वर्ष 2007–08 में 1816581 लाख रूपये संभावित है ।
- यह अनुमान किया गया है कि उद्योग क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पादन पिछले वर्ष, 1549558 लाख रूपये से बढ़कर वर्ष 2007–08 में 1808456 लाख रूपये होने की संभावना है ।
- अनुमान किया गया है कि वर्ष 2007–08 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 13.71 प्रतिशत की वृद्धि होकर 6745463 लाख रूपये होने की संभावना है राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रति व्यक्ति आय रू. 25415 हो जाने की संभावना है ।

2. छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2007–2008 में माह नवंबर तक 1233.9 मि.मी. वर्षा हुई जो कि सामान्य वर्षा से 105.2 मि.मी. अधिक है । राज्य में मानसून की देरी से खरीफ बोनी पिछड़ने के कारण खरीफ फसल के उत्पादन में गत वर्ष से 5.92 प्रतिशत की कमी पायी गयी किन्तु रबी मौसम सामान्य होने के कारण उत्पादन में 2.77 की वृद्धि हुई है । वर्तमान में

कोरिया, सरगुजा, कोरबा, कबीरधाम एवं कॉकेर जिले में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण खरीफ फसल क्षति हुई है । वित्तीय वर्ष 2007–08 में भारत सरकार से आपदा राहत निधि (CRF) के अंतर्गत केन्द्रांश के रूप में प्रथम किस्त 2219.00 लाख रू. एवं राज्यांश 739.75 लाख रू. इस प्रकार कुल 2958.75 लाख प्राप्त हुए है । प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अनुदान सहायता अंतर्गत अग्नि दुर्घटना में 125.00 लाख, ओला वृष्टि हेतु 193.00 लाख तथा बाढ़ चक्रवात दैवीय विपत्तियों में नगद अनुदान मद में 1830.00 लाख जिलों को उपलब्ध कराया गया है । महानिदेशक नगरसेना एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय रायपुर को 62.05 लाख रूपये मोटर बोट क्रय करने हेतु तथा बस्तर क्षेत्र प्राधिकरण के निर्णय अनुसार 32.67 लाख प्राधिकरण क्षेत्र को प्रदाय किया गया है ।

अप्रैल, 2007 से 30 जून, 2007 तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 928.76 लाख रू. एवं वर्ष 2006 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त अधोसंरचना के मरम्मत हेतु 984.97 जिलों को उपलब्ध कराया गया ।

राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से तत्काल निपटने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम, 205 को लागू करने हेतु राज्य में 1 अगस्त, 2007 से छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है ।

राज्य शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक क्विंटल चावल निःशुल्क वितरण हेतु रखा गया है, जो जरूरतमंदो को यथासमय उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है । इसके अतिरिक्त आपदा की स्थिति में निःसहाय व्यक्तियों को रू. 20.00 तथा निराश्रित बच्चों को रू. 10.00 प्रतिदिन देने का भी प्रावधान किया गया है ।

3. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2001=100 पर आधारित (भिलाई केन्द्र) में खाद्य समूह सूचकॉक में 123 तथा सामान्य सूचकॉक में 121 की वृद्धि ऑकी गई है । वर्ष 2007–08 में 9 माह के औसत दर पर खाद्य 132 (7.59 वृद्धि) एवं सामान्य सूचकॉक 129 (4.65 प्रतिशत वृद्धि) दर्ज किया गया ।

इसी प्रकार अखिल भारत स्तर पर सूचकॉक 2001=100 पर आधारित वर्ष 2007 में सामान्य समूह सूचकांक 123 पाया गया वही खाद्य समूह में 122 रहा ।

4. राज्य गठन के पश्चात 106 बृहद्/मध्यम तथा 332 लघु/कुटीर उद्योगो की स्थापना हुई इसमें क्रमशः 5193.31 करोड़ एवं 8813.11 लाख रूपये का पूंजी निवेश हुआ एवं 18473 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ । दुर्ग जिले में स्थापित भिलाई इस्पात संयत्र द्वारा वर्ष 2006–2007 में 4.82 मिलियन टन हाट मेटल, 4.80 मिलियन टन क्रुड स्टील, 4.22 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन किया गया जो कि, पिछले वर्ष के

उत्पादन से क्रमशः 18, 22 एवं 34 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2006–2007 में भारत एल्युमीनियम कम्पनी, कोरबा द्वारा 226765 में. टन एल्युमिना हाईड्रेड एवं 222395 मे. टन केल्सिनेटेड एल्यूमीनिया का रिकार्ड उत्पादन किया गया ।

5. तेजी से औद्योगीकरण के कारण विद्युत की मांग बढ़कर 1686 मेगावाट से 2454 मेगावाट हो गई । सभी स्त्रोंतों से औसत विद्युत आपूर्ति 1622 मेगावाट की गई जबकि अबाधित विद्युत की औसत मांग 1686 मेगावाट रही । इस प्रकार वर्षा अवधि में मात्र 64 मेगावाट की औसत लोड शेडिंग की गई जो, कि मांग से मात्र 3.8 प्रतिशत की कमी रही यह राष्ट्रीय औसत विद्युत कमी 8.3 प्रतिशत से बेहतर रही । केप्टीव पावर संयत्रों से अधिक दर पर 40 से 80 मेगावाट, पॉवर ट्रेडिंग कार्पोरेशन से 150 मेगावाट से 250 मेगावाट एवं तारापुर एटामिक संयत्रों से लगभग 40 मेगावाट विद्युत क्रय कर विद्युत कटौती को कम करने का प्रयास किया गया है ।

सितम्बर 2007 तक 685 नग 33–11 के.व्ही. ट्रान्सफार्मरों की क्षमता में वृद्धि की गई वर्षान्त में 159662 सिंचाई पंपों का अभी तक उर्जीकरण किया गया ।

6. वर्ष 2006–07 में 22 ग्रामों का विद्युतीकरण परम्परागत तरीके से एवं 199 ग्रामों का विद्युतीकरण गैर परम्परागत तरीके से किया जा चुका है, इस तरह 18830 ग्राम विद्युतीकृत है जो कुल आबाद ग्रामों का 95. 37 प्रतिशत है ।

7. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में कुल उपलब्ध 84104.27 लाख़ रू. आवंटन में से 66882.15 लाख रू. व्यय किया जा कर 1256737 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया जिसमें कुल स्वीकृत 16111 कार्य पूर्ण किए गए तथा 19087 कार्य प्रगति पर रहे ।

8. वर्ष 2007–08 में 2884 शहरी युवा व्यवसाईयों को छोटे उद्यम हेतु ऋण एवं अनुदान के प्रकरण में से 1282 युवा उद्यमियों को लाभान्वित किया गया । रोजगार प्रशिक्षण योजनान्तर्गत 2329 व्यवसाईयों को रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 1265 महिलाएँ हैं । बाल्मिकी आवास योजना अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में क्रमशः 3000 एवं 4659 आवास गृह का निर्माण किया गया ।

9. प्रदेश में जन्म–मृत्यु पंजीयन के स्तर की आंकलन यदि न्यादर्श पंजीयन प्रणाली अनुसार वर्ष 2006 में जन्म दर 26.9 और मृत्यु दर 8.1 तथा शिशु मृत्यु दर 61 प्रति हजार आंकी गई है, न्यादर्श पंजीयन प्रणाली के वर्ष 2006 को आधार माने तो राज्य में जन्म पंजीयन का स्तर 73.72 प्रतिशत एवं मृत्यु पंजीयन का स्तर 76.17 तथा शिशु मृत्यु

15.9 प्रतिशत निर्धारित होता है । स्थानीय स्तर पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस थाना के स्थान पर पंचायत प्रणाली को 1 जनवरी, 2008 से सौपा गया है । नगरीय क्षेत्र में यह कार्य नगरीय निकायों में पूर्ववत जारी है ।

10. दिसम्बर 2007 की स्थिति में संपूर्ण राज्य में पूर्व/प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च/उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं की संख्या क्रमशः 35764, 14598 एवं 4055 है, तथा इन संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक 35.63 लाख माध्यमिक 12.74 लाख एवं उच्च/उच्चतर माध्यमिक 3.10 लाख है ।

उच्च शिक्षा के अन्तर्गत राज्य में 139 संचालित महाविद्यालय में 73364 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं । जिसमे 9803 अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एवं 14816 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र है ।

11. शासन के राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2006–07 में 84407 मोतियाबिंद आपरेशन तथा राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण योजना में 6896 नये रोगियों का पता लगाकर जांच एवं उपचार किया गया है । वर्ष 2006–2007 में राष्ट्रीय टीकाकरण के अन्तर्गत 6.67 लाख गर्भवती महिलाओं तथा 6.19 लाख बच्चों को डी.पी.टी. 6.07 लाख बच्चों को बी. सी. जी. एवं 6.19 लाख बच्चों को मीजल्स के टीके तथा 5 साल तक के 6.07 लाख से भी अधिक बच्चों को पोलियों की दवा पिलाई गई ।

12. राज्य की स्त्रोत विहीन बसाहटों एवं आंशिक पूर्ण बसाहटों में वर्ष 2007–08 के अन्तर्गत 4913 बसाहटों में पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरूद्ध माह नवम्बर 2007 तक 2396 बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया । संपूर्ण स्वछता कार्यक्रम अंतर्गत निर्मित शौचालय, बी.पी.एल. 400814, ए.पी.एल. 298606 तथा स्कूल सेनेटरी काम्पलेक्स संख्या 4589 है साथ ही 4151 आंगनबाड़ी केन्द्रो में भी स्वच्छता परिसर का निर्माण किया गया ।

अध्याय– 2

राज्यीय आय

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

प्रचलित भावों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2005–06 में 5074126 लाख़ रू. अनुमानित है, जिसमें 16.90% की वृद्धि होकर वर्ष 2006–07 के त्वरित अनुमान 5932128 लाख रू. आकलित किये गये । क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार हैः–

प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2004–05	2005–06 (प्रा.)	2006–07(त्व.)	2006–07 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	1393320	1488673	1756055	17.96
2	द्वितीयक क्षेत्र	1467275	1729768	1997970	15.50
3	तृतीयक क्षेत्र	1689138	1855686	2178103	17.37
	सकल रा.घ.उ.	**4549733**	**5074126**	**5932128**	**16.90**
	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रू)	20402	22353	25680	14.88

स्थिर (1999–2000) भावों के आधार पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2005–06 में 4070712 लाख रू. अनुमानित किया गया । जिसमें 9.14% की वृद्धि होकर वर्ष 2006–07 में यह 4442904 लाख रू. आकलित किया गया ।

स्थिर (1999–2000) भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2004–05	2005–06(प्रा.)	2006–07(त्व.)	2006–07 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	1250751	1389799	1477695	6.32
2	द्वितीयक क्षेत्र	1001992	1127084	1241556	10.15
3	तृतीयक क्षेत्र	1442392	1553830	1723652	10.92
	सकल रा.घ.उ.	**3695135**	**4070712**	**4442904**	**9.14**
	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रू)	16570	17933	19233	7.25

छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 2006–07 में प्राथमिक, द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र में **प्रतिशत वितरण** क्रमशः 29.60, 33.68 एवं 36.72 रहा जबकि इसी अवधि में स्थिर (1999–2000) भावों के आधार पर उपरोक्त क्षेत्रों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत क्रमशः 33.25, 27.94 तथा 38.81 अनुमानित प्रतिवेदित हुआ ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	2005–06 (प्रा.)		2006–07(त्व.)	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (1999–2000) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (1999–2000) भावों पर
प्राथमिक क्षेत्र	29.33	34.14	29.60	33.25
द्वितीयक क्षेत्र	34.08	27.68	33.68	27.94
तृतीयक क्षेत्र	36.59	38.18	36.72	38.81
सकल रा.घ.उ.	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान.

प्रचलित भावों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2005–06 में 4439384 लाख रू. अनुमानित है, जिसमें 17.62% की वृद्धि होकर वर्ष 2006–07 के त्वरित अनुमान 5221770 लाख रू. आंकलित किये गये । प्रचलित भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद) वर्ष 2005–06 में 19557 रू. अनुमानित है, जो वर्ष 2006–07 में 22605 रू. प्रतिवेदित किया गया । क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है :–

प्रचलित भावों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2004–05	2005–06(प्रा.)	2006–07 (त्व.)	2006–07 में% वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	1255753	1355848	1596219	17.72
2	द्वितीयक क्षेत्र	1156353	1374143	1610152	17.17
3	तृतीयक क्षेत्र	1559977	1709393	2015399	17.90
	शुद्ध रा.घ.उ.	**3972083**	**4439384**	**5221770**	**17.62**
	प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद) (रू. में)	17812	19557	22605	15.58

स्थिर (1999–2000) भावों के आधार पर राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद वर्ष 2005–06 में 3583059 लाख रू. अनुमानित किया गया जिसमें 9.47% की वृद्धि होकर वर्ष 2006–07 में यह 3922398 लाख रू. अनुमानित किया गया है । क्षेत्रकवार स्थिति निम्नानुसार है :–

स्थिर (1999–2000) भावों के आधार पर राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद के अनुमान

(लाख़ रू. में)

क्र	क्षेत्र	2004–05	2005–06(प्रा.)	2006–07(त्व.)	2006–07 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	1127220	1278238	1358482	6.27
2	द्वितीयक क्षेत्र	748746	856658	954425	11.41
3	तृतीयक क्षेत्र	1345333	1448164	1609491	11.14
	शुद्ध रा.घ.उ.	**3221299**	**3583059**	**3922398**	**9.47**
	प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (रू.)	14445	15784	16980	7.57

वर्ष 2006–07 में स्थिर भावों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद 16980 रू. रहा ।

छत्तीसगढ़ राज्य के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 2006–07 में प्राथमिक, द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र में क्रमशः 30.56, 30.85 एवं 30.59 प्रतिशत रहा जबकि स्थिर (1999–2000) भावों के आधार पर प्रतिशत क्रमशः 34.63, 24.33 तथा 41.03 अनुमानित है ।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	2005–06 (प्रा.)		2006–07 (त्व.)	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (1999–2000) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (1999–2000) भावों पर
प्राथमिक क्षेत्र	30.54	35.67	30.56	34.63
द्वितीयक क्षेत्र	30.95	23.91	30.85	24.33
तृतीयक क्षेत्र	38.51	40.42	30.59	41.03
शुद्ध रा.घ.उ.	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय
(संदर्भ तालिका क्र. 2.1 एवं 2.2)

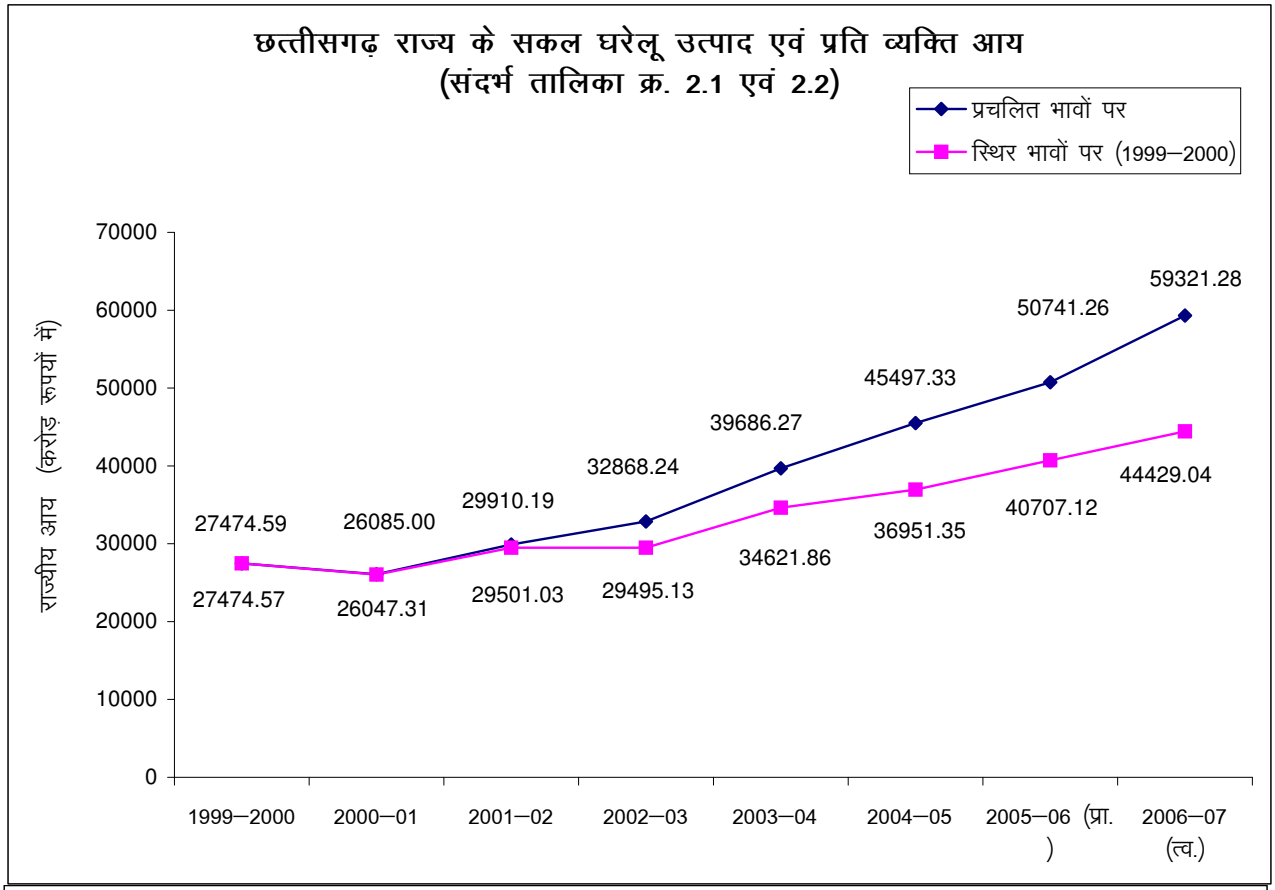

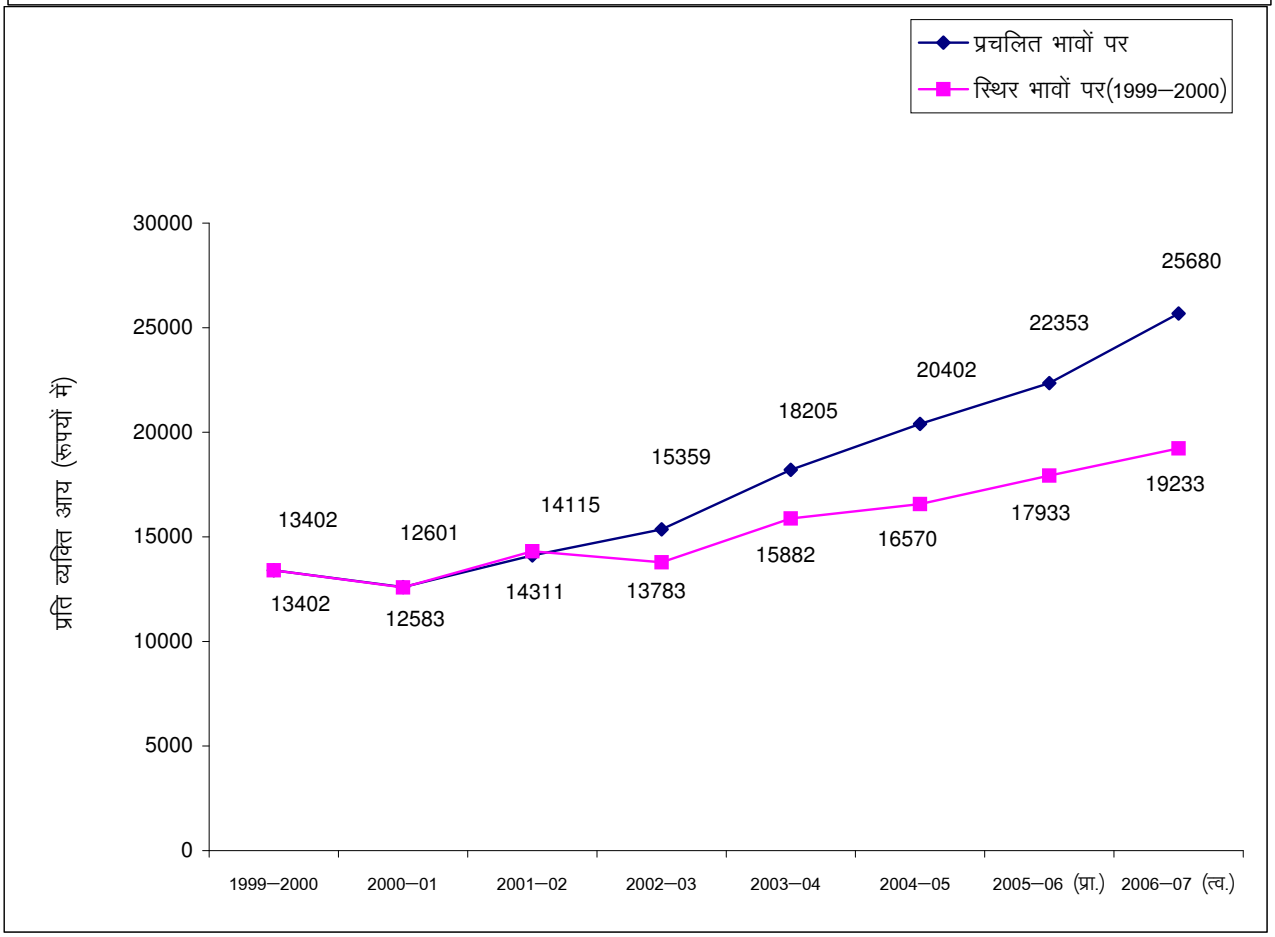

अध्याय–3

पंचवर्षीय योजना

1. दसवीं पंचवर्षीय येाजना (2002–07) :–राज्य योजना मण्डल द्वारा राज्य की पंचवर्षीय योजना (2002–07) का दृष्टिकोण पत्र एवं रूपये 15,000 करोड़ परिव्यय का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया । परन्तु राज्य की येाजना हेतु संसाधनों के जुटाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का कुल परिव्यय रूपये 11,000 करोड़ निर्धारित किया गया है ।

2. वार्षिक योजना 2006–07 :– योजना आयोग भारत सरकार द्वारा राज्य येाजना मण्डल ने 5996.11 करोड़ रूपये परिव्यय का वार्षिक योजना 2006–07 का प्रस्ताव तैयार किया । वार्षिक योजना 2007–08 का अनुमोदित परिब्यय 7413.72 प्रस्ताव तैयार किया गया है ।

दसवीं पंचवर्षीय येाजना के अंग के रूप में वार्षिक योजना 2007–08 में भी सर्वाधिक राशि का प्रावधान सामाजिक सेवा क्षेत्रक विकास हेतु रूपये 3261.32 करोड़ का किया गया है । जो कुल परिव्यय का 43.99 प्रतिशत है । समाजिक सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल एवं कमजोर वर्गो जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं एवं शिशु कल्याण शामिल है ।

योजना आयोग के द्वारा राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना निम्नानुसार अनुमोदित की गई है ।

क्र.	प्रमुख क्षेत्रक	कुल परिव्यय (करोड़ रूपये में)	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	860.97	7.83
2	ग्रामीण विकास	1158.91	10.54
3	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2506.65	22.79
4	उर्जा	133.25	1.21
5	उद्योग तथा खनिकर्म	214.12	1.95
6	यातायात	451.64	4.11
7	विज्ञान प्रौद्योगिक एवं पर्यावरण	10.83	0.10
8	सामान्य आर्थिक सेवायें	169.19	1.54
9	सामाजिक सेवायें	5256.15	47.78
10	सामान्य सेवायें	238.29	2.17
	कुल योग	**11000.00**	**100.00**

3. छत्तीसगढ़ राज्य की वार्षिक योजना के वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ

छत्तीसगढ़ राज्य की वार्षिक योजना वर्ष 2002–03, 2003–04, 2004–05 एवं 2005–06 2006..07की वित्तीय उपलब्धियॉ तथा 2007–08 के प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य की जानकारी निम्नानुसार है :–

(लाख रूपये में)

क्र	प्रमुख क्षेत्रक	वर्ष 2002–03 व्यय	वर्ष 2003–04 व्यय	वर्ष 2004–05 व्यय	वर्ष 2005–06 व्यय	2006–07 व्यय	2007–08 अनुमोदित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	6915.00	18890.00	11388.02	15220.39	17713.83	33525.60
2	ग्रामीण विकास	11801.92	18289.61	21727.88	44252.47	29119.42	45313.72
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	1224.00	2023.97	4088.78	18182.02	29155.51
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	39695.00	43562.00	67723.55	59408.78	71704.58	97813.67
5	उर्जा	1807.00	4743.00	10976.23	25692.21	4157.30	11132.83
6	उद्योग तथा खनिकर्म	2339.00	3426.00	6482.05	8019.72	12158.44	18318.34
7	यातायात	23562.00	32080.00	26621.56	39583.58	60799.37	134366.96
8	विज्ञान प्रौद्योगिक एवं पर्यावरण	4917.00	6959.00	6363.38	7161.78	14898.58	9320.83
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	2955.00	5621.00	5047.60	7278.77	28943.55	25263.22
10	सामाजिक सेवायें	72112.00	103202.00	111763.47	132292.37	249748.10	326132.29
11	सामान्य सेवायें	4642.00	2402.00	13157.33	3012.62	3269.78	11029.03
	कुल योग	**176745.92**	**240398.61**	**283275.04**	**346511.47**	**510694.97**	**741372.00**

अध्याय–4

छत्तीसगढ़ में मानव विकास

छत्तीसगढ़ भारतीय गणतंत्र का सबसे युवा सदस्य है जिसका गठन नवंबर 2000 में हुआ है । छत्तीसढ़ राज्य अविभाजित मध्यप्रदेश का एक आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र था । एक नवगठित राज्य होने के कारण, इस राज्य के विकास के समक्ष अनेक बाधाएँ एवं चुनौतियॉ है । परंपरागत ज्ञान में विकास की परिभाषा को केवल आर्थिक विकास के परिपेक्ष्य में ही माना जाता है । मानव विकास की अवधारणा के प्रार्दुभाव के साथ ही विकास की अवधारणा को सामाजिक एवं आर्थिक संकेताकों के साथ संबद्ध किया गया ।

मानव विकास के अनुसार विकास का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है, जिसमें लोगों के विकल्पों को बढ़ाया जाये, जिससे वे खुशहाल, स्वस्थ्य, एवं भरपूर जीवन जी सकें । आर्थिक विकास विषय में मानव विकास की अवधारणा को – लोगों की योग्यताओं के विस्तार, विकल्पों में बढ़ोत्तरी, स्वतंत्रता के प्रचार तथा एक स्वस्थ्य मानव अधिकारों के रूप में किया गया है । **मानव विकास से अभिप्राय एक ऐसी प्रकिया से है जिसमें लोगों के विकल्पों को बढ़ाया जा सके ।** ये विकल्प अनंत भी हो सकते है, एवं इनमें समय के साथ परिवर्तन भी हो सकता है । परंतु तीन आवश्यक विकल्प ऐसे है जो विकास के सभी स्तरों पर लागू होते है – स्वस्थ्य एवं खुशहाल जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करना एवं जीवनयापन की न्यूनतम आवश्यक जरूरतों तक पहुॅच होना । यदि ये आवश्यक विकल्प लोंगों को उपलब्ध नहीं है, तो अन्य दूसरे विकल्प भी लोंगों के लिये अनुपलब्ध होगें ।

छत्तीसगढ़ राज्य में अनेक चुनौतियों के साथ एक मुश्किल आयाम यह भी जुड़ा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या की 32 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति एवं 12 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति है । अतः राज्य में क्षेत्रीय, प्रान्तीय एवं साम्प्रदायिक समानता बनाये रखने हेतु, आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक विकास को भी महत्ता देनी चाहिये ।

राज्य मानव विकास प्रतिवेदन (State Human Development Report) में गरीबी, आजीविका, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर विश्लेषण किया जाता है । राज्य मानव विकास प्रतिवेदन निम्न कार्यों में सहायक होती है –

- मानव विकास प्रतिवेदन के परिणामों को राज्य योजना में सम्मिलित कर उसे कियान्वित करना ।

- मानव विकास प्रतिवेदन के विश्लेषण को राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों में सम्मिलित करने के प्रति राष्ट्रीय एवं स्थानीय योजनाविदों में जागरूकता लाना ।
- क्षेत्रीय एवं स्थानीय तंत्र को सूचनाओं एवं विचारों के आदान–प्रदान की सुविधायें के द्वारा सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता निमार्ण करना ।

मानव विकास सूचकांक का न्यूनतम मान 0 एवं अधिकतम मान 1 होता है । राज्य मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 2005 में मानव विकास सूचकांक की गणना सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) योजना आयोग एवं भारत सरकार द्वारा अपनाये जाने वाले पारंपरिक सूत्रों से की गई थी । यह गणना निम्न संकेताकों पर की गई थी –

- शिशु मृत्यु दर
- साक्षरता की दर (दो–तिहाई वजन के साथ) और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कक्षाओं के संयुक्त नामांकन दर (एक–तिहाई वजन के साथ)
- प्रति व्यक्ति आय

मानव विकास सूचकांक, संयुक्त रूप से लोगों के विचारों एवं मानव विकास को जिला स्तरीय विविधता के संदर्भ में व्यापक रूप में समझने में सहायता करता है । भारत में राज्य मानव विकास प्रतिवेदन बनाने की प्रक्रिया–योजना आयोग, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme-UNDP) राज्य योजना विभाग एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से संचालित होती है। परियोजना "Strengthening State Plans for Human Development" (SSPHD) का मुख्य उद्देश्य **राज्य मानव विकास प्रतिवेदन** के प्रमुख निष्कर्षों को कार्यरूप में परिणित करना है । छत्तीसगढ़ में वर्ष 2006 में इस परियोजना को प्रारंभ किया गया । इस परियोजना के प्रारंभिक चरण में राज्य सरकार के वित्त एवं योजना विभाग के अंतर्गत एक मानव विकास एवं अनुसंधान ईकाई का गठन किया गया । इस परियोजना के अंतर्गत आठ जिलों की **जिला मानव विकास प्रतिवेदनों** का प्रकाशन किया जायेगा । इस कार्य के लिये राजनांदगॉव, महासमुंद, कोरबा, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, जांजगीर–चांपा एवं कांकेर जिलों का चयन किया गया है । इसके अतिरिक्त, राज्य के सांख्यिकीय तंत्र को उपकरणों एवं प्रशिक्षण के द्वारा सुदृढ़ करने का कार्य किया जायेगा ।

मानव विकास के परिपेक्ष्य में हम कहॉ है ?

मानव विकास सूचकांक का मान 0 से 1 के मध्य होता है । इसका मान 1 के जितने नजदीक होगा, उस जिले/राज्य का मानव विकास उतना ही अच्छा माना जाता है । इस सारणी में भारत के विभिन्न राज्यों के मध्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय एवं मानव विकास सूचकांको के मानों से तुलना की गई है ।

सूचकांक	**छत्तीसगढ़ 1**	**अरूणाचल प्रदे 2**	**केरल 3**	**उड़ीसा 4**	**तमिलनाडू 5**	**पंजाब 6**	**नागालैंड 7**
स्वास्थ्य सूचकांक	0.392	0.484	0.827	0.468	0.696	0.746	0.769
शिक्षा सूचकांक	0.711	0.566	0.930	0.723	0.767	0.688	0.661
आय सूचकांक	0.310	0.495	0.562	0.545	0.508	0.664	0.438
मानव विकास सूचकांक	**0.471**	**0.515**	**0.773**	**0.579**	**0.657**	**0.700**	**0.623**

स्त्रोतः

1 छत्तीसगढ़ मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 2005, पेज 194

2 अरूणाचल प्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 2005, पेज 85

3 केरल मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 2005, पेज 60

4 उड़ीसा मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 2004, पेज 194, 195

5 तमिलनाडू मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 2003, पेज 142

6 पंजाब मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 2004, पेज 193

7 नागालैंड मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 2004, पेज 231

अध्याय–5

कृषि

राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनता कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर आश्रित है । यहां कृषि योग्य सकल कृषि क्षेत्र 58.88 लाख हेक्टर है जिसमें 17.46 लाख सीमांत 7.16 लाख लघु एवं 7.93 लाख मध्यम एवं दीर्घ इस प्रकार कुल 32.55 लाख कृषक परिवार कृषि कार्य में संलग्न है ।

कृषि उत्पादन :– वर्ष 2006–07 में खरीफ फसलों की 4744.32 हजार हेक्टर में एवं रबी 1647.70 हजार हेक्टर में बोनी हुई है । खरीफ एवं रबी मौसम में उत्पादन क्रमशः धान 5091.75, ज्वार 6.99, मक्का 205.86, कोदो–कुटकी 21.09 अरहर 68.23 मूंग 8.80 उड़द 54.85 कुल्थी 22.90 मूंगफली 64.01, तिल 14.73 सोयाबीन 103.93 रामतिल 18.65 सूर्यमुखी 0.48, एवं ग्रीष्म धान 420.70, चना 228.95, मटर 16.40 मसूर 7.89 मूंग 3.98 उड़द 3.77 कुल्थी 9.64, तिवड़ा 235.90, राई–सरसों 57.18 अलसी 26.89, कुसुम 1.74, सूर्यमुखी 6.37, तिल 0.86 मूंगफली 7.59, गन्ना 56.04 इस प्रकार कुल खरीफ में 5682.29 हजार मे. टन तथा रबी में 1263.55 हजार मे. टन उत्पादन हुआ ।

प्रमुख फसलों का उत्पादकता का लक्ष्य (कि.ग्रा.प्रति हेक्टर) :– वर्ष 2007–08 में अच्छी वर्षा होने के कारण प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन धान–1900, ज्वार–1032, मक्का–1555, गेहूँ–1250, चना–843, सोयाबीन–1258, अरहर–1349, मूंग–उड़द–510 एवं उड़द 522 किलोग्राम प्रति हेक्टर लक्ष्य रखा गया है ।

बीज वितरण :– खरीफ वर्ष 2006–07 में प्रमाणित बीजों का वितरण 109.90 हजार क्विंटल तथा रबी फसलों में 18.15 हजार क्विंटल बीज वितरण किया गया । खरीफ 2007–08 में 146.52 हजार क्विंटल का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध 148.61 हजार क्विंटल बीज का वितरण किया गया है । रबी 2007–08 में 21.87 हजार क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है ।

प्रमुख फसलों का उत्पादन

(संदर्भ तालिका 3.2)

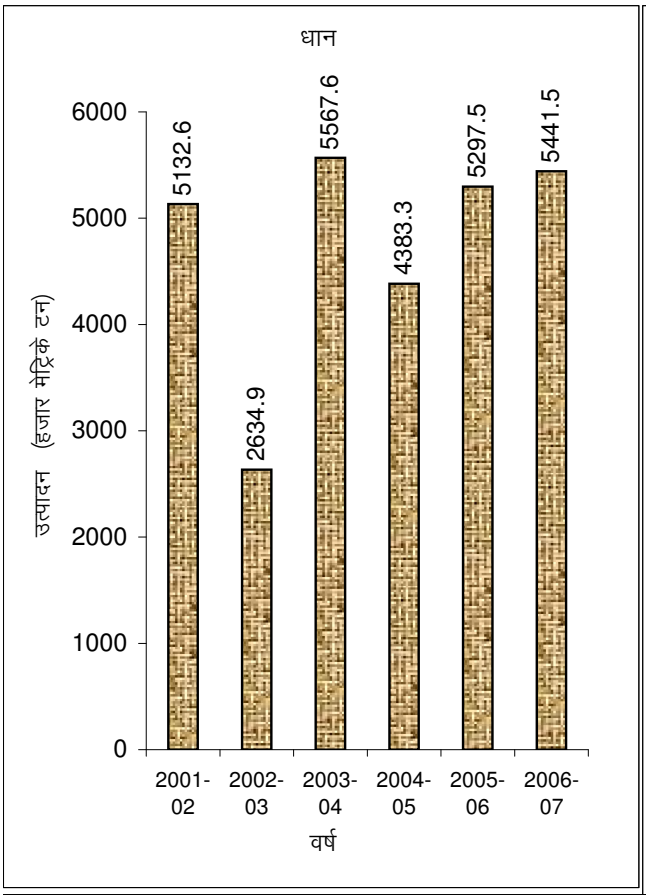

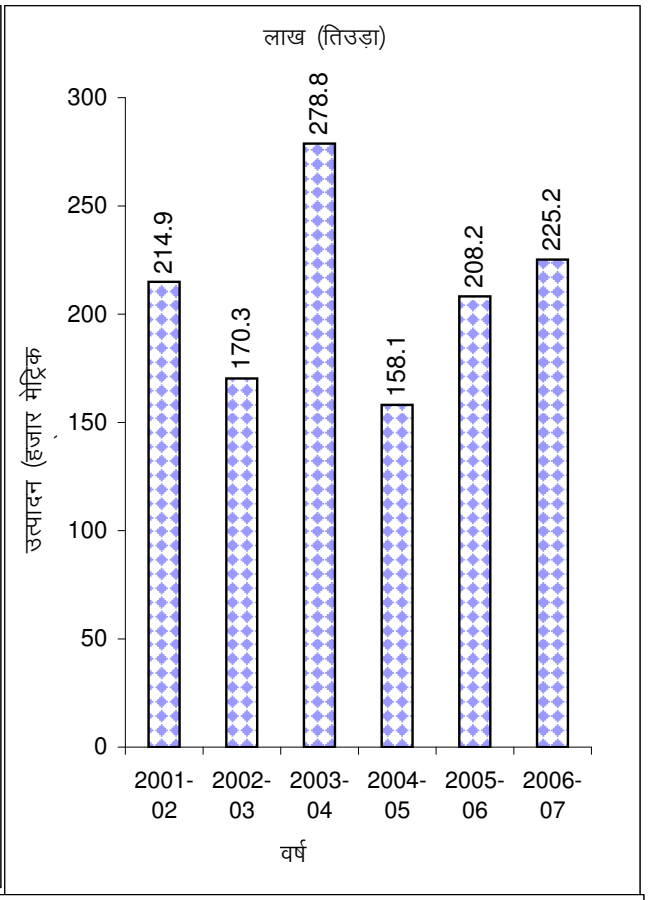

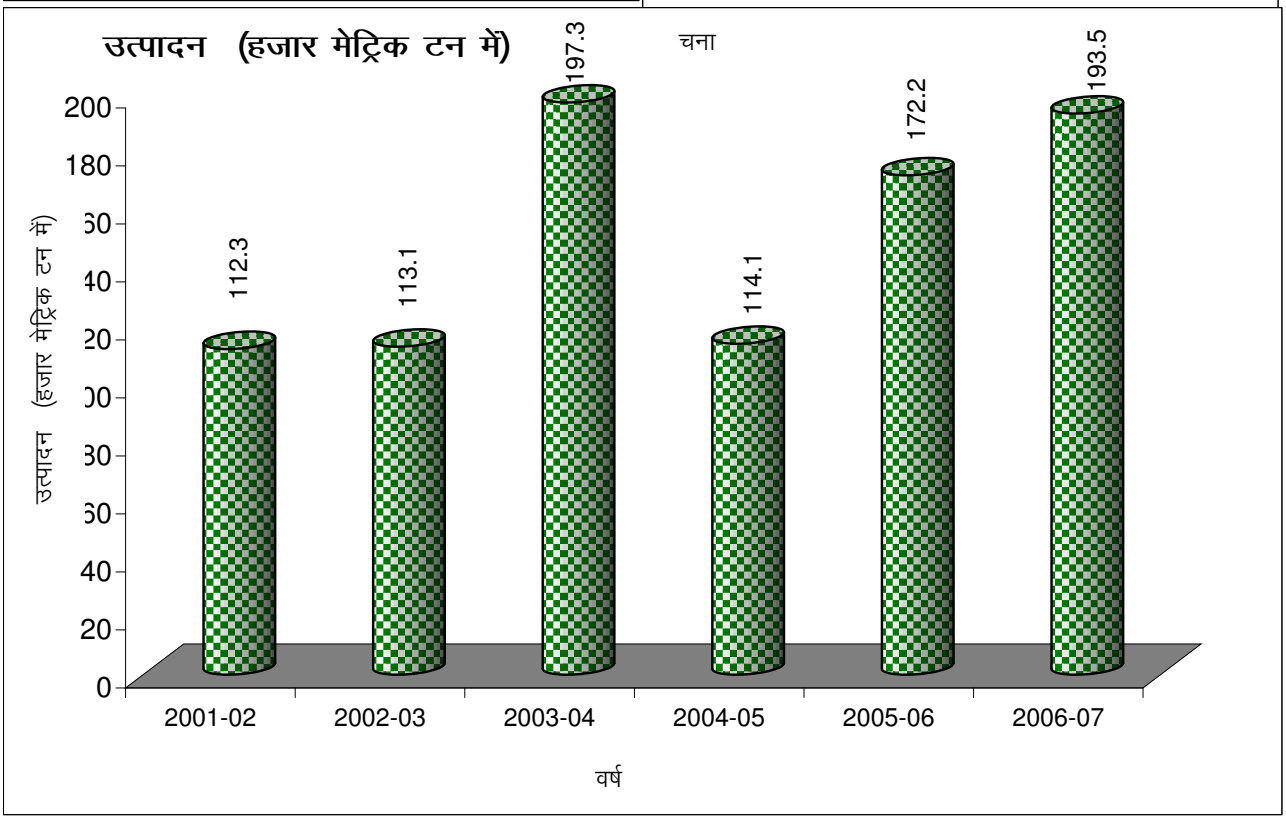

उर्वरक खपत : वर्ष 2006–07 में 970.91 हजार मेट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्ध 930.02 हजार मेट्रिक टन का वितरण हुआ । वर्ष 2007–08 में 1143.20 हजार टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध खरीफ में माह अक्टूबर 2007 तक 757.02 हजार मेट्रिक टन उर्वरक का वितरण हुआ । वर्ष 2006–07 का खपत विवरण निम्नानुसार है :–

मौसम	कुल उर्वरक खपत टनो में वर्ष 2006–07				उर्वरक खपत किलोग्राम/हेक्टर			
	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग
खरीफ	218028	86664	35839	340551	46	18	7	71
रबी	47767	25400	10133	81300	28	15	6	49

कल्चर वितरण : भूमि की उत्पादन क्षमता एवं फसल उत्पादकता वृद्धि के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु खरीफ 2006 में 495.00 हजार पैकेट की तुलना में खरीफ 2007 में 575 हजार पैकेट का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध सितंबर 07 तक 523.60 हजार पैकेट का वितरण हो चुका है । रबी वर्ष 2006–07 में 282.48 हजार पैकेट की तुलना में इस वर्ष 2007–08 में 457.00 हजार पैकेट का लक्ष्य प्रस्तावित है ।

राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम :– दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 16 जिलों में 337 जल ग्रहण क्षेत्रों का चयन कर विकास हेतु समितियां पंजीकृत कराई गई है जिसमें प्राथमिकता के आधार पर 185 जलग्रहण क्षेत्रों में कार्य कराया जा रहा है । कार्यक्रम के अनुसार योजनाकाल में 5797.00 लाख रूपये में 130697 हेक्टर क्षेत्र उपचारित किया जाना है । वर्ष 2006–07 में 1596.77 लाख रू. व्यय कर 35014 हेक्टयर क्षेत्र उपचारित किया गया है । कार्यक्रम के अन्तर्गत उपचार योग्य कृषि एवं अकृषि भूमि तथा जलनिकासी प्रणाली का उपचार वानस्पतिक एवं जलसंग्रहण संरचनाएँ तैयार कर कराया जाता है । वर्ष 2007–2008 के लिए 1500.00 लाख रू. व्यय कर 20.00 हजार हेक्टर क्षेत्र उपचारित करने हेतु 3600 स्ट्रक्चर तैयार करने की योजना है ।

नदी घाटी/बाढ़ उन्मुख योजना :– इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न नदियों पर बनाये गये जलाशयों में साद के जमाव को कम करना है, ताकि उनकी जीवन अवधि को अधिक समय तक बनाया रखा जा सके, साथ ही होने वाले भूमि क्षरण को रोका जा सके । प्रदेश के तीन जिले राजनांदगांव, दुर्ग एवं बिलासपुर में महानदी एवं सोनकछार में अति उच्च

प्राथमिकता वाले 13 जलग्रहण क्षेत्र में काम कराया जा रहा है । वर्ष 2006–07 में 632.20 लाख रू. व्यय कर 9739.48 हेक्टर क्षेत्र उपचारित किया गया एवं 1732 स्ट्रक्चर बनाये गये है । वर्ष 2007–08 के लिए 850.00 लाख रू. का प्रावधान कर 12550 हेक्टयर क्षेत्र के लिए 5000 स्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य रखा गया है ।

लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना :– योजनान्तर्गत 40 हेक्टर तक सिंचाई क्षमता वाले सिंचाई तालाब बनाये जाते हैं । वर्ष 2005–06 में 1432.84 लाख रू. व्यय कर 226 तालाब बनाये गये हैं एवं 2006–07 में 2088.85 लाख रू. व्यय कर 179 तालाब बनाये गये है ।बर्ष 2007–08 में 2795.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध अब तक रू. 1134.14 लाख व्यय कर अभी तक 73 तालाब बनाये गये हैं ।

लघु सिंचाई योजना :– यह योजना 16 जिलों में लागू है । योजनान्तर्गत हितग्राहियों को नलकूप खनन पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 1000.00 एवं पंप प्रतिस्थापन हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 15000.00 अनुदान देय है । योजनान्तर्गत वर्ष 2006–2007 में 3783 नलकूप खनित हुए जिस पर 753.8 लाख रू. अनुदान दिया गया है । वर्ष 2007–2008 में 6000 नलकूप हेतु 1117.00 लाख रू. का प्रावधान है जिसके विरूद्ध अक्टूबर 2007 तक 2398 नलकूप खनित हुए तथा 501.02 लाख रू. अनुदान दिया गया है ।

किसान समृद्धि योजना :– अकाल की स्थिति के निवारण हेतु वृष्टिछाया के अन्तर्गत आने वाले 5 जिलों के 25 विकास खण्डों में यह योजना लागू की गई है । योजनान्तर्गत नलकूप हेतु सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को अधिकतम 25000.00 रू. तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को अधिकतम 43000.00 रू. अनुदान देय है । इस योजनान्तर्गत 5 जिलों में योजना प्रारंभ से 2006–07 तक 3136.48 लाख रू. व्यय कर 13824 नलकूपों का उर्जीकरण कर लगभग 55296 हेक्टर क्षेत्र में सुनिश्चित सिंचाई में वृद्धि हुईं । वर्ष 2007–2008 में 846.00 लाख के विरूद्ध रू. 443.06 लाख व्यय हुआ है एवं नलकूपों का भौतिक लक्ष्य 4075 है ।

आई.सी.डी.पी. चॉवल योजना विकास :– सभी 16 जिलों में यह योजना संचालित है इसे भारत सरकार की सहायता से धान के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विशेष खाद्यान्न उत्पादन के तहत चलाया जा रहा है । वर्ष 2006–07 में रू. 420.20 लाख व्यय हुआ ।

वर्ष 2007–08 के लिए 230.00 लाख रू का प्रावधान है जिसके विरूद्ध अक्टूबर 2007 तक 174.87 लाख व्यय हुआ है ।

शुद्ध सिंचित क्षेत्र का स्त्रोत अनुसार वर्गीकरण
(संदर्भ तालिका क्रमांक–3.4)

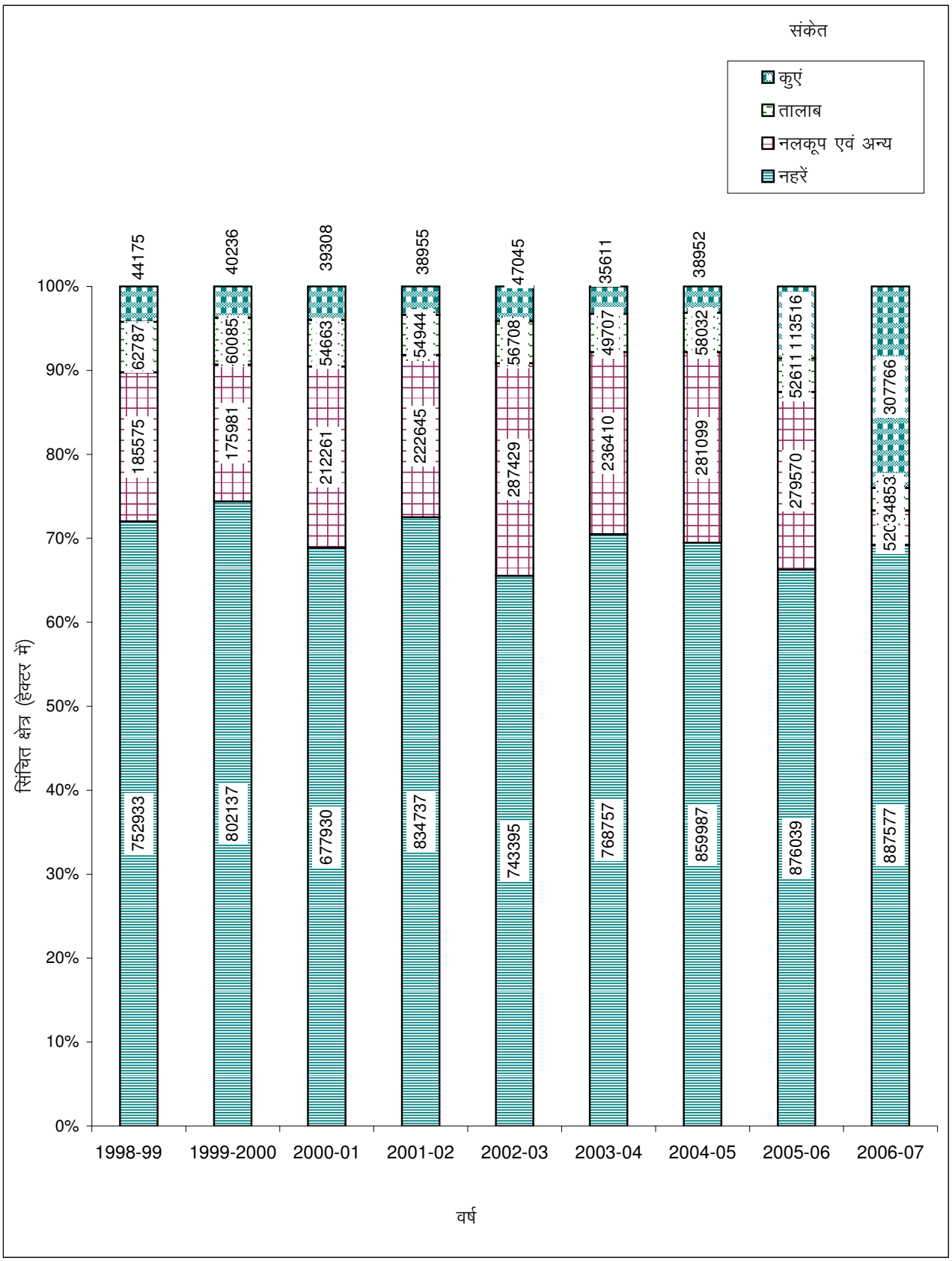

केन्द्र पोषित आई सोपाम योजना

1. राष्ट्रीय दलहन एवं तिलहन विकास योजना :– दलहनी एवं तिलहनी फसलों की वृद्धि हेतु शासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे है । दलहनी फसलों के विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2006–07 में रू. 469.70 लाख के विरूद्ध रू. 286.38 लाख व्यय हुआ है तथा तिलहन विकास हेतु वर्ष 2006–07 में रू. 534.38 लाख के विरूद्ध 239.84 लाख व्यय हुआ । दलहन में वर्ष 2007–08 में 666.04 लाख तथा तिलहन में 744.84 लाख रू. का प्रावधान है । अक्टूबर 2007 तक दलहन में 134.00 लाख एवं तिलहन में 279.65 लाख रू. व्यय हो चुका है ।

त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (टेक्नालॉजी मिशन आफ मेज) (केन्द्र प्रवर्तित) :– यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित हो रही है । इस योजना के अंतर्गत प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन तथा उन्नत बीज व उन्नत कृषि यंत्रों को अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है । वर्ष 2006–07 में रू. 61.83 लाख, प्रावधान के विरूद्ध रू. 41.70 लाख व्यय हुआ । वर्ष 2007–08 में रू. 107.08 लाख के आवंटित राशि के विरूद्ध अक्टूबर 2007 रू. 40.56 लाख व्यय हुआ है ।

गन्ना विकास योजना :– राज्य के 10 जिलों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत बीज प्रगुणन फील्ड प्रदर्शन आई.पी.एम. वृत्ताकार प्रदर्शन कृषक प्रशिक्षण आदि सम्मिलित है । शासन के सहयोग से सहकारिता क्षेत्र में भौरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कबीरधाम जिले में स्थापित किया गया है । वर्ष 2006–07 में रू. 80.00 लाख का प्रावधान कर रू. 64.70 लाख रू. व्यय हुआ है तथा वर्ष 2007–08 के लिए रू 98.00 लाख रू. का प्रावधान है । माह अक्टूबर 2007 तक 7.40 लाख व्यय किया गया है । यह योजना इस वर्ष से सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है ।

सूरजधारा योजना :– यह बीज अदला–बदली की योजना है जिसके अंतर्गत कृषक को अलाभकारी फसलों के बीज के बदले लाभकारी फसलों के उन्नत बीज (एक हेक्टर सीमा तक) दिया जाता है । इसके अतिरिक्त कृषक को स्वयं धारित कृषि भूमि के 0.10 हेक्टर क्षेत्र में आधार/प्रमाणित बीज तैयार करने के लिये 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2006–07 में रू. 62.96 लाख व्यय किया गया । वर्ष 2007–08 में रू. 70.00 लाख का प्रावधान जिसके विरूद्ध अक्टूबर 2007 तक रू. 42.71 लाख रू. व्यय हुआ है ।

अन्नपूर्णा योजनाः– विशेष केन्द्रीय सहायता से राज्य के 13 जिलों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत धान की अदला–बदली व बीज स्वावलंबन के लिये

कृषकों को अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2006–2007 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 3630 कृषकों को 38.95 लाख रू. की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर लाभान्वित गया है । वर्ष 2007–2008 के लिए रू. 47.00 लाख का प्रावधान है, जिसके विरूद्ध अक्टूबर 2007 तक रू. 34.82 लाख रू. व्यय हुआ है ।

राष्ट्रीय जैविक खेती :– इस योजना के प्रथम चरण में राज्य के विभिन्न 10 प्रक्षेत्रों में जैविक खेती प्रशिक्षण एवं 07 आदर्श मॉडल जैविक खेती हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में 14. 32 लाख मांग के विरूद्ध 14.29 लाख रू. का व्यय हुआ है तथा 10 प्रक्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम तैयार किया गया है । राज्य के पांच जिले सरगुजा कोरिया, रायगढ़, जगदलपुर एवं कांकेर के 1500 लघु सीमांत कृषकों के समूह को जैविक खेती हेतु प्रोत्साहित कर उनके प्रक्षेत्र को शासकीय व्यय पर जैविक प्रमाणीकरण किया जावेगा । प्रत्येक समूह को 3.00 लाख के दर से 15.00 लाख का वित्तीय प्रावधान रखा गया है । साथ ही 17 शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों में कुल 23 वर्मी कम्पोष्ट हेचरी निर्माण कर 1.50 लाख प्रति हेचरी के दर से 34.50 लाख का वित्तीय प्रावधान रखा गया है । राज्य कृषि एवं बीज विकास निगम द्वारा जैव उर्वरक उत्पादन संयत्र को सशक्तीकरण बनाने हेतु 20.00 लाख का प्रावधान है । इस तरह राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में कुल 88.41 लाख रू. केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

जैव डीजल फसलों की खेती :– राज्य में 5 लाख हेक्टर से अधिक भूमि अनुपयोगी एवं मिश्र पड़त भूमि है । इस भूमि पर जैव डीजल पौध जैसे रतन ज्योत, करंज की खेती हेतु 17.84 करोड़ रू. की तीन वर्षीय योजना राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड भारत सरकार को प्रेषित की गई है । इस योजना हेतु वर्ष 2006–07 में 100.00 लाख में से 78.98 लाख रू. व्यय कर 8.36 लाख जेट्रोफा के पौधो का रोपण 330.46 हेक्टर क्षेत्र में किया जा चुका है । योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में स्वीकृत 110.00 लाख रू. में से 109.00 लाख रू. व्यय कर कुल 11.00 लाख जेट्रोफा पौधों का रोपण किया जा चुका है ।

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

(कि.ग्रा. प्रति हेक्टर)

संदर्भ तालिका 3.3

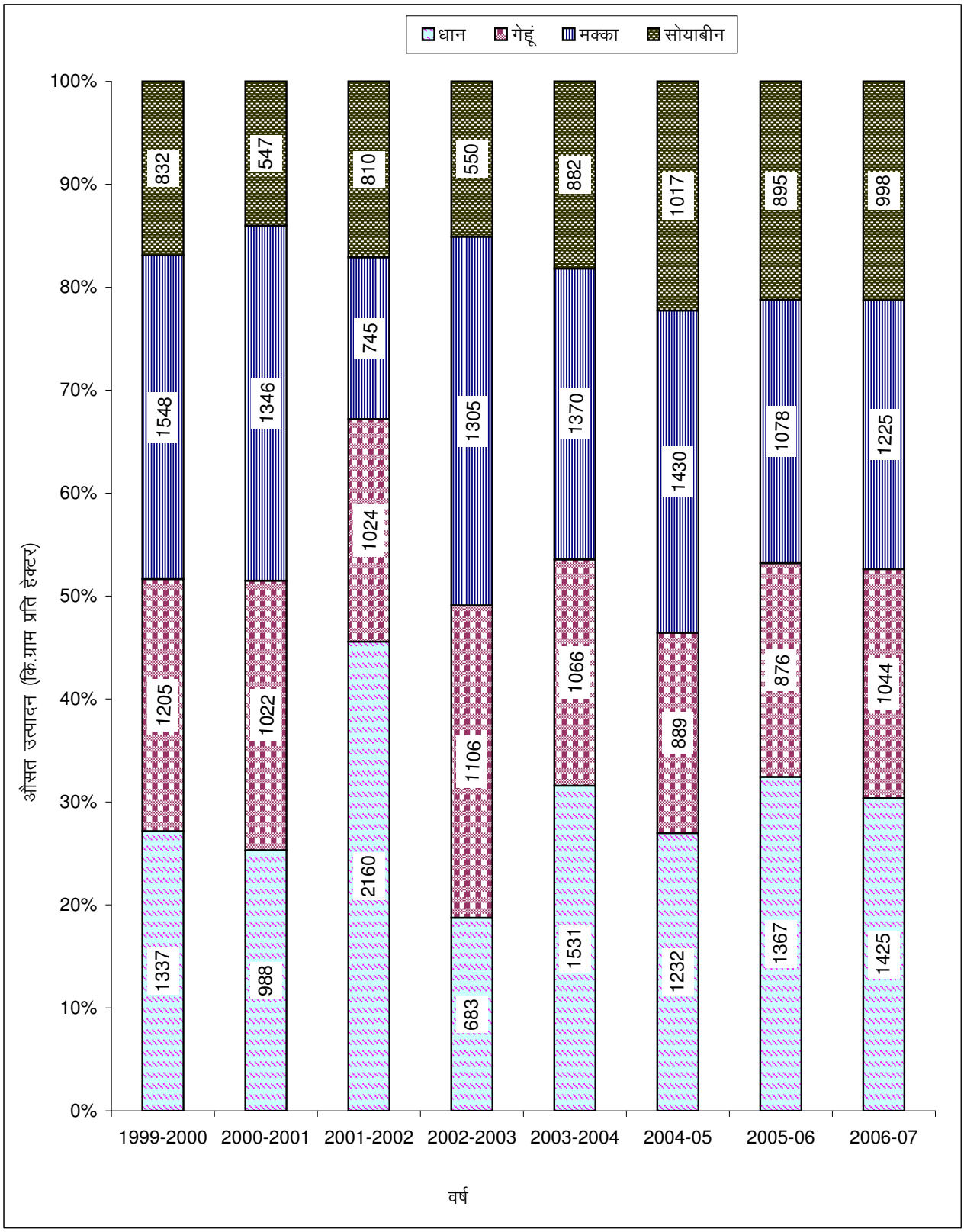

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना : इस योजना के अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा हितग्राहियों को 1 से 20 घनमीटर क्षमता के गोबर गैस संयंत्र निर्माण पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु कृषक/सीमान्त कृषक/भूमि हीन श्रमिकों को 2300.00 रूपये प्रति संयंत्र तथा अन्य कृषकों को 1800.00 रूपये का अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2006–07 में 5000 लक्ष्य के विरूद्ध 2551 गोबरगैस संयंत्र निर्मित किए गए एवं 1067 निर्माणाधीन है । वर्ष 2007–08 में प्रस्तावित 5000 गोबर गैस संयत्र के विरूद्ध 358 पूर्ण एवं 56 निर्माणाधीन है ।

नाडेप विधि से खाद तैयार करना : इस कार्यक्रम में टंकी बनाने के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कृषकों को अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2006–07 में 4150 लक्ष्य के विरूद्ध 3847 नाडेप टांको की पूर्ति हुई है तथा रू. 41.00 लाख के विरूद्ध रू. 40.87 लाख व्यय हुआ । वर्ष 2007–08 हेतु भौतिक लक्ष्य 4075 नाडेप टांके एवं आवंटन राशि रू. 41.00 लाख है जिसके विरूद्ध अक्टूबर 2007 तक रू. 24.66 लाख व्यय हुआ है ।

रामतिल प्रोत्साहन योजना : आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में रामतिल की खेती को प्रोत्साहित करने एवं रामतिल की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषकों में उन्नत बीज, उन्नत काश्त तकनीक का प्रदर्शन, उपयोगी कृषि यंत्र, उर्वरक, मिनीकिट बीजोपचार दवा, कल्चर सूक्ष्म तत्व, उर्वरक वितरण एवं कृषक प्रशिक्षण के माध्यम से रामतिल की खेती को प्रोत्साहित करना है । वर्ष 2006–07 में रू. 20.00 लाख वित्तीय प्रावधान कर 15.59 लाख रू व्यय किया गया । वर्ष 2007–08 हेतु 25.00 लाख रू. आबंटन के विरूद्ध 13.95 लाख रू. व्यय किया गया है ।

चलित–मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना : चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु राज्य शासन द्वारा रू. 48.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त कर चार वाहन खरीदी में 42.84 लाख रू. व्यय हुआ । ये वाहन आदिवासी जिले कांकेर, कबीरधाम, कोरबा एवं सरगुजा के ग्रामीण अंचलों में मिट्टी के नमूनों पर स्थल परीक्षण कर त्वरित परिणाम उपलब्ध करा रहे हैं ।

कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाः राज्य में कीटनाशी फफूंदनाशकों के गुणवत्ता पर नियंत्रण बनाये रखने तथा कृषकों को गुणवत्ता वाले कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा कीट प्रकोप पर नियंत्रण पाने के लिए केन्द्र शासन द्वारा कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु रू. 45.00 लाख की लागत से जिला राजनांदगांव में कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भवन का निर्माण किया गया है ।

जैविक कीट नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना : रसायनों के उपयोग से परिलक्षित दुष्प्रभाव के दृष्टिगत कृषि कीट व्याधियों के जैविक विधियों द्वारा नियंत्रण को प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्र शासन से रू. 45.00 लाख की लागत से जिला बिलासपुर में राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला निर्माण किया गया है ।

वानस्पतिक ईंधन विकास कार्यक्रमः बायोफ्यूल के विकास से कृषको की आर्थिक प्रगति एवं कृषकों की स्वंय की ईधन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वर्ष 2006–07 में रू. 78.98 लाख रू. व्यय कर 10.00 लाख पौधे रोपण किया जा चुका है । वर्ष 2007–08 हेतु 15.37 लाख पौधे कृषकों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ।

कृषि विस्तार तंत्र का सुधार (आत्मा): राज्य में कृषि विस्तार तंत्र का सुधार, कृषक स्तर से योजना की तैयारी तथा क्रियान्वयन, विपणन व्यवस्था को कृषि प्रसार तंत्र में शामिल किया जाना है । यह योजना केन्द्र प्रवर्तित है (केन्द्रांश : राज्यांश 90:10) योजना के प्रथम चरण में 5 जिले बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, कबीरधाम एवं रायगढ़ का चयन किया गया है । वर्ष 2006–07 में 246.23 लाख रू. की राशि प्राप्त हुई जिसमें 108.65 लाख रू. व्यय किया गया है । वर्ष 2007–08 हेतु शेष जिलों में भी लागू की गई है जिसके लिए 122.23 लाख आबंटन के विरूद्ध 132.18 लाख रू. की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है ।

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना :– प्रदेश के कृषक अधिकारी एवं कर्मचारियों को कृषि की नवीनतम तकनीक से अवगत कराने के उद्देश्य से राजधानी रायपुर में राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है ।

सूक्ष्म सिंचाई योजना :–उपलब्ध जल के अधितम उपयोग हेतु महत्वाकांक्षी योजना पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है । जिसमें सिंचाई प्रणाली की कुल लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार 10 प्रतिशत राज्य सरकार शेष 50 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा इस योजना द्वारा अधिकतम 5 हैक्टर क्षेत्र हेतु सहायता दी जायेगी । उत्कृष्ट कृषि विकास केन्द्र इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुसंधान एवं तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे एवं राज्य सरकार द्वारा नियुक्त छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा । वर्ष 2007–08 हेतु केन्द्र द्वारा 33.17 करोड़ रू. की कार्ययोजना है ।

मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना : इस योजना के अन्तर्गत डोजरों द्वारा भूमि समतलीकरण, समाच्च बंधान, परकोलेशन टैंक निर्माण का कार्य आदि किया जाता है । छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 18 डोजर उपलब्ध है, जिनका वार्षिक लक्ष्य 12000 घंटे निर्धारित है ।

इसके अतिरिक्त योजनांतर्गत व्हील टाईप ट्रैक्टरो/पावर टिलर्स के साथ रोटावेटर, कल्टीवेटर सीडड्रील, पैडी–थ्रेसर एवं ट्रान्सप्लांटर आदि यंत्र कृषकों को किराये पर उपलब्ध कराये जाते हैं । वर्तमान में उपरोक्त कार्यो के लिए राज्य में 31 ट्रैक्टर उपलब्ध हैं जिनके लिए 15,500 घंटे का लक्ष्य निर्धारित है । वर्ष 2006–07 में 10548 घंटे का सफल कल्टीवेशन कार्य किया गया । वर्ष 2007–08 में 15500 घंटे प्रदर्शन लक्ष्य के विरूद्ध माह सितम्बर 2007 तक 7168 घंटे कल्टीवेशन कार्य किया ।

उन्नत कृषि यंत्रों का निर्माण एवं वितरण : इस योजना के अन्तर्गत कृषि विभागीय कर्मशालाओं में उन्नत कृषि यंत्रों का निर्माण किया जा रहा है । इनमें मुख्यतः हैण्ड हो, लो–लिफ्ट पंप, सायकल व्हील हो, पैडी ड्रम सीडर, लोहे का देशी हल, जिग–जैग पैडी पडलर आदि है । इस हेतु रू. 10.00 लाख राशि का जमा खाता (पी.डी.एकाउन्ट) भी चलाया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत उन्नत कृषि यंत्रों का अनुदान पर वितरण किया जाता है । वितरण का कार्य विभागीय कर्मशालाओं, छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड (एग्रो सेल), छत्तीसगढ़ विपणन संघ तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है । वर्ष 2006–07 में 12000 लक्ष्य के विरूद्ध 11698 उन्नत कृषि यंत्रों का निर्माण किया गया वर्ष 2007–08 में माह सितम्बर 2007 तक 1934 उन्नत कृषियंत्रों का निर्माण किया गया है ।

इसके अतिरिक्त विभिन्न आधुनिक यंत्रो/उपकरणों को कृषकों के बीच लोकप्रिय बनाने एवं उन्हे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इन यंत्रों जैसे–लो लिफ्ट पंप, पैडी थ्रेसर, पैडी ट्रांसप्लांटर, रीपर आदि का व्यापक प्रर्दशन भी किया जाता है । वर्ष 2006–07 में 25831 हस्तचलित/बैल चलित कृषि यंत्रों का वितरण किया गया एवं 800 कृषि यंत्रों के प्रदर्शन के विरूद्ध 928 कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया गया साथ ही 131 ट्रेक्टर वितरण 30 पावर डीलर एवं 653 अन्य शक्ति चलित यंत्रों का वितरण किया गया है ।

केन्द्र पोषित माईक्रो मैनेजमेंट वर्किग प्लान अन्तर्गत कृषि यांत्रीकरण को प्रोत्साहन :– छत्तीसगढ़ राज्य में यह योजना वर्ष 2000–2001 से लागू है इसमें 30 हार्ष पावर तक के ट्रेक्टर 8 बी.एच.पी एवं अधिक के पावर टीलर, हस्त चलित बैल चलित एवं शक्ति चलित कृषि उपकरणों पर अनुदान देय है । वर्ष 2002–03 से 30 हार्ष पावर के स्थान पर 35 हार्ष

पावर तक के ट्रेक्टरों पर भी 25 प्रतिशत अनुदान देय है । वर्ष 2007–08 से ट्रेक्टरों को छोड़कर अन्य घटकों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान शासन द्वारा दिया जा रहा है ।

शाकम्बरी योजना : प्राकृतिक जल संसाधनों के समुचित दोहन, कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादकता में वृद्धि एवं फसल सहायता में वृद्धि के उद्देश्य से लघु सीमान्त कृषकों को कूप निर्माण एवं विद्युत/डीजल/केरासीन चलित पंप पर 75 तथा कूप निर्माण कार्य पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है । नाबार्ड द्वारा डीजल/विद्युत/केरोसीन पंप पर प्रति इकाई 15500 एवं कूप निर्माण पर 34200 रू. निर्धारित है । वर्ष 2006–07 में 8437 कृषकों को डीजल/विद्युत पंप तथा 1527 कृषकों को कूप निर्माण हेतु अनुदान दिया गया । वर्ष 2007–08 में 1427 डीजल/विद्युत पंप पर एवं 417 कूप निर्माण पर माह सितम्बर 2007 तक अनुदान दिया गया है ।

लो–लिफ्ट पंप वितरण योजना : सिंचाई विस्तार एवं द्विफसली क्षेत्र में वृद्धि हेतु 75 प्रतिशत अनुदान पर लो–लिफ्ट पंप वितरण की योजना है । वर्ष 2006–07 मे रू. 1740 कृषकों को लो–लिफ्ट पंप प्रदाय किया गया है । प्रति पंप की लागत 3500 रू. निर्धारित है जिस पर 75 प्रतिशत अनुदान देय है । वर्ष 2007–08 में माह सितम्बर 2007 तक 2130 लक्ष्य के विरूद्ध 123 कृषको को लो लिफ्ट पंप पर अनुदान दिया गया है ।

कृषि विपणन

कृषि उपज मंडियॉ : कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है । छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित होने के पश्चात वर्ष 2001–02 में 70 मंडियॉ एवं 98 उप–मंडिया कार्यरत् थी । वर्ममान में कृषि उपज के विपण को और अधिक सहज बनाने के उद्देश्य से 03 कृषि उपज मण्डियों एवं 10 उप मंडियों की स्थापना की गई है । इस प्रकार वर्ष 2006–07 में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 73 मुख्य मण्डियां एवं 108 उप मण्डियॉ कार्यरत है । मण्डी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषको को शोषण से बचाने, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मण्डी बोर्ड का गठन किया गया है ।

मंडियों में आवक : राज्य की मंडियों में वर्ष 2005–06 में 59.23 लाख मे. टन. की आवक हुई । जो 2006–2007 में 59.59 में.टन की आवक हुई जो वर्ष 2005–06 की तुलना में 0.36 लाख मे.टन अधिक है । यह राज्य सरकार द्वारा सहकारी विपणन संघ के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान की अधिक खरीदी के कारण संभव हो सका ।

मंडियों की आय : छत्तीसगढ़ राज्य की मंडियों में वर्ष 2005–2006 में 5552.67 लाख रूपयों की आय हुई एवं वर्ष 2006–07 में 87.24 लाख की आय हुई इस प्रकार वर्ष 2005–2006 की तुलना में वर्ष 2006–07 में 31.61 लाख रूपये की आय अधिक हुई । जिसका मुख्य कारण वर्ष 2005–06 में बकाया मंडी शुल्क की वसूली अधिक होने के कारण है ।

बोर्ड शुल्क : प्रदेश की मंडियों से प्राप्त मंडी शुल्क ही बोर्ड की आय का प्रमुख स्त्रोंत है जो मंडियों द्वारा बोर्ड को बोर्ड–शुल्क के रूप में दिया जाता है । छत्तीसगढ़ राज्य की मंडियों से वर्ष 2005–2006 में रू 389.41 लाख बोर्ड शुल्क प्राप्त हुआ तथा वर्ष 2006–2007 में 796.34 लाख रूपये प्राप्त हुआ जो गत वर्ष की तुलना में 406.93 लाख रूपये अधिक है ।

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय पौध विकास योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं । विभाग के अन्तर्गत 105 उद्यान रोपणी तथा एक साग–भाजी प्रगुणन प्रक्षेत्र है ।

वर्ष 2006–07 में उद्यानिकी अन्तर्गत 100001.70 हेक्टर क्षेत्र में फल 276105.00 हेक्टर में साग सब्जी एवं 40556.00 हेक्टर क्षेत्र में मसाले 2750.00 हेक्टर में औषधि एवं सुगंधित फसलें तथा 2030.00 हेक्टर में पुष्पीय पौधे लगाये गये हैं ।

राज्य पोषित योजनायें : छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों के विकास हेतु राज्य शासन द्वारा निम्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहें हैं :–

फल विकास कार्यक्रम : इस योजना में कृषक द्वारा बैंक ऋण लेने पर आम, पपीता एवं केला के रोपण पर नाबार्ड के मापदण्ड अनुसार 25 प्रतिशत अनुदान देय है, किन्तु जो कृषक बैंक ऋण नही लेना चाहतें हैं, उन्हें विभागीय फलोंद्यान योजना के अन्तर्गत केवल आम पर 25 प्रतिशत अनुदान नाबार्ड के मापदण्डों पर दिया जाता है । वर्ष 2006–07 में विभागीय फल पौध रोपण, बैंक ऋण तथा स्वयं के साधन से 1919 हेक्टर में फल रोपण किया गया है । जिसमें 76.59 लाख रू. व्यय किए गए ।

अध्याय–6

भाव स्थिति

समर्थन मूल्य एवं खाद्यान्न उपार्जन

भारत शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान, गेहूँ, तथा मक्का का उपार्जन सीधे कृषकों से क्रय किया जा रहा है । लेव्ही चावल का उपार्जन समर्थन मूल्य पर उपार्जित, धान की कस्टम मिलिंग करने वाले राईस मिलर्स से किया जा रहा है । प्रदेश में अप्रैल 2002 से विकेन्द्रीकृत चावल उपार्जन योजना लागू है, जिसके अंतर्गत प्राप्त चावल का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य योजनाओं में कराया जा रहा है । प्रदेश में प्रमुख खाद्यान्नों के उपार्जन की स्थिति निम्नानुसार है :–

धान : खरीफ वर्ष 2006–07 के दौरान राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर 37.17 लाख मे. टन धान का उपार्जन किया गया जो कि राज्य गठन से लेकर अब तक का रिकार्ड उपार्जन है एवं देश में पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक उत्पाद किया गया । खरीफ विपणन वर्ष 2007–2008हेतु भारत सरकार द्वारा कॉमन धान के लिए 645.00 रूपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड–ए के लिए 675.00 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है साथ ही 100 रू. प्रति क्विंटल बोनस की राशि भी किशानों को देय होगी । राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को अधिकृत किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा 1333 सहकारी समितियों के द्वारा स्थापित 1533 उपार्जन केन्द्रो के माध्यम से जनवरी 2008 तक 37.17 लाख मे. टन धान खरीदा गया ।

कस्टम मिलिंग एवं चावल उपार्जन :

खरीफ विपणन मौसम 2007–08 उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग इस वर्ष धान उपार्जन के साथ–साथ अर्थात माह नवम्बर 2007 से ही प्रारंभ की गई है, ताकि उपार्जन धान के शीघ्र निराकरण होने की स्थिति में राज्य को होने वाली वित्तीय हानि को कम किया जा सके । जनवरी 2008 की स्थिति में 5.55लाख मे. टन धान की कस्टम मिलिंग पूर्ण हो चुकी है तथा भारतीय खाद्य निगम को 6.46लाख मे.टन धान का अन्तरित किया जा चुका है इसी प्रकार उपार्जित धान में से 12.01 मे.टन धान का निराकरण किया जा चुका है ।

वर्तमान खरीफ वर्ष में जनवरी 2008 की स्थिति में भारतीय खाद्य निगम द्वारा 3.63 लाख में. टन कस्टम मिल्ड चावल का उपार्जन किया जा चुका है ।

खरीफ विपणन वर्ष 2006–07 के दौरान छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 11.89 लाख मे.टन कस्टम मिल्ड चावल तथा भारतीय खाद्य निगम 12.45 लाख मे.टन कस्टम मिल्ड चावल का उपार्जन किया गया । इस प्रकार वर्ष 2006–07 के दौरान राज्य में कुल 28.99 लाख मे. टन चावल का उपार्जन किया गया है । जो देश में पंजाब राज्य के बाद सर्वाधिक उपार्जन रहा ।

शक्कर : भारत सरकार से प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले राशनकार्ड धारी परिवारों को 425 ग्राम प्रति सदस्य के मान से प्रति माह रियायती दर पर शक्कर वितरित की जा रही है । भारत सरकार से प्रदेश को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में माह नवम्बर 2006 से प्रतिमाह औसतन 4512 मे. टन शक्कर का आवंटन प्राप्त हो रहा है ।

मिट्टी तेल :–सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त हितग्राहियों को प्रतिमाह 3.85 लीटर केरोसीन प्रति राशन कार्ड के मान से उपलब्ध कराया जा रहा है । भारत सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्रति माह 15.734 किलो लीटर मिट्टी तेल का आबंटन प्राप्त हो रहा है । वित्तीय वर्ष 2006–07हेतु भारत सरकार द्वारा 1888.08.किलो लीटर केरोसीन का आबंटन किया गया था जिसके विरूद्ध 1877.49 किलो लीटर (99.44 प्रतिशत) रहा । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 में केरोसीन का 141606 किलो लीटर आबंटन के विरूद्ध 139796 किलोलीटर केरोसीन का वितरण (98.72 प्रतिशत) रहा है ।

बाक्स –4.1

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नेटवर्क भारतीय खाद्य निगम के 11 प्रदाय केन्द्रो, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के 98 खाद्यान्न प्रदाय केन्द्रों एवं 10400 उचित मूल्य की दूकानों के समन्वय से निर्मित है, जिसके माध्यम से विभाग की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को पात्रतानुसार निर्धारित मूल्य पर नियमित खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसिन की आपूर्ति की जा रही है ।

उचित मूल्य की दुकाने : प्रदेश में उचित मूल्य की दूकानों का संचालन सहकारी समितियों एवं निजी व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है ।

- 1281दुकानें प्राथमिक सहकारी साख समितियों द्वारा
- 4345 दुकानें ग्राम पंचायतों द्वारा
- 986दुकानें वृत्ताकार आदिमजाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा,
- 2245दुकानें स्व–सहायता समूहों द्वार
- 1330 दुकानें अन्य सहकारी समितियों द्वारा
- 190 दुकानें वन सुरक्षा समितियों द्वारा
- 23 अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित है ।

सार्वजनिक तिवरण के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाऍ निम्नानुसार है :–

लक्षित सार्वजनिक प्राणाली:– प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक प्रणाली जून 1997 से लागू है । योजनार्तगत, गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) एवं ऊपर (ए.पी.एल.) के परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है । प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे 18.75 लाख परिवारों को नीले राशन कार्ड एवं गरीबी रेखा के उपर के 26.44 लाख परिवारों को सामान्य राशन कार्ड जारी किये गए है ।

वित्तीय वर्ष 2006–07 में बी.पी.एल. खाद्यान्न का आबंटन एवं वितरण निम्नानुसार है:–

(मात्रा मैट्रिक टन में)

बी.पी.एल.गेहूँ		बी.पी.एल. चावल	
आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण
31320.00	30054.30	454368.00	454154.90

वित्तीय वर्ष 2007–08 में माह अक्टूबर तक बी.पी.एल. खाद्यान्न वितरण की स्थिति निम्नानुसार है:–

(मात्रा मैट्रिक टन में)

बी.पी.एल. गेहूँ		बी.पी.एल. चावल	
आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण
23490.00	20851.37	340776.00	255992.40

बी.पी.एल. योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का उठाव 76.00 प्रतिशत है । जो कि इस योजना न्तर्गत राष्ट्रीय औसत उठाव (76.00%) से अधिक है ।

अन्त्योदय अन्न योजना :– प्रदेश के अति गरीब परिवारों के लिए अन्त्योदय अन्न योजना मार्च 2001 से लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को 3.00 रू. किलो चावल, 35 किलो प्रतिमाह के मान से उपलब्ध कराया जा रहा है ।

वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु भारत सरकार द्वारा 301944 मे. टन खाद्यान अन्त्योदय योजना के लिए आवंटित किया गया था जिसके विरूद्ध खाद्यान का वितरण 291403 मे.टन (96.51%) मे.टन रहा । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 तक अन्त्योदय योजनान्तर्गत चावल के 226458 मे. टन आबंटन के विरूद्ध .2124409 मे.टन चावल का वितरण (94.80%) किया गया ।

अन्नपूर्णा दाल–भात योजना: राज्य शासन के निर्णयानुसार यह योजना विभाग द्वारा जनवरी 2004 से समस्त प्रदेश में लागू की गई जिसके द्वारा राज्य के निर्धन एवं जरूरत मंद

लोगों को 5.00 रू. में भरपेट दाल–भात उपलब्ध कराया जा रहा है । वर्तमान में संचालित 179 अन्नपूर्णा दाल–भात केन्दों से प्रतिदिन 30 से 35 हजार निर्धन हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य शासन द्वारा इन केन्द्रो को बी.पी.एल दर पर चावल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

अन्नपूर्णा योजना : इस योजना का उद्देश्य 65 वर्ष या उससे अधिक के वरिष्ठ बेसहारा नागरिको को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना है, जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नही हो रही है । इस योजना के हितग्राहियों को प्रतिमाह 10 किलो खाद्यान्न निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है । प्रदेश में 27697 हितग्राहियों को राशन कार्ड प्रदाय कर खाद्यान्न का नियमित वितरण किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु विभाग द्वारा 3200में. टन चावल अन्नपूर्णा योजना के लिए आवंटित किया गया था जिसके विरूद्ध चावल का वितरण 2952.60 मे. टन (92.24 प्रतिशत) रहा । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 में माह दिसम्बर 2007तक अन्नपूर्णा चावल के 2399.94 में. टन आबंटन के विरूद्ध 2311.42 में. टन चावल का वितरण (96.31%) रहा ।

छत्तीसगढ़ अमृत (नमक) वितरण योजना :

राज्य शासन द्वारा मात्र 25 पैसे प्रति किलो की दर से गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले राशन कार्ड धारी परिवारों को प्रतिमाह दो किलो आयोडाईज्ड नमक वितरित किया जा रहा है । 23.74 लाख निवासरत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले राशनकार्ड धारी परिवारों को इस येाजना का लाभ दिया जा रहा है ।

वित्तीय वर्ष 2006–07 में राज्य शासन द्वारा 55.554 मे.टन नमक वितरण हेतु जिलो को आवंटित किया गया था जिसके विरूद्ध नमक का वितरण 43.363 मे.टन (78.06 प्रतिशत) रहा । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 में` 52.825 लाख मे.टन आवंटन के विरूद्ध 47.338 मे. टन का वितरण (90.00 प्रतिशत) रहा है ।

ग्रेन बैंक योजना :–राज्य में भुखमरी एवं कुपोषण की कोई भी संभावना न होने देने हेतु राज्य शासन द्वारा 13 जिलों में 1904 ग्रेन बैंको की स्थापना की गई है जिसमें प्रति ग्रेन बैंक 40 क्विंटल के मान से 10480 क्विंटल चावल भंडारित किया गया है ।

पहुॅचविहीन क्षेत्रों में भंडारण : वर्षाकाल में प्रदेश के जो ग्राम पहुंचविहीन हो जाते हैं उनमें खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसिन का अग्रिम भंडारण कराने की व्यवस्था शासन द्वारा कराई जाती है । वर्ष 2006–07 के वर्षाकाल हेतु प्रदेश के 558 पहुंचविहीन केन्द्रो में खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसीन के भंडारण हेतु राज्य सरकार द्वारा 351.00 करोड़ रूपये

उपलब्ध कराया गया है । इस राशि द्वारा आवश्यक वस्तुओं का भंडारण किया जाकर हितग्राहियों को वितरित किया गया ।

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना :–

भारत सरकार द्वारा निर्धारित 18.75 लाख बी.पी.एल. परिवार को छोड़कर शेष अन्य निर्धन एवं जरूरत मंद परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय करने हेतु अप्रैल, 2007 से मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना राज्य में लागू की गई है । इस योजनान्तर्गत निम्न प्रकार के राशन कार्ड जारी किए गए हैं।

1. **केसरिया राशनकार्ड** :– वर्ष 1991 अथवा 1997 के बी.पी.एल. सर्वे में सम्मिलित गैर अनुसूचित जाति एवं जनजाति जिसके नाम 2002 की सूची में नहीं है उन्हे केशरिया रंग का कार्ड जारी किया गया है । कार्डधारी को 35 किलो चावल 6.25 रू. प्रति किलो की दर से राशन प्रदाय किया जा रहा है । वर्तमान में ऐसे परिवारों की संख्या 4.56 लाख है ।

2. **10 किलो केसरिया राशन कार्ड** :– राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के ऐसे हितग्राही जिन्हे पूर्व में राशनकार्ड जारी नहीं हुआ है 10 किलो केसरिया कार्ड जारी किया गया है । इस परिवार को 10 किलो चावल 6.25 रू. प्रति किलो की दार प्रदाय किया जा रहा है । वर्तमान में ऐसे परिवारों की संख्या 2.51 लाख है ।

3. **स्लेटी राशन कार्ड** :– वर्ष 1991 अथवा 1997 या 2002 के सर्वे में सम्मिलित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार जिसे अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सका है स्लेटी राशनकार्ड जारी किए गए हैं । परिवार को प्रति माह 35 किलो चावल 3.00 रू. प्रति किलो की दर से प्रदाय किया जा रहा है । वर्तमान में ऐसे परिवारों की संख्या 12.31 लाख है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को 3.00 प्रति किलो की दर से चावल वितरण प्रारंभ किया गया है । वर्तमान में लगभग 34.00 लाख परिवारों को 3.00 रू. प्रति किलो की दर से चावल प्रदाय करने हेतु राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 837.00 करोड़ की राशि व्यय की जावेगी ।

अध्याय–7

पशुपालन एवं डेयरी विकास

छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है । 15 अक्टूबर 2003 पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 1.35 करोड़ पशुधन तथा 81.81 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी है । देशी नस्ल के पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

गौवंशी पशु विकासः पशु संगणना के अनुसार गौ वंशी एवं भैंसवंशी प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या 30.79 लाख है । राज्य में वर्ष 2006–2007 की अवधि में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु 5 गहन पशु विकास परियोजनायें एवं उन्नत दुधारू पशु परियोजनायें, 20 कृत्रिम गर्भाधन केन्द्र, 737 हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधन इकाइयॉ कार्यरत् हैं । उपरोक्त संस्थाओं द्वारा आलोच्य वर्ष में 3.50 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 10.37 हजार पशुओं को प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । आलोच्य अवधि में कृत्रिम गर्भाधान से 76.21 हजार वत्सोत्पादन एवं प्राकृतिक गर्भाधान से 1.11 हजार वत्सोत्पादन हुआ । वर्ष 2005–06 के कृत्रिम गर्भाधान को 2.60 लाख एवं वत्सोत्पादन का 60 हजार लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

अगस्त 2005 में 64.8 हजार पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 1.3 हजार पशुओं को प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई जिससे कृत्रिम गर्भाधान से 20.7 हजार वत्सोत्पादन एवं प्राकृतिक गर्भाधान से 1.5 हजार वत्सोत्पादन हुआ । अगस्त 2006 तक 90.2 हजार पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 3.7 हजार पशुओं को प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई । आलोच्य अवधि में 21.57 हजार वत्सोत्पादन एवं प्राकृतिक गर्भाधान से 1.57 हजार वत्सोत्पादन हुआ ।

बकरी विकास : प्रदेश में वर्ष 2003 की पशु संगणना के अनुसार 23.35 लाख बकरे–बकरियॉ हैं, प्रदेश के कार्यरत प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत अधिक उत्पादन वाली नस्लों का प्रजनन किया जाता है तथा व्यक्ति मूलक योजनान्तर्गत वर्ष 2006–07 में 164.81 लाख रू. व्यय कर 5502 उन्नत नस्ल के बकरे प्रदाय किए गए । वर्ष 2007–2008 में 100.00 लाख आबंटन के विरूद्ध 3333 बकरे वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

शूकर विकास : वर्ष 2003 की पशु संगणना के अनुसार राज्य में 1.34 करोड़ शूकर हैं । शूकर नस्ल सुधार हेतु शूकर पालको को वर्ष 2006–07 में विनिमय के आधार पर शूकरत्रयी वितरण हेतु रू. 69.52 लाख रु. से 991 हितिग्राहियों को, एवं विनिमय के आधार पर नर सूकर इकाई वितरण हेतु 14.13 लाख रु .व्यय कर 337 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया जा रहा है । वर्ष 2007–08के लिये विनिमय के आधार पर शूकरत्रयी वितरण हेतु 70.00 लाख रू. प्राप्त आवंटन के विरूद्ध 1000 हितग्राहियों को तथा विनियम के आधार पर नर शूकर वितरण हेतु रू. 17.60 लाख आवंटन से 400 हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय :– प्रदेश में वर्ष 2004–05 से पशु नस्ल के उन्नयन हेतु ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहॉ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर ग्राम पंचायतो के माध्यम से उन्नत प्रगतिशील किसान/गौसेवक को शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की गई है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में राशि रू. 44.82 लाख के व्यय से 395 उन्नत नस्ल के सांडो का प्रदाय किया गया है ।

वर्ष 2006–07 के लिए शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडो के प्रदाय हेतु राशि 75.00 लाख रू. से 500 सांडो का प्रदाय किया जाना है ।

कुक्कुट विकास : प्रदेश में वर्ष 2003 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 81.81 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी है । प्रदेश में 7 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित है । इन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रंगीन चूजों का वितरण बैकयार्ड कुक्कुट ईकाई वितरण योजनांतर्गत आहार एवं औषधि सहित घर पहुॅचा कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के हितग्राहियों को प्रदाय किया जाता है । आलोच्य वर्ष 2006–0 में बैकयार्ड कुक्कुट ईकाई वितरण योजनांतर्गत 77.36 लाख रू. व्यय किया जाकर 17191 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2007–08 में 71.00 लाख बंटन के विरूद्ध 1500हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

राज्य डेयरी प्रयोगशाला की स्थापना :–100 प्रतिशत अुनदान रू. 34.40 एम.एम.पी.ओं 1992 के तहत तथा दुग्ध उत्पादों के मिलावट की रोकथाम हेतु रू. 34.40 लाख की प्रयोगशाला निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है । भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है उपकरणों के लिए टेण्डर किया जा चुका है । सामग्री क्रय उपरान्त दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की जांच एवं परीक्षण हेतु पांच अधिकारियों को गुणवत्ता नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

बॉक्स क 5.1

शासन द्वारा पशुपालन हेतु आबंटित राशि

- वर्ष 2007–08 हेतु राष्ट्रीय गौवंशी /भैसवंशी परियोजना अंतर्गत 138.00 लाख की राशि भारत शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं ।
- वर्ष 2007–08 में 429 चलित कृत्रिम गर्भाधान का विशेष प्रशिक्षण दिया गया जो दूरदराज क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनान्तर्गत कार्य करेंगें ।
- वर्ष 2007–08 के लिए विनियम के आधार पर सुकरत्रयी वितरण हेतु 70.00 लाख आवंटन प्राप्त एव नर शूकर बन्टन हेतु 17.60 लाख 400 हितग्राहियो का लाभान्वित करनेका लक्ष्य है।

पशु चिकित्साः– वर्ष 2006–07 मे 57167 पशु रोग नमूनो की जाच की गई । पशुओं में गलघोंटू, एकटंगिया, एन्थ्रेक्स, मातामहामारी जैसे संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए 85.52 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया एवं 12.33 लाख कुक्कुट टीकाकरण किया गया । 20.20 लाख पशुओं का उपचार 22.15 लाख पशुओं को औषधि वितरण तथा 3.28 लाख बधियाकरण किया गया साथ ही 2523 स्ट्रिंगहाल्ट आपरेशन किया गया । वर्ष 2007–08 में अगस्त तक 5446 रोग नमूनों की जांच की गई एवं संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए 43.88 लाख पशुओं एवं 2.70 लाख कुक्कुट पक्षियों का टीकाकरण किया गया । आलोच्य अवधि में 6.77लाख पशुओं का उपचार, 7.87 लाख पशुओं का औषधि वितरण तथा 0.59 लाख बधियाकरण किया गया साथ ही 459 पशुओं का स्ट्रिंगहाल्ट आपरेशन किया गया ।

बॉक्स क 5.2

प्रदेश में पशुओं के उपचार के लिए चिकित्सालय

चिकित्सालय	संख्या
पशु चिकित्सालय	208
पशु औषधालय	708
चल चिकित्सालय	25
माता महामारी	3
पशु जांच चौकियां	8
रोग अनुसंधान प्रयोगशाला	7
कृत्रिम गर्भाधान केंद्र	22
हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान	737

कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रः—वर्ष 2005—06 में कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र बिलासपुर एवं जगदलपुर हेतु कुल 100.00 लाख की प्रथम किस्त प्राप्त हुई जिसमें वर्ष 2006—07 में रायगढ़ एवं कोण्डागांव हेतु 85.00 लाख की प्रथम किस्त भी कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र हेतु प्राप्त हुई है ।

छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरणः— केन्द्रीय योजनान्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून 2001 में की गई है । प्रथम पॉच वर्ष में केन्द्र शासन से 10.24 करोड़ रू. व्यय करने की स्वीकृति दी गई है । वर्ष 2005—06 में उक्त राशि में 570 करोड़ व्यय किए गए । परियोजना की प्रथम चरण की उपलब्धियॉ निम्नानुसार है :—

1. पशुसंवर्धन कार्य हेतु आवश्यक हिमीकृत वीर्य का उत्पादन राज्य में सुनिश्चित करने के लिए फ्रोजन सीमन बुल स्टेशन की स्थापना ।
2. घर पहुॅच सेवा सुनिश्चित करने हेतु 709 अचल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों का चल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों में परिवर्तन ।
3. कृत्रिम गर्भाधान पहुॅचविहीन गॉवों में गर्भाधान व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उन्नत किस्मों के साड़ों का प्रदाय ।
4. कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु आवश्यक तरल नत्रजन प्रदाय एवं भण्डारण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ।
5. गुणवत्ता परीक्षण उपरान्त हिमीकृत वीर्य प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वीर्य संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण ।
6. पशु नस्ल आवश्यक सुधार हेतु आवश्यक सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए चरवाहों को प्रशिक्षण ।
7. 300 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण व सामग्री प्रदाय एवं ए.आई क्षेत्र विस्तार तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदाय किया गया है ।
8. प्रशिक्षण केन्द्र महासमुन्द व जगदलपुर में प्रशिक्षण सुविधा हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकास ।
9. मानव संसाधन विकास हेतु विभागीय व गैरविभागीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को राज्य व राज्य के बाहर प्रशिक्षण ।

राष्ट्रीय गौवंशी/भैंसवंशी परियोजना का राज्य में संचालित होने से 60 प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान कार्य में वृद्धि हुई है । फलस्वरूप प्रतिवर्ष शंकर/उन्नत नस्ल की दुधार गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है । परिणाम स्वरूप राज्य में दुग्धउत्पादन में वृद्धि हो रही है ।

अध्याय–8

मत्स्य विकास

राज्य में उपलब्ध जल संसाधन मत्स्य पालन की दृष्टि से एक विशिष्ठ स्थान रखता है । छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.553 लाख हे. जलक्षेत्र उपलब्ध है। जिसमें से 1.397 लाख हे. जलक्षेत्र में मछली पालन अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है जो कुल जलक्षेत्र का 89.95 प्रतिशत है । यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारन्मुखी साधन है । कम लागत, कम समय में सहायक धंधे के रुप में ग्रामीण अंचलों में अत्यंत लोकप्रिय है ।

राज्य आयोजना :–

1. मत्स्य बीज उत्पादन :– वर्ष 2005–2006 में समस्त स्त्रोतों से 5055.00 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन हुआ था । इसी प्रकार वर्ष 2006–07मे 5916.00 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन हुआ जो गत वर्ष की तुलना में 17.03 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2007–08 में माह सितम्बर 2007 तक 6026.00 लाख स्टेंर्डड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन किया गया ।

2. मत्स्योत्पादन :– वर्ष 2005–2006 में राज्य में समस्त स्त्रोंतों से 131751 मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया था, जबकि वर्ष 2006–2007 में 137753 मे. टन किया गया । जोकि गत वर्ष की तुलना में 4.55 प्रतिशत अधिक है । आलोच्य वर्ष 2007–08 में माह सितम्बर 2007 तक 71398.00 में. टन का मत्स्योत्पादन किया गया है ।

3. मछुआ सहकारिता :–राज्य में 2007–08माह अगस्त तक समितियों की संख्या 881 है। जिनकी सदस्य संख्या 27348 है । इन समितियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए सिंचाई जलाशय पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है । वर्ष 2006–07 में 1.679 लाख हेक्टर ग्रामीण तालाब एवं सिचाई जलाशय पट्टे पर दिये गये हैं । वर्ष 2007–08 में सितम्बर माह तक 0.670 लाख हेक्टर क्षेत्र समितियों को मत्स्य पालन हेतु दिये गये हैं । समितियों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु उपकरण एवं मत्स्य बीज क्रय करने हेतु वर्ष 2006–07 में 16.22 लाख का अनुदान दिया गया ।

4. मछुआरों का शिक्षण अध्ययन भ्रमण :–सभी वर्ग के प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को मत्स्यपालन के साथ मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु तकनीकी पद्धति एवं मछली पकड़ने एवं जाल बुनने सुधारने एवं नाव चलाने का 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है ।

जिसमें 750/– की राशि प्रशिक्षण वृत्ति एवं 400 रू. का धागा प्रति प्रशिक्षार्थी एवम जाल बुनने हेतु 1250 रू. प्रति प्रशिक्षार्थी व्यय का प्रावधान है । वर्ष 2006– 07 में इस कार्यक्रम के तहत 4122 कृषकों को प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया ।

बॉक्स क 6.1

योजना, बीमा, व आवास सुविधा

- मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2006–07 में 1818 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया । तथा 1379.00 हेक्टर क्षेत्र हितग्राहियों को आवंटित किए गए ।
- मत्स्य पालकों का दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत दुर्घटना की स्थिति में बीमित हितग्राहियों को अस्थाई अपंगता पर रूपये 25000 तथा स्थाई अपंगता या मृत्यु होने पर 50000 रू. की सहायता दी जाती है । वर्ष 2006–07 44998 मछुआरों का बीमा कराया गया ।
- वर्ष 2006–07 मे 98 मछुआरों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु 39.80 लाख मत्स्य महासंघ का उपलब्ध कराये गये ।
- पाली कल्चर झींगापालन अलन्कारिक मस्त्योद्योग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्यपालकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु नवीन कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है । जिसके तहत 500 परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से रु.1500 प्रति इकाई की दर से बीज खाद एवं खाद्य पदार्थ हेतु उपलब्ध कराया गया है । वर्ष 2006–07 में 10975.00 किलोग्राम झींगा उत्पादन हुआ इस हेतु 274 इकाईयां स्थापित की गई हैं ।
- वर्ष 2006–07 में मत्स्य बीज स्पान का उत्पादन 20549.00 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई का उत्पादन हुआ एवं वर्ष 2007–08 में सितम्बर तक 5607.01 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई का उत्पादन किया गया है ।

5 **अल्पअवधि बचत सह राहत योजना** :– बंद ऋतु में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुआरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना कियान्वयन की जा रही है । योजनान्तर्गत मछुआरों द्वारा 9 माह में 50 रूपये मासिक अंशदान से 450 रू. तथा शासन द्वारा 450 रू. दिया जायेगा कुल रूपये 900 रू. हितग्राही के नाम से जमा किए जायेगें । जिससे बंद ऋतु के 3 माह में 300 रूपये मासिक आर्थिक सहायता के रूप में हितग्राहियों को दिए जाते है । वर्ष 2006–07 में 500 मछुआरों को उक्त योजना के तहत शासन द्वारा 2.25 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है ।

6. मत्स्यकीय क्षेत्र के लिए डाटाबेस एवं सूचना नेटवर्किंग :– केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अनुदान से उक्त योजना वर्ष 2004–05 से प्रारम्भ की गई है । दसवीं योजना कार्यकाल हेतु 45 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा गया जिसमें से वर्ष 2004–05 में 12.30 लाख तथा 2005–06 में 12 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है एवम वर्ष 2006–07 में 0.23 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है । वर्तमान में प्रदेश के छः चयनित जिलों बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर, बस्तर, रायगढ़ एवं दुर्ग में ग्रामीण तालाबों तथा सभी जिलों में उपलब्ध जलाशयों के जल क्षेत्र का सर्वेक्षण मत्स्यपालन संबंधी आंकड़े एकत्रीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से केन्द्र शासन को उपलब्ध कराये जा रहे है ।

अन्य विभागों से संबंद्ध मत्स्य पालन योजनाएँ

- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत 44 तालाब निर्माण हेतु 89.56 लाख रू. व्यय कर 1.279 लाख रोजगार (मानव दिवस) सृजन किया गया है ।
- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत 206 मछली पालकों को स्व–रोजगार हेतु 166.47 लाख रू. व्यय किया गया जिससे 2.06 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन हुआ है ।
- राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत 592 मछली पालन निर्माण हेतु 105.33 लाख व्यय किया गया एवं 1.50 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है ।
- नवा अंजोर योजनान्तर्गत 149 मछली पालन व्यवसाय हेतु 143.47 लाख रू. व्यय किया गया जिसमें 0.69 मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है ।
- पांच हेक्टर के तालाब में मत्स्य बीज संवर्धन हेतु 30 हजार रू. प्रति हितग्राही के लिए 33.75 लाख रू. व्यय कर 112 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।
- 5 हेक्टर नवीन मत्स्य बीज संवर्धन क्षेत्र निर्माण हेतु 22.50 लाख की स्वीकृति जिलों के लिए की गई है ।
- विलुप्तप्राय मत्स्य प्रजाति के संरक्षण हेतु 3 कैटफिश हेचरी निर्माण हेतु कोरबा, बिलासपुर एवं दुर्ग में प्रति इकाई 8.02 की स्वीकृति दी गई है ।
- मत्स्य बीज हेचरी निर्माण परसवाड़ा जिला कबीरधाम, जिसकी लागत 25.00 हजार एवं गरियाबंद में 28.31 लाख की लागत से प्रक्षेत्र निर्माण किया गया है ।

अध्याय–9

वानिकी

संपूर्ण भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.38% भाग वनाच्छादित है । जबकि छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 43.85% है छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र भारत में तीसरे स्थान पर है । राज्य में आरक्षित वन 25782.17 वर्ग कि.मी. (43.13%) संरक्षित वन 24036.10 कि.मी. (40.22%) अवर्गीकृत वन 9954.13 वर्ग कि.मी. (16.65%) वन क्षेत्र है । विकास योजनाओं के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से 32 वन विकास अभिकरणों में कुल 1069 ग्राम वन समितियों/वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से हेक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण किए जाने का लक्ष्य है । जिसमें 41007 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षा रोपण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । माह जून, 2007 तक 5850.03 लाख व्यय किया गया है ।

बाक्स नं–7.1

संयुक्त वन प्रबंधन

- राज्य में 7887 संयुक्त वन प्रबंध समितियों के माध्यम से वनों की सुरक्षा एवं संवर्धन का कार्य राज्य के कुल वन क्षेत्र 59772 वर्ग किलोमीटर में से 33190 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सफलता पूर्वक किया जा रहा है ।
- राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 3 राष्ट्रीय उद्यान एवं 11 अभ्यारण्य हैं, जिसका क्षेत्रफल 6615 वर्ग किलोमीटर है जो कुल वन क्षेत्र का 11 प्रतिशत है ।
- प्रोजेक्ट टाइगर योजना हेतु केन्द्र शासन द्वारा 300.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसमें सें 113.75 लाख व्यय किए गए ।
- छत्तीसगढ़ राज्य को एलीफेंट प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर वर्ष 2007–08 के लिए 69.00 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए 45.00 लाख विमुक्त की गई है ।
- अचानकमार अमरकंटक बायोस्पियेर रिजर्व खोलने हेतु प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजा गया है ।
- वर्ष 2007–08 में कुल जेट्रोफा के 8.86 करोड़ पौधे रोपित किए गए ।

उत्पादन विदोहन :–

इमारती कास्ट

क्र.	मद	इकाई	उत्पादन
1.	कुल इमारती लकड़ी	घन मीटर	176454
2.	जलाऊ लकड़ी	चट्टे	205314
3.	औद्योगिक बाँस	नो.टन	39784
4.	व्यापारिक बाँस	नो.टन	25047

राजस्व एवं लक्ष्य प्राप्तियाँ :–

क्र.	वर्ष	राजस्व लक्ष्य	प्राप्तियाँ
1.	2006–2007	211.53 करोड़ रू.	201.89 करोड़ रू.
2.	2007–2008	320.00 करोड़ रू.	184.61 करोड़ रू. (नवंबर, 07 तक)

संयुक्त वन प्रबंधन की योजना :–

लाख की खेतीः– वर्ष 2004–05 में यह परियोजना प्रारंभ की गई है । जून 2006 तक 1213 वन समितियों के 24356 ग्रामीण परिवारों द्वारा पलाश एवं कुसुम के वृक्षों में लाख की खेती की जा रही है । नवंबर 2007 तक राज्य में 123.79 लाख रू. का लाख उत्पादन हुआ ।

मछली पालनः– 973 वन समितियों के 15994 परिवारों द्वारा मछली पालन का कार्य किया जा रहा है । नवंबर, 2007 तक 44.17 लाख का शुद्ध लाभ हुआ ।

कृमि कोसा पालन :– 617 वन समितियों के 32438 परिवारों द्वारा कृमि कोसा पालन का कार्य किया जा रहा है । वर्ष 2007–08 तक 47.72 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया ।

बांस आधारित उद्योग :– 743 वन समितियों के 7505 परिवार बांस आधारित कुटीर उद्योग में सलंग्न है । वर्ष 2007–08 में 80.52 लाख रु. का शुद्व लाभ अर्जित किया गया ।

अन्य कुटीर उद्योग :– 987 वन समितियों के 47720 हितग्राहियों द्वारा छिन्दघास, चटाई, झाड़ू, पत्तल, सवाई रस्सी, शहद तथा अन्य वन आधारित कुटीर उद्योग किए जा रहे है । वर्ष 2007–08 में नवंबर, 2007 तक 243.37 लाख रु. का शुद्व लाभ प्राप्त हुआ है ।

पौधा प्रदाय योजना : जनता में वृक्षारोपण के प्रति अभिरूचि उत्पन्न कर वनेत्तर क्षेत्रों में हरियाली के प्रचार–प्रसार हेतु रियायती दर पर पौधे उपलब्ध कराने हेतु ''पौधा प्रदाय योजना'' राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है । जिसमें 1 रू. दर से प्रति पौधा अधिकतम एक हजार पौधे एक हितग्राही को दिये जायेंगे । इस योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 100

लाख पौधे जिसमें खम्हार, बांस, सागौन, करंज, आवंला, कटहल, नीलगिरी, मुनगा, रतनजोति, सिरस प्रजाति के शिशु पौधे रियायती दर पर प्रदाय किये जा रहे हैं इसके लिए वर्ष 2005–06 में 50 लाख का प्रावधान किया गया था । वर्ष 2006–07 में 1.05 करोड़ रूपये का प्रावधान के विरूद्ध 72.80 लाख व्यय कर पौधे वितरित किये गये ।

हरियाली प्रसार योजना : कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाली प्रसार योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा सामान्य श्रेणी के लघु कृषकों को उनकी पड़त भूमि में इच्छित प्रजाति के 250 से अधिकतम 1000 पौधे प्रति कृषक रोपित कर हस्तांरित किए जाएंगे । साथ ही आगामी दो वर्षो के लिए रख–रखाव हेतु 1.00 रू. प्रति पौधा की दर से प्रति वर्ष अनुदान दिया जायेगा । वर्ष 2005–06 में इसके लिए 50.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया था । वर्ष 2006–07 में 1.5 करोड़ का प्रावधान है । योजनान्तर्गत 112.44 लाख रू. व्यय किया जा चुका है ।

नदी तट वृक्षारोपण योजना : राज्य की जीवनदायनी नदियों के संरक्षण हेतु नदीतट वृक्षारोपण योजना लागू की जा रही है । इससे नदियों के तट पर होने वाले भू क्षरण और इससे जनित समस्याओं का समाधान वृक्षारोपण से किया जायेगा । राज्य में 400 किलोमीटर तट पर वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2006–07 में 132.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया है । योजनान्तर्गत 125.24 लाख रू. व्यय किया गया है । वर्ष 2007–08 में 280.00 लाख का बजट प्रावधान है ।

वन्य जीवों का संरक्षण एवं विकास योजना :–

मगरमच्छ संरक्षण योजनाः–मगरमच्छों के संरक्षण स्थानीय जनता की उनसे सुरक्षा तथा इको टॅरिज्म के विकास हेतु, ''कोटमी सुनार में मगरमच्छ संरक्षण'' की पांच वर्षीय योजना तैयार की गई है । योजनान्तर्गत ''मुड़ा तालाब की मरम्मत कर मगरमच्छो के प्रजनन संरक्षण रहवास विकास प्रबंध हेतु वन विभाग के अमले को प्रशिक्षित किया जा रहा है । वर्ष 2006–07 में उक्त योजना हेतु 70.00 लाख का बजट के विरूद्ध 69.97 लाख रू. व्यय किया जा चुका है ।

अवैध वन कटाई एवं अवैध शिकार तथा वनभूमि पर अतिक्रमणः– वन क्षेत्रों से वनोपज की अवैध निकासी को नियंत्रित करने एवं रोकथाम के लिए कुल 330 एवं अन्तर्राज्यीय 35 वनोपज जांच नाके स्थापित किए गए हैं। साथ ही राजस्व पुलिस एवं वन कर्मचारियों की संयुक्त टीम बनाकर वनभूमि से अतिक्रमण रोकने की एवं अपराधों की रोकथाम की जा रही है। वनों में आधुनिक सुरक्षा योजनान्तर्गत 4.7 लाख की रूपये की केन्द्रीय योजना भारत सरकार से प्राप्त हुई है। साथ ही भारत सरकार पर्यावरण व वन मंत्रालय के द्वारा वर्ष

2003–04 में ''एकीकृत वन सुरक्षा योजना'' प्रारंभ की गई है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में 687.80 लाख रूपये का कार्य स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें 520.216 लाख रू. सुरक्षा हेतु विभिन्न सामग्रियाँ क्रय कर व्यय की गई है ।

लघु वनोपज द्वारा वर्ष 2006–07 में संग्रहण एवं विक्रय मूल्य निम्नानुसार है :–

क्र.	लघु वनोपज का नाम	इकाई	संग्रहित मात्रा	विक्रय मूल्य लाख रूपये में
1.	तेंदूपत्ता	लाख मानक बोरा	14.720	14001.91
2.	साल बीज	क्विंटल में	48826.94	358.97
3.	हर्रा	क्विंटल में	60517.735	168.12
4.	कुल्लू गोंद	क्विंटल में	435.82	65.43
5.	धावड़ा/खैर/बबूल गोंद	क्विंटल में	141.58	3.26

वनोपज संघ द्वारा अपने तेन्दूपत्ता संगहक परिवारों के लिए निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना लागू की गई है । इस योजना के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 2005–06 में कुल 14035 प्रकरणों में 05 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया तथा वर्ष 2006–07 में 25.8.2006 तक कुल 13129 प्रकरणों में 5.065 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया ।

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के प्रत्येक संदस्य को एक जोड़ी जूता इच्छानुसार प्रदाय किया गया । वर्ष 2006–07 में 1265 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के सदस्यों को 88.00 रू प्रति जोड़ी के दर से 12.60 लाख चरण पादुका वितरित की गई ।

छत्तीसगढ़ हर्बल राज्य :–वर्ष 2006–07 में अराष्ट्रीकृत वनोपज लघु वनोपज अन्तर्गत औषधि एवं गैर औषधि लघु वनोपज व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है राज्य में आंवला, शहद, बायबिडिग, बेल कालीजीरी, धवई, सतावर, कालमेघ, नागरमोथा, बहेड़ा, मालकांगनी, भेलवा, मरोड़फल जैसे औषधीय वनस्पति संग्रहण से 2257.13 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है । गैर औषधीय लघु वन उपज अन्तर्गत महुआ, इमली, कुसुम, चिरौंजी, पलाश, माहुल, करंज, कुसुम लाख, बैचांदी एवं तिखुर कंद के संग्रहण से 4249.20 .लाख रू. का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया ।

अराष्ट्रीकृत अकाष्टीय लघु वनोपज का विक्रय वर्ष 2005–06 से 2006–07

क्र.	लघु वनोपज	उत्पाद	परियोजना संख्या	वर्ष 2005–06		वर्ष 2006–07		योग विक्रय की गई उत्पाद मूल्य (लाख रू. में)
				लघु वनोपज मात्रा (क्वि. में)	विक्रय की गई उत्पाद मूल्य लाख रू. में)	लघु वनोपज मात्रा(क्वि. में)	विक्रय की गई उत्पाद मूल्य (लाख रू. में)	
1	लाख	बीहन लाख, लाख	4	700	77.28	510	68.00	145.28
2	माहुल पत्ता	दोना पत्तल	12	1295	11.02	3295	14.15	25.17
3	शहद	शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण	6	186	11.95	769	1.50	13.45
4	ईमली	ईमली प्रसंस्करण	6	2376	2930	5915.68	2.84	22.04
5	तैलीय बीज	महुआ तेल उत्पादन	2	1373	3.00	250	0.00	3
6	आवंला	आवला प्रसंस्करण	1	32	675	32	6.75	13.5
7	औषधी उत्पाद	औषधि उत्पाद तैयारी	12	50	15.60	50	5.78	21.38
			43	**7962**	**144.8**	**10771.68**	**99.02**	**243.82**

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम :–

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई, 2001 से 4 परियोजना मण्डल के साथ अस्तित्व में आया । सितंबर, 2001 से बिलासपुर परियोजना मण्डल, एस.ई.सी.एल. बिलासपुर, एन.टी.पी.सी. कोरबा के पर्यावरण सुधार हेतु मिश्रित प्रजातियों का रोपण के उपरान्त अब तक कुल 7 परियोजना मण्डल कार्यरत है। परियोजना मण्डल का कुल क्षेत्रफल 179360.819 हेक्टेयर है जिसके अंतर्गत वर्ष 2006–07 तक सागौन के रोपित क्षेत्र 87795.128 हेक्टेयर बाँस रोपणी, 25173.524 एवं मिश्रित प्रजाति के 4240.013 हेक्टेयर, इस तरह कुल 117208.665 हेक्टेयर में पौधे रोपित किये गये है ।

वर्ष 2007–08 में 2400 हेक्टेयर में सागौन, 1000 हेक्टेयर में बाँस एवं 100 हेक्टेयर में मिश्रित प्रजाति के पौधे रोपण का लक्ष्य निर्धारित है ।

उच्च तकनीक वृक्षारोपण :– वर्ष 1997 से 2004 तक 198.24 हेक्टेयर अभ्यारण्य क्षेत्र में उच्च तकनीक से वृक्षारोपण किये गये है, जिसके परिणाम काफी अच्छे प्राप्त हुए है । इसी

तरह आद्योगिक क्षेत्रों में 176.18 लाख पौधों का रोपण वर्ष 2007 तक किया गया है । वर्ष 2007–08 में 10 लाख पौधों का रोपण लक्ष्य निर्धारित है ।

रतनजोत रोपण :– वर्ष 2004–05, में 16.924 हेक्टेयर, वर्ष 2005–06 में 131.580 एवं वर्ष 2006–07 में 274.970 पौधे कृषकों को प्रदाय कर रतनजोत के पौधे रोपण कराया गया ।

हितग्राही रोपण :– हितग्राहियों को उनकी इच्छा अनुरूप मॉग के अनुसार ऑवला, सवई स्लिप एवं शीशल बुलबिल के 231.40 हेक्टेयर में 13.37 लाख पौधे वितरण कर रोपित कराया गया है ।

सड़क किनारे वृक्षारोपण :– सड़कों के किनारे हरा–भरा बनाने हेतु वर्ष 2006 एवं वर्षा ऋतु वर्ष 2007 में वन विकास निगम के माध्यम से क्रमशः 29.25 कि.मी. एवं 79.227 कि.मी. में वृक्षारोपण किया गया । इस योजनान्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल बी.एस.पी. भिलाई एन.टी.पी.सी., एस.ई.सी.एल. लाफार्ज इंडिया एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के सहयोग से किया गया ।

वर्षा ऋतु वर्ष 2008 हेतु वन विकास निगम के पास सागौन के 1.74 करोड़ बॉस के 35.50 लाख एवं मिश्रित प्रजाति के 4.48 लाख पौधे रोपण हेतु उपलब्ध है ।

अध्याय–10

जल संसाधन

छत्तीसगढ राज्य में जल संसाधनों के उपयोग एवं विकास कार्य

छत्तीसगढ एक कृषि प्रधान राज्य है, प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्र 57.16 लाख हेक्टर तथा निरा बोया गया क्षेत्र 47.70 लाख हेक्टर है। प्रदेश गठन के समय शासकीय स्त्रोतों से 13.28 लाख हेक्टर में सिंचाई क्षेत्र निर्मित हुआ था जो कुल बोया गये क्षेत्र का 23 प्रतिशत है । वर्तमान में 43 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित की जा सकती है । जिसमें सतही जल से 33.80 लाख एवं भू जल से 9.20 लाख हेक्टर सिंचाई की जा सकती है । राज्य गठन के पश्चात 48.90 प्रतिशत के समकक्ष लाने के लिए शासन द्वारा सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी गई है । 11 वीं पंचवर्षीय योजना में जल संसाधन के विकास के लिए 5200.00 करोड़ का प्रस्ताव विचाराधीन है इससे 4 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी । मार्च 2008तक कुल सिंचाई क्षमता 18.07 लाख हेक्टर सृजित करने का लक्ष्य है । 1 नवम्बर 2000 से मार्च 2007 तक 3.94 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता में वृद्धि की गई है । वर्ष 2007–08 में एक मध्यम एवं 31 लघु योजनाओं को पूर्ण किया गया जिससे 41 हजार हेक्टर अतिरक्ति क्षमता का सृजन किया गया । इस तरह निर्मित एवं निर्माणधीन योजनाओं से 17.22 लाख हेक्टर में सिंचाई क्षेत्र सृजन हुआ है जो निरा बोये गये क्षेत्र का 36 प्रतिशत एवं कुल बोये गये क्षेत्र का 30प्रतिशत है ।

वर्तमान में 4 वृहद 33 मध्यम एवं 2232 लघु योजनायें निर्मित है तथा 5 वृहद 8 मध्यम एवं 455 लघु योजनाएँ निर्माणाधीन है साथ ही 67.80 करोड़ रू. से 50 एनीकट का निर्माण प्रगति पर है । वर्ष 2007–08में 282 करोड़ रूपये व्यय करने का अनुमान है ।

सिंचित क्षेत्र :– 1 नवम्बर 2000 को समस्त शासकीय स्त्रोतों से निर्मित सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टर थी राज्य गठन के पश्चात क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि निम्नानुसार है

अवधि	बजट आबंटन (करोड़ रू. में)	निर्मित सिंचाई क्षमता हे.	कुल सिंचाई लाख हें.
नवम्बर 2000 से मार्च 2001	––	12000	13.40
अप्रैल 2001 से मार्च 2002	294.16	71000	14.11
अप्रैल 2002 से मार्च 2003	501.63	42000	14.53
अप्रैल 2003 से मार्च 2004	577.97	98000	15.51
अप्रैल 2004 से मार्च 2005	818.78	75000	16.26
अप्रैल 2005 से मार्च 2006	714.01	55000	16.81
अप्रैल 2006 से मार्च 2007	859.13	61000	17.22

सिंचाई क्षमता हेतु बजट आवंटनः– जल संसाधनों के विकास तथा सिंचाई क्षमता को बढाने हेतु वर्ष 2007–08 में 892.00 करोड रू. की बजट राशि आवंटित की गई ।

बाक्स न–8.1

योजनाएं एवं सिंचित क्षेत्र

- काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत वर्ष 2006–07 में1035 योजनाओं में जलाशय एवं नहर आदि श्रम मूलक कार्य् 130 .66 करोड रूपए की लागत से प्रारंभ किये गये । 23259 हे. क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई तथा 96.39 लाख मानव दिवस के रोजगार अवसर दिये गये ।
- महानदी जलाशय परियोजना की निर्धारित सिंचाई क्षमता 262568 हेक्टर (खरीफ) है । वर्ष 2006–07 में 239431 हेक्टर क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है ।
- पैरी जलाशय परियोजना से वर्ष 2006–07 में 37387 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है ।
- कोडार जलाशय परियोजना के अंतर्गत निर्धारित सिंचाई क्षमता 16754 हे. है । वर्ष 2006–07 में 16006 हे. क्षेत्र में खरीफ की सिंचाई की गई है ।
- जोंक परियोजना से वर्ष 2006–07 में 4328 हेक्टर क्षेत्र के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है ।
- बलार जलाशय परियोजना से वर्ष 2006–07 में 6081 हे. क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है ।
- तान्दुला जलाशय परियोजना से वर्ष 2006–07 में 88598 हे. क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया ।
- मार्च 2007तक सभी परियोजनाओं से 12.24 लाख हे. क्षेत्र में खरीफ फसलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए जिसके तहत 10.12 लाख हे.सिंचाइ के साथ साथ 53 औद्योगिक संयत्रों 1064.38 मिलियन घन मीटर जल प्रदाय किए गए तथा प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए 299.00 मिलियन घन मीटर पेय जल हेतु प्रति वर्ष जल प्रदाय किया जा रहा है ।
- वर्ष 2006–07 में महानदी परियोजना के शेष कार्य हेतु 30.65 करोड़ एवं कोसारटेडा परियोजना (मध्यम) हेतु 45.06 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । साथ ही हसदोबांगो बृहद परियोजना फेस–4 जिसकी लागत 150.00 करोड़ रू. है केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष प्रस्ताव विचाराधीन है ।
- आदिवासी क्षेत्र डी.पी.ए.पी. क्षेत्र की 43 लघु योजनाओं के 119.83 करोड़ रू. की स्वीकृति प्राप्त हुई है सितम्बर 2007 तक 37.14 करोड़ रू. व्यय किया जा कर दो परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है ।

नवीन प्रशासकीय स्वीकृत की योजनाएं :–प्रदेश गठन के उपरान्त नवम्बर 2006–07 तक शासन द्वारा प्रदाय की गई स्वीकृत/पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	प्रकार	संख्या	लागत (करोड़ रू. में)	सिंचाई क्षमता हेक्टर में
1	2	3	4	5
1	सिंचाई योजनाएँ	60	260.11	24965
2	एनीकट	44	418.86	800
	योग	104	678.97	25765

एनीकट निर्माण कार्य योजना :– जल की बढती कमी को ध्यान में रखते हुए नदी नालों पर एनीकट/स्टाप डेम का निर्माण प्रस्तावित है इससे पेयजल सिंचाई उद्योगों के उपयोग हेतु पानी की उपलब्धता पशुओं के लिए पीने का पानी निस्तार की आवश्यकता भू–जल संवर्धन एवं भू–संरक्षण में सहायता होगी । वर्तमान में रू. 67.80 करोड़ की लागत से 50 एनीकट निर्मित किए गए है तथा 118 एनीकट निर्माणाधीन है जिसकी लागत 282 करोड़ है। प्रदेश के विभिन्न नदियों में 595 एनीकट बनाने पर अनुमानित लागत रू. 1657 करोड़ की कार्य योजना तैयार की गई है ।

समस्त स्त्रोतों से वर्ष 2006–07में जलाशयों से सृजित एवं उपयोग सिंचाई निम्नानुसार है :–

(लाख हेक्टर में)

क्र.	परियोजना	सृजित सिंचाई क्षमता	वर्ष 2006–07में वास्तविक सिंचाई
1	वृहद परियोजना	8.91	6.82
2	मध्यम परियोजना	2.45	2.00
3	लघु परियोजना	5.64	2.71
	योग	17.22	11.53

भू–जल स्त्रोतों का उपयोग :– केन्द्रीय भू जल बोर्ड की वर्ष 2005 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में भू–जल स्त्रोतों की बहुत संभवनायें हैं । प्रतिवेदन के अनुसार 35678 एम.सी. एम. की राज्य में उपलब्धता है । इसमें समस्त स्त्रोंतों अभी तक 2792.12 एम.सी.एम. अर्थात 20.4 प्रतिशत जल का उपयोग कृषि एवं अन्य कार्यो के लिए किया जा रहा है । दुर्ग जिले में भू–जल स्तर का समुचित उपयोग किया जा रहा है । जिले में कुल उपलब्धता

760.20 एम.सी.एम है जिसमें से 507.92 एम.सी.एम. का दोहन कर उपयोग किया जा रहा है ।

वर्ष 2005–06 में 19 नये ट्यूबवेल की स्थापना सिंचाई कार्य हेतु की गई है इससे 16265 हे. कृषि क्षेत्र हेतु सिंचाई उपलब्ध कराया जा रहा है । वर्ष 2006–07 में 8 सिंचाई ट्यूबवेल का कार्य प्रगति पर है जिससे 12315 हे. क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी ।

जल उपभोगता संस्था :– चुनाव के पश्चात जून 2000 से सिंचाई की व्यवस्था 945 जल उपयोगिता समितियों को दी गई है जिन्हे तकनीकी सहायता जल संसाधन विभाग की ओर दी जा रही है । ये समितियॉ समस्त नहर प्रणाली के मरम्मत एवं रख–रखाव तथा जल के वितरण एवं समय का निर्धारण कर रही है । इस हेतु मार्च उपभोक्ता संस्थाओं का चुनाव कराकर 1324 जल उपभोक्ता समिति का गठन किया गया है जिसमें वर्तमान व्यवस्था के साथ महिलाओं की भी साझेदारी सुनिश्चित की गई है ।

आयाकट विकास

आयाकट विकास कार्यक्रम :–सिंचाई जल के बेहतर उपयोग के लिए एवं कृषि उत्पादन में बेहतर तालमेल हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना में बृहत मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का विकास कार्य सम्मिलित है इसके अन्तर्गत फील्ड चैनल का निर्माण भूमि समतलीकरण जल निकास, फसल प्रदर्शन, कृषकों के भ्रमण प्रशिक्षण जल व्यवस्था, बाराबन्दी एवं कृषि प्रबंध में सहभागिता आदि कार्य सम्मिलित है । राज्य में दो आयाकट विकास परियोजना यथा–महानदी जलाशय एवं हसदोबांगो परियोजना सम्मिलित है ।

1– फील्ड चैनल का निर्माण:– वर्ष 2006–07 में 4680 हे. क्षेत्र मे फील्ड चैनल का निर्माण एवं 1182 स्ट्रक्चर्स की स्थापना की गई तथा 58516 मीटर लाईनिंग का कार्य किया गया है । इस पर कुल 969.00 लाख रूपये व्यय किया गया । वर्ष 2007–08 में 2651 हे. क्षेत्र में फील्ड चैनल का निर्माण किया गया है जिस पर 140.69 लाख रू. व्यय किए गए हैं साथ ही 423 स्ट्रक्चर के कार्य भी पूरा किया गया है ।

2– कृषकों का भ्रमण प्रशिक्षण :– वर्ष 2006–07 में विकासशील 531 कृषकों को भ्रमण प्रशिक्षण पर ले जाया गया जिस पर 3.92 लाख रूपये व्यय किए गए । वर्ष 2007–08 में 500 कृषकों को अन्य क्षेत्रों में भ्रमण पर भेजने का प्रावधान है ।

3– सहभागिता सिंचाई प्रबंधन :– सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी हेतु समितियों को 600 रू. मरम्मत हेतु प्रति हे. की दर से शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है । जिसमें 540 रूपये शासकीय एवं शेष 60 रू. कृषकों द्वारा वहन किया जा रहा है । वर्ष 2006–07 में

3351 हेक्टर क्षेत्र में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन किया गया । वर्ष 2007–08 में 1678 हेक्टर क्षेत्र में सहभागिता प्रबंधन किया गया है एवं 9.06 लाख रू. व्यय किए गए हैं ।

मिनीमाता (हसदेव) बागों परियोजना :– छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख नदी महानदी की मुख्य सहायक नदी पर बांगो ग्राम के पास प्रमुख बांध एवं कोरबा स्थित बराज के कार्य पूर्ण किए जा चुके है । नहर प्रणाली का आंशिक कार्य शेष है । कार्य पूर्ण होने पर कोरबा चांजगीर चांपा एवं रायगढ़ जिले के 108 ग्रामों की 433500 हेक्टर जिसमें कोरबा जिले की 5969 जांजगीर–चांपां 237120 तथा रायगढ़ जिले 11911 हेक्टर निरा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ उपलब्ध होगा, साथ ही औद्योगिक जल प्रदाय एवं कोरबा नगर निगम को 441 मिलियन घनमीटर जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है । वर्तमान में निर्धारित सिंचाई क्षमता 255000 के विरूद्ध वर्ष 2006–07 में 245407 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की गई है ।

बहुउद्देश्यीय परियोजना द्वारा बांध के नीचे स्थित विद्युत गृहों से 3x40 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी हो रहा है । परियोजना से एन.टी.पी.सी. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल एस.ई.सी.एल बी.पी.सी.एल. आदि उद्योगों के साथ–साथ कोरबा नगर निगम को जल प्रदाय किया जा रहा है । परियोजना की अद्यतन लागत 1551.11 करोड़ है । जून, 2007 तक 1404.84 करोड़ रू. व्यय हो चुका है । मार्च 2007 तक 247400 हेक्टर खरीफ एवं 173180 हेक्टर रबी सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया है । वर्ष 2006–07 में 214399 हेक्टर खरीफ में सिंचाई की गई । वर्ष 2007–08 में 6550.60 लाख का बजट अबंटन उपलब्ध है । माह जून 2007 तक 2417.19 लाख व्यय किया गया एवं 218000 हेक्टर खरीफ सिचांई का लक्ष्य है ।

सैंच्य क्षेत्र में आयाकट के अन्तर्गत दो चरणों में नहर नाली का निर्माण किया गया प्रथम चरण में 99529 हेक्टर दांयी तट नहर प्रणाली में अतिरिक्त क्षमता विकसित की गई । वर्ष 2003–04 में 20829 हेक्टर क्षेत्र में नहर नाली का निर्माण किया गया । साथ ही 2004–05 में 1569.00 लाख की लागत से 17733 हेक्टर क्षेत्र में नहर नाली का निर्माण कराया गया । बांयी तट नहर प्रणाली के अन्तर्गत 138000 हेक्टर में नहर नाली का निर्माण कार्य जल उपभोक्ता संस्थाओं की स्थापना नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है । वर्ष 2007–08 में द्वितीय चरण में बाई तट नहर क्षेत्र में फील्ड चैनल हेतु 1944.00 लाख का आबंटन प्राप्त है । इस हेतु 11794.52 हेक्टर क्षेत्र में 10.14 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है । मार्च 2009 तक नहर आदि में लाईनिंग का कार्य पूर्ण हो जाने से शत–प्रतिशत सिंचाई क्षमता प्राप्त हो सकेगी ।

अध्याय–11

विद्युत उर्जा

विद्युत प्रदाय अधिनियम के अंतर्गत 15 नवम्बर 2000 को ''छत्तीसगढ़'' राज्य विद्युत मण्डल'' का गठन किया गया है एवं नवगठित विद्युत मण्डल ने दिनांक 01 दिसम्बर, 2000 से विधिवत कार्य प्रारंभ किया है।

विगत वित्त वर्ष 2006–07 के दौरान नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यो, लक्ष्य के विरूद्ध अर्जित उपलब्धियों, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति आदि के साथ आगामी वित्त वर्ष 2007–08 हेतु निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों कार्यक्रमों की जानकारी निम्नानुसार है :–

(I) उत्पादन संकाय

(1) विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन :–

मण्डल गठन के समय विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1,360 मेगावॉट थी, वह विगत वर्ष 2006–07 के अंत में बढ़कर 1,423.85 मेगावाट हो गई है। इसमें 1,286 मेगावाट ताप विद्युत की तथा 137.85 मेगावॉट जल विद्युत की स्थापित क्षमता रही।

वित्त वर्ष 2006–07 के दौरान मण्डल द्वारा विद्युत उत्पादन में अनेक किर्तिमान स्थापित किए गए। मण्डल गठन से किसी एक दिन के सर्वोच्च विद्युत उत्पादन में 24 जनवरी 2007 को 30.42 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन कर 99.03 प्रतिशत प्लांट लोड़ फैक्टर (पीएलएफ) अर्जित किया गया, जो कि मण्डल का एक दिन का रिकार्ड विद्युत उत्पादन रहा। मण्डल द्वारा वित्त वर्ष 2006–07 में कुल विद्युत उत्पादन 9,56,69.490 मिलियन यूनिट का रहा, जिसमें ताप विद्युत के 9,056.376 उत्पादन लक्ष्य के विरूद्ध 9,227.490 मि.यू. का वास्तविक ताप विद्युत उत्पादन किया गया, जो कि लक्ष्य से 101.89 प्रतिशत रहा इसी प्रकार से जल विद्युत से कुल 342.00 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन रहा।

(2) ताप संयंत्र उपयोजन गुणांक (पी.यू.एफ) :–

ताप विद्युत उत्पादन में संयंत्रों के कार्य निष्पादन की दक्षता को ''ताप संयंत्र उपयोजन गुणांक'' (प्लांट यूटीलाईजेशन फैक्टर, पी.यू.एफ) के प्रतिशत के रूप में आंका जाता है। मण्डल द्वारा पी.यू.एफ. में लगातार वृद्धि हो रही है। विचाराधीन वर्ष 2006–07 में

मण्डल का ताप विद्युत संयंत्र उपयोजन गुणांक (पी.यू.एफ.) 82.29 प्रतिशत रहा जो कि विगत वर्ष के 79.77 प्रतिशत से 2.52 प्रतिशत अधिक है, साथ ही यह राष्ट्रीय औसत पी.यू.एफ. से कहीं अधिक है। इस प्रकार मण्डल द्वारा विद्युत उत्पादन में वर्ष 2006–07 में उत्कृष्ट कार्य निष्पादित किया गया।

(3) ईंधन खपत :–

ताप विद्युत गृहों द्वारा विद्युत के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले ईंधन–कोयला तथा तेल की खपत में मण्डल गठन से उत्तरोत्तर कमी हो रही है। वित्त वर्ष 2006–07 में प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन में कोयले की 0.775 किलोग्राम विशिष्ट कोल खपत रही, जो कि विगत वर्ष 2005–06 के 0.802 किलोग्राम प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन से पर्याप्त कम है। वही प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले तेल की खपत वर्ष 2006–07 में मात्र 1.30 मिलि लीटर विशिष्ट तेल खपत रही जो कि विगत वर्ष के 1.31 मि.ली. से पर्याप्त कम हैं। इसी प्रकार से जल खपत (डी.एम. वाटर मेकअप) में भी पर्याप्त कमी परिलक्षित हुई है।

(4) राज्य में विद्युत की स्थिति – मांग एवं उपलब्धता :–

राज्य गठन के बाद राज्य में विद्युत की मांग तीव्रत से लगातार बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2006–07 के दौरान राज्य में विद्युत की स्थिति का आंकलन किया जावें तो वर्षावधि में विद्युत की सभी स्त्रोंतों से औसत विद्युत आपूर्ति 1,622 मेगावॉट की गई, जबकि अबाधित विद्युत की औसत मांग 1,686 मेगावॉट रही। इस प्रकार वर्षावधि में मात्र 64 मेगावॉट की औसत लोड शेडिंग की गई, जो कि मांग से मात्र 3.8 प्रतिशत की कमी रही यह राष्ट्रीय औसत विद्युत कमी 8.3 प्रतिशत से बेहतर रही।

वर्षावधि 2006–07 के दौरान मण्डल द्वारा सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति 2,027 मेगावॉट की 27 मार्च 2007 को की गई जबकि विद्युत की समकालिक उच्चतम मांग 2,454 मेगावॉट की 31 मार्च 2007 को रही।

(5) जिर्णोद्धार के कार्य :–

विचाराधीन वित्त वर्ष 2006–07 के दौरान मण्डल द्वारा विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण एवं जिर्णोद्धार के अनेक कार्य किए गए। जिसमें हसेदव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम के संयंत्रों के लिए प्रेशर रिडयूसिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के आधुनिकीकरण के कार्य महत्वपूर्ण है।

(6) निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित नई विद्युत परियोजनाएं :–

मण्डल में वित्त वर्ष 2006–07 के अंत में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार रही –

वर्ष 2006–07 में 2x250 मेगावॉट कोरबा पूर्व ताप विद्युत परियोजना –चरण पांच की इकाई क्रमांक 1 के निर्माण कार्य पूर्ण कर बायलर लाईट अप जनवरी 2007 को किया गया तथा मार्च 2007 में इसे सिंक्रोनाईज किया गया। इस परियोजना की इकाई क्रमांक–2 के विभिन्न निर्माण कार्य वर्षावधि में प्रगति पर रहे। इस परियोजना की प्रथम इकाई आगामी जनवरी 2008 से तथा द्वितीय इकाई से आगामी मार्च 2008 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है।

वर्षावधि 2006–07 में 6 मेगावॉट को–जनरेशन परियोजना, कवर्धा को अगस्त 2006 में सिंक्रो नाईज कर सितम्बर 2006 को लोकार्पित किया गया।

रायपुर जिले में पैरी नदी पर बने सिकासार बांध के नीचे निर्माणाधीन 2x3.5 मेगावॉट सिकासार जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण कर सितम्बर 2006 को सिंक्रोनाईज तथा नवम्बर 2006 को लोकार्पित किया गया है।

(7) उपकेन्द्र निर्माण –

मण्डल के गठन वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्चदाब एवं उच्च दाब उपकेन्द्रों तथा वितरण ट्रांसफॉर्मरों की कुल संख्या मात्र 29,967 थी तथा इनकी संयुक्त क्षमता 6,779 एम.व्ही.ए. थी जो कि विगत सात वर्षो में बढ़कर वर्ष 2006–07 के अंत की स्थिति में कुल 48,676 हो गई है तथा इनकी संयुक्त क्षमता 13,567 एम.व्ही.ए. हो गई है।

मण्डल में वित्त वर्ष 2006–07 के वर्षांत की स्थिति में ताप तथा जल विद्युत की प्रस्तावित परियोजनाएं निम्नानुसार रही :–

क्र.	प्रस्तावित विद्युत परियोजना	प्रस्तावित स्थापित क्षमता (मेगावॉट)	पूर्णता की संभावित वर्ष
	I - <u>प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना</u> –		
1.	कोरबा पश्चिम ताप विद्युत परि. चरण तीन	2 x (250-300)	2010-2011
2.	भैयाथान ताप विद्युत परियोजना	3 x 500	2011-2012
3.	मड़वा ताप विद्युत परियोजना	2 x 500	2010-2011
4.	कोरबा दक्षिण ताप विद्युत परियोजना	2 x 500	2011
5.	इफको छत्तीसगढ़ संयुक्त उपक्रम	2 x 500	2011
6.	रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना (मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड)	4 x 500	2007-2008
7.	पथाड़ी ताप विद्युत परियोजना (मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्रा.लि.)	2 x 300 + 20%	-

	II - <u>प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना</u> –		
8.	बोधघाट जल विद्युत परियोजना	4 x 125	-
9.	मटनार जल विद्युत परियोजना	3 x 20	11वीं पंचवर्षीय योजना
	III - <u>प्रस्तावित अन्य निजी उपक्रम/एम.ओ.यू.</u>		
10.	वर्षावधि में कुल 19 निजी उपक्रमों से एम.ओ.यू.	13,185	-

(II) पारेषण एवं वितरण संकाय –

मण्डल द्वारा वित्त वर्ष 2006–07 के दौरान पारेषण, उप–पारेषण तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन के अनेक कार्य किए गए, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

वित्त वर्ष 2006–07 के दौरान मण्डल द्वारा उपकेन्द्र स्थापना की वोल्टेज अनुपात अनुसार जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रों की संख्या	
		विगत वर्ष 2005–06 की स्थिति में	वर्ष 2006–07 की स्थिति में
1.	400 के.व्ही. उपकेन्द्र (संख्या)	1	1
2.	220 के.व्ही. उपकेन्द्र	8	11
3.	132 के.व्ही. उपकेन्द्र	40	43
4.	एच.व्ही.डी.सी. उपकेन्द्र	1	1
5.	33 के.व्ही. उपकेन्द्र	469	510
6.	11 के.व्ही. उपकेन्द्र	43,144	48,110
योग		**43,663**	**48,676**

(8) विद्युत लाईनों का निर्माण –

मण्डल गठन वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्चदाब, उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल विद्युत लाईने 1,04,064 कि.मी. थी वह सात वर्षो में बढ़कर वर्ष 2006–07 में 1,50,062 कि.मी. हो गई है।

मण्डल द्वारा विचाराधीन वर्ष 2006–07 के दौरान अति उच्चदाब, उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल 13,073 कि.मी. की नई विद्युत लाईनों के निर्माण से वर्षांत की स्थिति में कुल 1,50,062 कि.मी. की विद्युत लाईनें विद्यमान थी। इस प्रकार वर्षावधि में 9.5 प्रतिशत की विद्युत लाईनों में वृद्धि हुई।

विद्युत प्रणाली की सामान्य वोल्टेज अनुपात अनुसार वर्ष 2006–07 की स्थिति में विद्युत लाईनों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वोल्टेज (के.व्ही.)	31 मार्च 2006 की स्थिति में	2006–07 में वृद्धि	31 मार्च 2007 की स्थिति में
	I – अति उच्चदाब लाईने			
1.	400 के.व्ही. लाईने	277	–	277
2.	220 के.व्ही. लाईने	1,685	468	2,153
3.	132 के.व्ही. लाईने	3,709	217	3,926
4.	एच.व्ही.डी.सी. लाईने	360	–	360
	कुल अति उच्चदाब लाईनें	6,031	685	6,716
	II – उच्चदाब लाईने			
5.	33 के.व्ही. लाईनें	10,521	894	11,415
6.	11 के.व्ही.लाईनें	48,401	3,163	51,564
	कुल उच्चदाब लाईनें	58,922	4,057	62,979
	III – निम्नदाब लाईनें			
7.	400–230 वोल्ट्स	72,036	8,331	80,367
		1,36,989	13,073	1,50,062

(9) सामान्य विकास कार्य –

मण्डल द्वारा उप–पारेषण तथा वितरण हेतु सामान्य विकास योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2006–07 में निम्नलिखित विकास कार्य किए गए :–

सामान्य विकास योजनांतर्गत वर्ष 2006–07 की उपलब्धि

क्र.	विवरण	इकाई	उपलब्धि
1.	33 केव्ही लाईन निर्माण	किमी	243.45
2.	11 केव्ही लाईन निर्माण	किमी	409.77
3.	सेवाओं के लिये वितरण लाईनें (नये कनेक्शनों के लिये)	किमी	394.752 54.053 (कनवर्सन)
4.	सड़क बत्ती हेतु वितरण लाईन	किमी	79.44 23.18 (कनवर्सन)

5.	सड़क बत्तियां (बिन्दु)	संख्या	2304
6.	नये वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	1179
7.	वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि	संख्या	692
8.	**प्रदाय किये गये कनेक्शन** 1–सिंगल फेस	संख्या	70273
	2–थ्री फेस	संख्या	6200
9.	उच्चदाब कनेक्शन	संख्या	167

(10) आगामी वर्ष हेतु उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली कार्यो का लक्ष्य :–

मण्डल द्वारा उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने एवं पूरे सिस्टम में इनर्जी ऑडिट के लिये आवष्यक उपकरणों की स्थापना हेतु आगामी वर्ष 2007–08 में रूपये 370 करोड़ व्यय का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यो को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है :–

क्र.	विवरण	इकाई	लक्ष्य
1.	33 केव्ही लाईन निर्माण	किमी	1200
2.	11 केव्ही लाईन निर्माण	किमी	4000
3.	33/11 केव्ही उपकेन्द्र	संख्या	100
4.	33/11 केव्ही उपकेन्द्रों में क्षमता वृद्धि	संख्या	40
5.	11/04 केव्ही उपकेन्द्र	संख्या	5000
6.	11/04 केव्ही उपकेन्द्रों में क्षमता वृद्धि	संख्या	500

(10) ग्रामीण विद्युतीकरण :–

जनगणना 2001 के अनुसार राज्य में कुल 19744 ग्रामों में से वित्त वर्ष 2006–07 के अंत की स्थिति में 18830 ग्राम विद्युतीकृत हैं। वर्ष 2006–07 में कुल 22 ग्रामों का विद्युतीकरण परंपरागत तरीके से एवं 199 ग्रामों का विद्युतीकरण गैर परंपरागत तरीके से किया गया है जिनमें से मण्डल द्वारा 25 एवं क्रेडा द्वारा 174 इस प्रकार वर्ष के दौरान राज्य में कुल 221 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। राज्य में 2001 की जनगणनानुसार ग्राम विद्युतीकरण का स्तर 95.37 प्रतिशत रहा।

जनगणना 2001 के अनुसार वित्त वर्ष 2006–07 के अंत की स्थिति में राज्य में कुल 914 अविद्युतीकृत ग्राम हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार की नीति के अनुरूप 11वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् मार्च 2012 तक विद्युतीकृत किया जाना है। 914 अविद्युतीकृत ग्रामों में से 823 ग्रामों

जिनमें वनबाधा होने के कारण परंपरागत विधि से विद्युत लाईन खींचकर विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है। वनबांधा रहित 91 ग्रामों में से 20 ग्रामों को, मण्डल के स्वयं के संसाधनों से विद्युतीकरण किये जाने हेतु वर्ष 2007–08 के लक्ष्य में शामिल किया गया हैं। शेष 71 ग्रामों का विद्युतीकरण ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण'' कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना है।

(11) मजरा–टोला विद्युतीकरण :–

जनगणना 1971 के पश्चात् राज्य में मजरा–टोलों की संख्या संबंधी वास्तविक जानकारी किसी भी जनगणना विवरण में उपलब्ध नहीं है। अपितु जनगणना 2001 की विवरणी में राज्य में कुल रहवासी क्षेत्रों का उल्लेख जरूर किया गया है। उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मजरा–टोलों की संख्या 35096 अनुमानित है।

विचाराधीन वर्ष में 1319 मजरा–टोलों को विद्युतीकृत किया गया है, जिससे वर्ष 2006–07 के अंत तक की स्थिति में कुल 18294 मजरा–टोला अर्थात् राज्य में 52.13 प्रतिषत मजरा–टोलों के विद्युतीकरण का स्तर हो गया है। केन्द्र शासन की नीति के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य के सभी घरों तक विद्युत व्यवस्था उपलब्ध करायी जाना है, जिसकी विस्तृत योजना बनाई जा रही है। आगामी वर्ष 2007–08 में मण्डल के स्वयं के संसाधनों से कुल 1500 मजरा–टोलों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। शेष मजरों/टोलों का विद्युतीकरण ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम'' के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जावेगा।

(12) पम्पों का ऊर्जीकरण :–

वित्त वर्ष 2006–07 के दौरान 34,417 पम्पों के लिए लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किए गए तथा 30,665 पम्पों को ऊर्जीकृत किया गया। इन्हें शामिल करते हुए वर्ष 2006–07 के अंत तक राज्य में कुल 1,67,511 पम्पों के लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किए गये तथा 1,59,662 पम्पों को ऊर्जीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त वर्षांत में 1998 अर्द्धस्थायी पम्प कनेक्षन विद्यमान थे।

(13) किसान समृद्धि योजना (इंदिरा खेत गंगा योजना) :–

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002 में इंदिरा खेत गंगा योजना के नाम से एक योजना चालू की गई है (वर्तमान में यह योजना **किसान समृद्धि योजना** के नाम से जानी जाती है), जिसके अंतर्गत अल्प वर्षा (वृष्टि छाया) वाले जिलों में नलकूप खनन एवं उनमें पम्प ऊर्जीकरण के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना पांच जिलों में लागू है। इस योजना को वर्तमान में लघु एवं सीमांत कृषकों तक सीमित कर

नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु विद्युत लाईनों के विस्तार पर आने वाले व्यय की अधिकतम राषि रूपये 50,000/– प्रति पम्प निर्धारित की गई है, जिसमें रूपये 40,000/– मण्डल द्वारा वहन की जाती है तथा शेष रूपये 10,000/– की राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

विचाराधीन वर्ष 2006–07 में इस योजना के तहत कुल 2,306 नलकूपों के विद्यतुीकरण के कार्यो हेतु विद्युत लाईनों को विस्तारित किया गया । इस प्रकार वर्षांत तक कुल 7,320 नलकूपों/पम्पों के लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किए गए ।

(14) इंदिरा ग्राम गंगा योजना :–

ग्रीष्म ऋतु में प्रायः ग्रामों के तालाबों में पानी सूख जाने से ग्रामों में निस्तारी के लिये होने वाली कठिनाई को देखते हुये वर्ष 2001 में राज्य शासन द्वारा इंदिरा ग्राम गंगा योजना लागू की गई।

इस अभिनव योजना के अंतर्गत गांव के तालाबों के समीप ही नलकूप खनन कर विद्युत पम्प के माध्यम से तालाब में पानी भरा जाता है। खनित नलकूपों पर विद्युत पम्प कनेक्शन दिये जाने हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों से आवेदन प्राप्त होने पर विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक कार्यों के प्राक्कलन की स्वीकृति के उपरांत सरपंच द्वारा संपूर्ण लागत का भुगतान करने तथा अनुबंध निष्पादित किए जाने के पश्चात् यथा शीघ्र विद्युत कनेक्शन दिए जाते हैं। इस योजनांतर्गत दिए गए पम्प कनेक्शनों को कृषि दर पर बिलिंग किया जाता है।

विचाराधीन वर्ष के दौरान इस योजना अंतर्गत कुल 05 पम्पों के विद्युतीकरण के लिए लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किए गए हैं। इन्हें शामिल कर योजना लागू होने के बाद से वर्ष 2006–07 के अंत तक कुल 665 पम्पों के लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किए गए ।

(15) बी.पी.एल. कनेक्शन :–

राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को बी.पी.एल. कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है। उपरोक्त श्रेणी में आने वाले ग्रामवासियों को जिनके घर, मण्डल की विद्यमान निम्नदाब लााईन से अधिकतम 30 मीटर की दूरी के भीतर है, उनसे सर्विस कनेक्शन चार्ज तथा सुरक्षा निधि जमा कराये बगैर बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदाय किये जाते हैं। विचाराधीन वर्ष के दौरान कुल 39,655 बी.पी.एल. कनेक्शन उपरोक्त श्रेणी के परिवारों को प्रदाय किये गये।

(16) पारेषण एवं वितरण हानियां :–

वर्ष 2006–07 में कुल पारेषण एवं वितरण हानि का प्रतिशत 29.02 रहा । वर्ष 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06 में पारेषण एवं वितरण हानि का प्रतिशत क्रमशः 33.76, 30.50 एवं 31.06 एवं 29.16 प्रतिशत था। वर्ष 2007–08 में 3 प्रतिशत हानि कम करने का लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाओं प्रस्तावित है।

(17) विद्युत उपभोक्ता :–

वर्ष 2006–07 के अंत में निम्नदाब उपभोक्ताओं की संख्या 25.35 लाख है जो कि वर्ष 2005–06 की तुलना में 5.31 प्रतिशत अधिक है। इनमें से 16.03 लाख उपभोक्ता अर्थात 63.23 प्रतिशत ग्रामीण उपभोक्ता है जो कि विगत वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की तुलना में 5.80 प्रतिशत अधिक है।

कुल उपभोक्ताओं की संख्या में से वर्ष 2006–07 के अंत में हितग्राही उपभोक्ताओं का एकलबत्ती में 34.24 प्रतिशत एवं कृषि हितग्राही उपभोक्ताओं का 1.04 प्रतिशत है जो कि वर्ष 2005–06 के अंत में क्रमश,ाः 34.20 एवं 0.88 प्रतिशत था।

(18) विद्युत उपभोग का स्वरूप :–

वर्ष 2006–2007 में राज्य की समस्त प्रकार की उपभोक्ताओं द्वारा कुल 9441.89 मि. यू. विद्युत की खपत की गई, जो विगत वर्ष 2005–06 की 8855.78 मि.यू. की तुलना से 586.11 मि.यू. अधिक है तथा उपभोक्ताओं की विद्युत खपत में 5626.54 मि.यूनिट उच्चदाब उपभोक्ताओं की तथा निम्नदाब उपभोक्ता द्वारा 3815.35 मि.यू. में से 3446.91 मि.यू. ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता द्वारा की गई, जो कुल खपत की 36.51 है। इसी प्रकार वर्ष 2006–07 में राज्य में निम्नदाब उपभोक्ताओं को 3815.35 मिलियन यूनिट बिजली विक्रित की गई जो कि वर्ष 2005–06 की तुलना में 4.30 प्रतिषत अधिक है। राज्य में विक्रय की गई बिजली का 53.77 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है।

राज्य में विक्रय की गई बिजली में से 17.20 प्रतिषत घरेलू, 3.20 प्रतिशत गैर घरेलू, 63.15 प्रतिशत औद्योगिक, 14.91 प्रतिशत कृषि, एवं 1.54 प्रतिशत सार्वजनिक उपभोग (जलकल एवं सड़कबत्ती) के मद में रहा। ग्रामीण क्षेत्र में इन मदों का हिस्सा क्रमशः 20.35 प्रतिशत, 1.27 प्रतिशत, 43.47 प्रतिशत, 34.16 प्रतिशत एवं 0.73 प्रतिशत पाया गया।

कुल खपत में से वर्ष 2006–07 में हितग्राही बी.पी.एल. उपभोक्ताओं की खपत 9.98 प्रतिशत एवं हितग्राही कृषि पंप उपभोक्ताओं की खपत 6.08 प्रतिशत आंकी गई जो कि वर्ष 2005–06 में क्रमशः 9.20 प्रतिशत एवं 6.39 प्रतिशत थी। इसी प्रकार वर्ष 2006–07 में कुल खपत का ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही बी.पी.एल. एवं हितग्राही कृषि पंप उपभोक्ताओं की

खपत 8.75 प्रतिशत एवं 5.37 प्रतिशत रही जो कि वर्ष 2005–06 में क्रमशः 7.90 प्रतिशत एवं 5.65 प्रतिशत थी।

(19) राजस्व संग्रहण :–

वर्ष 2006–07 में राज्य की उपभोक्ताओं से कुल रू. 3378.59 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया।

(20) बकाया राशि :–

वर्ष 2006–07 के अंत में विद्युत उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकाया राशि कुल रूपये 1412.86 करोड़ है, जिस में से रूपये 866.25 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के विरूद्ध है, इसी प्रकार निम्नदाब उपभोक्ताओं के विरूद्ध कुल बकाया राशि रू. 239.10 करोड़ है जिसमें से कुल राशि का 44.00 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के विरूद्ध पायाा गया। कुल राशि में से राज्य शासन के विभिन्न विभागों पर रू. 13.16 करोड़ एवं सार्वजनिक उपक्रमों पर रू. 19.97 करोड़ राशि बकाया है।

(21) विद्युत चोरी की रोकथाम :–

विद्युत की चोरी रोकने के लिए मण्डल द्वारा मुख्यालय रायपुर में मुख्य सतर्कता अधिकारी की पदस्थापना की गई है, जिसमें मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की गई है। मुख्य सतर्कता अधिकारी के अधीनस्थ विभिन्न संचा/संधा वृत्तों में कार्यपालन अभियंता (सतर्कता) की पदस्थापना की गई है जो कि नियमित एवं विशेष अभियानों के तहत पूरे वर्ष उपभोक्ता परिसरों की जांच का कार्य करते हैं। सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष 2006–07 में कुल 25017 कनेक्शनों की जांच की गई जिसमें से 7673 कनेक्शनों में चोरी/अनियमिततायें पाई गई जिनके विरूद्ध रू. 17.02 करोड़ के अतिरिक्त बिल जारी किये गये एवं रू. 8.93 करोड़ की वसूली की गई।

इसके अतिरिक्त संचा –संधा/नगर संभागों के मैदानी अधिकारियों द्वारा वर्ष में 80026 कनेक्शनों की जांच की गई जिनमें से 17567 प्रकरण चोरी/अनियमितताओं के पाये गये जिनके विरूद्ध रू. 4.94 करोड़ की मांग राशि में से रू. 3.41 करोड़ की वसूली की गई। इस प्रकार कुल 25240 प्रकरणों के विरूद्ध रू. 21.96 करोड़ की अतिरिक्त मांग राशि पत्रक जारी किये गये एवं कुल रू. 12.34 करोड़ की वसूली की गई।

(22) बंद एवं खराब मीटर बदलना एवं शत्प्रतिशत मीटरीकरण :–

मार्च 2006 की स्थिति में कुल 1632397 मीटरयुक्त कनेक्शनों में से 118794 (7.28 प्रतिशत) मीटर बंद/खराब थे । वर्ष 2006–07 में 106085 मीटर बंद/खराब पाये गये एवं कुल 174007 मीटर बदले गये । मार्च 2007 की स्थिति में कुल 1796921

मीटरयुक्त कनेक्शनों में से 57022 मीटर बंद/खराब है जो कि कुल कनेक्शन का 3.17 प्रतिशत है। मार्च 2006 की स्थिति में कुल 676957 (84.17 प्रतिशत) कृषि पंप कनेक्शन मीटर विहीन थे। मार्च 2007 की स्थिति में 269912 बी.पी.एल. एवं 43128 कृषि पंपों को मीटरीकृत किया जा चुका है एवं सितम्बर 2008 तक शतप्रतिशत मीटरिंग का लक्ष्य रखा गया है।

अध्याय–12

उद्योग

भिलाई इस्पात संयत्र : छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थापित भिलाई इस्पात संयत्र सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख प्रतिष्ठान है । इस संयंत्र ने अपनी श्रम शक्ति का भरपूर एवं सफलतम उपयोग करते हुये बीते वर्षों की तरह वित्त वर्ष 2006–07 में भी इस्पात उत्पादन, विक्रय एवं लाभार्जन के क्षेत्र में अनेक नये कीर्तिमान स्थापित किये । इस संयंत्र को अब तक 7 बार उत्कृष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिये दी जाने वाली प्रधानमंत्री टाफी से पुरस्कृत किया गया है इसके अलावा समय समय पर उत्पादकता, गुणवत्ता, सुझाव, सुरक्षा, पर्यावरण, क्रिडा आदि क्षेत्रों में भी भिलाई का नाम देश में प्रसिद्व है ।

वर्ष 2006–07 की अवधि में संयत्र ने 4.82 मिलियन टन हाट मेटल, 4.80 मिलियन टन क्रूड स्टील व 4.22 मिलियन टन क्रय योग्य इस्पात उत्पादन किया जोकि इन उत्पादों की मापित छमता से क्रमशः 18प्रतिशत 22प्रतिशत 34प्रतिशत अधिक है । यह एक मात्र संयत्र है जिसने देश में लगातार विगत 14 वर्षों सें विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन अपनी मापित क्षमता से अधिक किया है । इस वर्ष 2006–07 में 3.3 मिलियन टन सिनटन, 140 हजार टन इलेक्ट्रोड क्वालिटी वायर राडस, 2.42 मिलियन टन का एस. एम. एस. –2 से क्रूड स्टील 937.6 हजार टन रेल एवं स्ट्रक्चरल 1138 हजार टन परिसज्जित इस्पात एवं 880 हजार टन परिसज्जित यू. टी. एस. –90 रेल पातों का उत्पादन आदि अनेक कीर्तिमान स्थापित किये गये ।

मुख्य परियोजना

1 प्रोद्योगिकीय उन्नयन करके धमनभटटी–7 की क्षमता 4430 टन प्रतिदिन कर दी गई है । इसकी क्षमता पहने 2658 टन प्रतिदिन थी ।

2 वायर राड मिल के स्टेण्ड–ब का आधुनिकीकरण किया गया ।

3 पावर प्लांट 1 में 15 मेगावाट का एक टरबो जनरेटर–3 का संस्थापन किया गया ।

तकनीकी एवं आर्थिक पैरामीटर में लगातार सुधार की कड़ी में 1134.8 मेटेलिक निवेश प्रतिटन कुड इस्पात, अधिकतम कन्वर्टर लाइनिंग लाइफ 5564 एवं अधिकतम हीट्स आर एच डीगैसर के द्वारा 8929 विशेष रूप से उल्लेखनीय है । विषम परिस्थितियों में लागत मूल्यों में वृद्वि के बावजूद संयंत्र ने वर्ष 2006–07 में 4272 करोड का शुद्व लाभ अर्जित किया जो कि गतवर्ष के लाभ की तुलना में 154 प्रतिशत अधिक है ।

वर्ष 2007–08 के लिए 5.7 मिलियन टन गलित धातु 5.3 मिलियन टन क्रूड इस्पात व 4.565 मिलियन विक्रय योग्य इस्पात का लक्ष्य रखा गया है । इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिये तकनीकी / आर्थिक पैरामीटरों में भी युक्तिसंगत लक्ष्य तय किये गये हैं । अप्रैल से सितम्बर 07 की अवधि तक संयत्र ने 2.45 मिलियन टन गलित धातु (हाट मेटल) 2.37 मिलियन टन अपरिस्कृत इस्पात (क्रूड स्टील) व 2.079 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन किया है । इसी अवधि में संयत्र ने भारतीय रेल्वे को 3.86 लाख से अधिक यू.टी.एस–90 रेल पांतो का उत्पादन किया है । मर्चेंट, वायर राडस, प्लेट एवं परिसज्जित (फिनिस्ड) इस्पात का उत्पादन क्रमशः 3.529 लाख, 3.075 लाख, 6.348 लाख तथा 17.582 लाख टन किया गया जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा क्रमशः 20.5, 26.4, 9.0 एवं 11.6 प्रतिशत अधिक है ।

भारत एल्यूमीनियम कंपनी, लिमिटेड, कोरबा : बालको संयंत्र की अधिष्ठापित वार्षिक उत्पादन क्षमता 1 लाख मेट्रिक टन (संयंत्र–1) एवं 2.5 लाख मेट्रिक टन (संयंत्र–2) अर्थात कुल 3.45 लाख मेट्रिक टन एल्युमूनियम धातु की है ।

नये स्मेल्टर संयत्र में बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बालको ने 270 मेगावाट का निजी संयंत्र पहले से है । बालकों (संयंत्र–2) विद्युत आवश्यकताओं पूरा करने के लिये 540 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र बनाया गया । जो अब पूरी क्षमता पर प्रचालन में है ।

बालकों (संयंत्र–1) में बाजार के मांग के अनुरूप गुणवत्ता युक्त उत्पादन तैयार करने के लिये आधुनिकीकरण की अनेक योजनाओं पर कार्य पूरा होने से साकारात्मक परिणाम भी मिलने लगे है । एल्यूमिना संयंत्र की स्थापित उत्पादन क्षमता 2 लाख मेट्रिक टन है जिसमें वर्ष 2005–06 में 217270 मेट्रिक टन हाइड्रेट का उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2006–07 में बढ़कर यह 226765 मेंट्रिक टन एल्यूमिना हाइड्रेट का उत्पादन हुआ जो अभी तक सार्वाधिक उत्पादन का रिकार्ड है । इसीतरह केल्साईल्ड एल्यूमिना का उत्पादन वर्ष 2005–06 में 219485 मेट्रिक टन के मुकाबले वर्ष 2006–07 में 222395 मेट्रिक टन हुआ ।

वर्ष 2005–06 की अवधि में सर्वाधिक उत्पादन 173743 मे. टन विक्री योग्य एल्यूमीनियम धातु का उत्पादन के मुकाबले वर्ष 2006–07 में 313189 मेट्रिक टन एल्यूमीनियम धातु का उत्पादन हुआ है ।

भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा का उत्पादन एवं मूल्य

(उत्पादन मेट्रिक टन में) (मूल्य लाख रूपयों में)

वर्ष	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी, कोरबा का उत्पादन एवं मूल्य							
	इन्गाट्स		प्रापजी राडस		रोल्ड उत्पादन		योग	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2002–03	20490	12922	47490	29947	27510	18272	**95490**	**61141**
2003–04	13149	11834	48243	44865	35696	35696	**97088**	**92395**
2004–05	6342	5707	34551	32132	31803	31803	**72696**	**69642**
2005–06	46462	47251	63302	645255	50391	58456	**160155**	**170232**
2006–07	184482	249832	72948	112263	57572	93366	**315002**	**455461**

विक्रयः– वर्ष के दौरान विक्री योग्य एल्यूमीनियम का उत्पादन 173743 मे.टन वर्ष 2005–06 के दौरान किया गया जिसमें इन्गाट्स एल्यूमीनियम 58750 मी.टन प्रापजी राड्स 64602 मे. टन एवं रोल्ड उत्पादन 50391 मे.टन हुआ ।

वाणिज्य एवं उद्योग विभागः

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती म.प्र. शासन द्वारा स्थापित म.प्र. औद्योगिक विकास निगम रायपुर को छत्तीसगढ़ स्टेट इन्ड्रस्टियल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के रूप में गठित किया गया है । इस निगम के रायपुर, बिलासपुर तथा दुर्ग में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित है ।

राज्य में औद्योगिक प्रगति की स्थिति निम्नानुसार है :–

1. औद्योगिक नीति :–

राज्य की नवीन औद्योगिक नीति (2004–09) का प्रमुख उद्देश्य राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग राज्य में ही वैल्यू एडीशन के लिये करना और प्रदेश के सभी जिलों में तेजी से उद्योगों की स्थापना कर रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना है ।

2. राज्य में औद्योगिक पूंजी निवेश :–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना :–

राज्य गठन के पश्चात् दिसंबर, 2007 तक 106 वृहद/मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई है इसमें रू. 5193.31 करोड़ का स्थायी पूंजी निवेश एवं 18473 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है ।

(ब) लघु उद्योगों की स्थापना :–

वर्ष 2007–2008 में माह अक्टूबर 07 तक 332 लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित किये गये जिनमें रू. 8813.11 लाख का पूंजी निवेश किया गया तथा 3956 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ । इनमें से 08 लघु एवं कुटीर उद्योग अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा रू. 43.61 लाख के पूंजी निवेश से स्थापित किये गये तथा इनमें 79व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ । इसी तरह से 07 लघु एवं कुटीर उद्योग अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा रू. 20.20 लाख के पूंजी निवेश से स्थापित किये गये तथा इनमें 50 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ ।

(स) एम.ओ.यू. का निष्पादन :–

राज्य गठन के पश्चात शासन के साथ 67 एम.ओ.यू. का निष्पादन किया गया जिसमें 24 उत्पादनरत है तथा 30 ईकाइयाँ स्थापनाधीन है जिसमें 15000 करोड़ का वास्तविक निवेश हो चुका है ।

(द) सहायक उद्योगों की स्थापना : राज्य गठन तक भिलाई इस्पात संयत्र, साऊथ ईस्टन कोल्ड फील्ड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, भारत एल्यूमीनियम कम्पनी व राष्ट्रीय खनिज निगम के 272 सहायक उद्योग स्थापित थे । राज्य गठन के पश्चात भिलाई इस्पात संयत्र के 194 व साऊथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड के 59 तथा 03 एन. एम.डी. सी. उत्पादों के लिए सहायक उद्योगो की स्थापना है ।

(ई). प्रधानमंत्री रोजगार योजना :–

वित्तीय वर्ष 2007–2008 में इस योजना के तहत् 6300 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ । माह नवंबर, 2007 तक 11870 प्रकरण प्रेषित किये गये बैंक शाखाओं द्वारा 3640 प्रकरणों में रू. 3093.38 लाख का ऋण स्वीकृत हुआ तथा 695 प्रकरणों में रू. 489.02 लाख का ऋण वितरण की कार्यवाही बैंको द्वारा की गई ।

5. औद्योगिक अधोसंरचना का विकास :–

बाक्स नं–10.1

नवीन औद्योगिक क्षेत्र

	भौतिक प्रगति	वित्तीय स्थिति
बिलासपुर (दगोरी)	चयनित भूमि–795.920 हेक्टेयर	पुनर्वास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में विचाराधीन है ।
रायगढ़ (लारा)	चयनित भूमि–1465.847 हेक्टेयर	पुनर्वास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में विचाराधीन है ।
रायपुर (तिल्दा)	चयनित भूमि–2502.561 हेक्टेयर	पुनर्वास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में विचाराधीन है ।
राजनांदगॉव (जोरातराई)	आधिपत्य प्राप्त–2089.161 हेक्टेयर	भूमि के अर्जन हेतु 698.288 हेक्टेयर भू अर्जन की धारा 06 की अधिसूचना जारी ।

प्रस्तावित लघु औद्योगिक क्षेत्र

बिलासपुर (तिफरा)	प्रस्तावित भूमि 57.397 हे. 35.653 शासकीय भूमि एवं 21.744 निजी भूमि	अधोसंरचना निर्माण का कार्य प्रगति पर है भूमि आबंटन भी किया जा रहा है ।
धमतरी (श्यामतराई)	प्रस्तावित भूमि 34.820 हे. 8.830 शासकीय भूमि एवं 25.990 निजी भूमि	अधोसंरचना निर्माण का कार्य प्रगति पर है भूमि आबंटन भी किया जा रहा है ।
दन्तेवाड़ा (टेकनार)	प्रस्तावित भूमि 19.27 हे. 19.27 शासकीय भूमि एवं 0.000 निजी भूमि	अधोसंरचना निर्माण का कार्य प्रगति पर है भूमि आबंटन भी किया जा रहा है ।
रायपुर (बेलटुकरी)	प्रस्तावित भूमि 79.736 हे. 79.736 शासकीय भूमि एवं 0.000 निजी भूमि	अधोसंरचना निर्माण का कार्य प्रगति पर है भूमि आबंटन भी किया जा रहा है ।

ब. अपरेल पार्क (इन्ट्रीग्रेडेट टैक्सटाईल्स पार्क):–इन्ट्रीग्रेडेट टैक्सटाईल्स पार्क की स्थापना हेतु ग्राम धनसुली एवं सकरी जिला–रायपुर बलोदाबाजार रोड में 84.395 हेक्टर (67.755 हेक्टर निजीभूमि एवं 16.538 हेक्टर शासकीय भूमि) में प्रस्तावित है । भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है ।

स. हर्बल/मेडिसिनल पार्क:– ग्राम बंजारी एवं बालोद तहसील कुरूद जिला धमतरी में लगभग 200 एकड़ भूमि पर हर्बल/मेडिसनल पार्क की स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है । यह पार्क पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत विकसित किया जायेगा। अधोसंरचना विकास हेतु परियोजना लागत लगभग 62.00 करोड़ होगी ।

द. फुड प्रोसेंसिंग पार्क :– ग्राम इन्दावनी जिला–राजनांदगांव में 75 एकड़ में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के तहत फुड प्रोसेंसिंग पार्क की स्थापना प्रस्तावित है । अधोसंरचना विकास हेतु परियोजना लागत लगभग 31.00 करोड़ होगी ।

इ. जेम्स एण्ड ज्वेलरी एस.ई.जेडः–नई राजधानी क्षेत्र रायपुर में लगभग 70 एकड़ में जेम्स एण्ड ज्वेलरी एस.ई.जेड पार्क की स्थापना पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत किया जाना है । इसकी परियोजना लागत लगभग 170.00 करोड़ होगी ।

औद्योगिक विकास केन्द्रों की प्रगति : राज्य के औद्यागिक विकास केन्द्रो में प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	विकास केन्द्र का नाम	विकास केन्द्र का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	उपलब्ध भूमि (हेक्टर में)	स्थापित उद्योग		
				संख्या	अनुमानित पूंजी निवेश (करोड़ो में)	रोजगार संख्या
1	सिलतरा	1676.00	1260.00	53	717.89	2883
2	बोरई	800.00	436.84	47	172.00	1679
3	उरला	302.17	232.41	320	500.00	11808
4	सिरगिट्टी	449.39	371.56	190	100.00	5098

विकास केन्द्रो में बैकिग सुविधा, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र, विद्युत उपकेन्द्र, पुलिस थाना, जलप्रदाय सुविधा, शॉपिग कॉम्पलेक्स, केन्टीन औद्योगिक शेड विकसित, ग्रीन वेल्ट, फायर ब्रिगेड हेतु भूमि का चिन्हाकन, स्ट्रीट लाईट, पक्की सड़के आदि आधारभूत अधोसंरचना विकसित की जायेगी । इस हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डव्हलमेंट कार्पोशन को नोडल एजेंसी राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया गया है ।

ग्रामोद्योग (रेशम प्रभाग)

प्रदेश में टसर कृमि पालन का कार्य परंपरागत है । संचालित योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे स्थानीय निर्धन, विशेष कर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है ।

1. पालित डाबा टसर, ककून उत्पादन योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में उपलब्ध साजा, अर्जुना के टसर खाद्य पौधों पर टसर कीट पाले जाते है । इस योजना को अपनाने के लिये हितग्राहियों को किसी प्रकार की पूंजी निवेश की आवश्यकता नही होती है । ऐसे कृषक जिनकी स्वयं की भूमि पर

पर्याप्त मात्रा में टसर खाद्य पौधें उपलब्ध है वे भी इस योजना को अपना कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते है । विभाग द्वारा स्वस्थ्य डिंब समूह रियाती दर पर 1.00 रू. प्रति स्वस्थ्य समूह अंडे की दर से प्रति कृषक को 100 स्वस्थय डिंब समूह उपलब्ध कराया जाता है । जिससे वर्ष में तीन फसल कृषको द्वारा उत्पादित की जा सकती है । प्रत्येक फसल में 5000 से 7000 टसर कोसा का उत्पादन कर 505 रू. से 860 रू. प्रति हजार मूल्य कृषकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है । उक्त योजना प्रदेश के 14 जिलों में संचालित 103 टसर केन्द्रों एवं चिन्हांकित वन क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है । वर्ष 2006–07 में 350 लाख नग पालित टसर ककून उत्पादन लक्ष्य के विरूद्ध अब तक का सर्वाधिक उत्पादन 431.305 लाख नग का उत्पादन हुआ । योजनान्तर्गत 17133 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं ।

2. नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा संग्रहण योजना :–

प्रदेश के दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, जगदलपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, रायपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, जांजगीर–चांपा, कोरबा, एवं सरगुजा जिले में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध साल, सेन्हा, धौर, बेर के बृक्षों पर नैसर्गिक रूप से टसर कोसा की प्रजाति पाई जाती है । जिसे रैली, लरिया एवं बरफ नैसर्गिक कोसा के नाम से जाना जाता है ।

वर्ष 2006–07 में रेशम प्रभाग के अधीनस्थ जिले दन्तेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर एवं जशपुर में 33 नैसर्गिक बीज प्रगुणन कैम्प तथा 506.052 लाख उत्पादन/संगहण किया गया योजनान्तर्गत 37342 हितग्राही लाभान्वित हुए ।

टसर धागा करण योजना :– प्रदेश के विभिन्न जिलों में 860 रीलिंग एवं 250 स्पीनिंग मशीन संचालित है । योजनान्तर्गत 52 महिला स्व–सहायता समूह के 663 महिलाओं द्वारा धागाकरण का कार्य किया जा रहा है । उन्नत मोटराईज्ड मशीन जिसकी कीमत 14240 रूपये है का 45 प्रतिशत अनुदान रेशन बोर्ड द्वारा दिया जाता है, उत्पादन कर वर्ष 2006–07 में 104541 कि.ग्रा. टसर रा–सिल्क एवं स्पन धागा का उत्पादन किया गया है ।

जापान बैंक फार इन्टरनेशनल को–आपरेशन (जे.बी.आई.सी.) जापान द्वारा वित्त पोषित छत्तीसगढ़ रेशम परियोजना :–

छत्तीसगढ़ राज्य में जापानीज बैंक फार इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन द्वारा वित्त पोषित 07 वर्षीय छत्तीसगढ़ रेशम परियोजना बिलासपुर संभाग में संचालित की जा रही है । परियोजना की कुल लागत रू. 117.16 करोड़ है जिसमें ऋण राशि रू. 64.87 करोड़ (53.37 प्रतिशत) एवं शेष राशि राज्यांश रू. 52.29 करोड़ (44.63 प्रतिशत) है । परियोजना अंतर्गत रू. 97.57 करोड़ रू. व्यय कर 4000 हेक्टर क्षेत्र में ट्रसर खाद्य पौध रोपण पूर्ण किया

जा चुका है । इस योजना से 155 स्व–सहायता समूह के 341 स्व सहायता समूहों 295 बचत साख समूह के 2051 हितग्राही 295 बचत साख समूह के 2051 हितग्राही लाभान्वित हुए है । इस प्रकार परियोजना के अन्तर्गत टसर कोकून का उत्पादन 135.70 लाख नग हुआ है । परियोजना की समाप्ति पर कुल 9 करोड़ कोसा फल का उत्पादन प्रति वर्ष होगा एवं कुल 9900 हितग्राही टसर उत्पादन के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एवं प्रस्तावित विभिन्न निर्माण कार्यों से 6000 हितग्राही मजदूरी द्वारा लाभान्वित होंगे ।

उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजनाएं : केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहित विभिन्न राज्यों के सहयोग से 10 वीं पंचवर्षीय योजना में उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम की सफलता के मद्दे नजर राज्य सरकारों की मांग के अनुसार 10 वीं पंचवर्षीय योजना में भी इस कार्यक्रम को निरंतर रखा गया है । वर्ष 2006–07 में छत्तीसगढ़ राज्य को 104.64 टसर, मलबरी और 11.26 ईरी रेशम विकास एवं प्रचार प्रसार तथा प्रशिक्षण आदि के कार्यक्रम हेतु 5 लाख की योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त हुई है ।

योजना के मुख्य उद्देश्य टसर एवं मलवरी कोसा तथा धागे की गुणवत्ता में सुधार उन्नत तकनीकी की ग्राहता उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि पूंजी निवेश को बढ़ावा देना एवं स्व–रोजगार से संबद्धता स्थापित करना है ।

दसवी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से प्रवर्तित उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम प्रदेश हेतु स्वीकृत है । वर्ष 2006–2007 में टसर, मलबरी विकास, ईरी विकास, प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड से कुल राशि रू. 120.91 लाख की योजना स्वीकृत की गई है ।

रेशम प्रभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से वर्ष 2006–07 में 74690 हितग्राही लाभान्वित किए गए एवं वर्ष 2006–07 में 80000 हितग्राही लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

प्रदर्शन प्लाट योजना :–

प्रदर्शन प्लाट योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित निजी कृषकों के स्वयं की भूमि जिसमें फैन्सिंग एवं सिंचाई की सुबिधा उपलब्ध है यह योजना ली जा रही है । शहतूती पौधरोपण योजना के प्रसार/प्रदर्शन के तौर पर चयनित कृषक की भूमि पर विभाग द्वारा प्राधिकृत तकनीकी कर्मचारी के पर्यवेक्षण में हितग्राहियों को सामग्री एवं अन्य अनुदान के रूप में 15000 रू. प्रति एकड़ के मान से राशि व्यय की जावेगी । मलबरी कीट पालन के द्वारा

प्रथम वर्ष 50 किलोग्राम द्वितीय वर्ष 125 किलोग्राम एवं तृतीय वर्ष से 250 किलोग्राम का उत्पादन होता है । कृषक वर्ष में 5 फसल का कृमि पालन कर सकता है एवं उससे 15000 से 20000 तक की आय प्राप्त कर सकते हैं ।

उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन से रेशम प्रभाग में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि एवं हितग्राहियों को सहायता :–

क्र.	वर्ष	बीज कृमिपालक को सहायता	व्यावसायिक कृमिपालक को सहायता	निजी अण्डा उत्पादक	मलबरी कृषक को सहायता	ईरी एवं मलबरी कृषक को प्रशिक्षण एवं उपकरण सहायता	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2003.04	340	866	42	225	125	1598
2.	2004–05	840	1400	82	155	100	2577
3.	2005–06	840	1350	50	142	50	2432
4.	2006–07	325	690	43	110	50	1228
	योग	**2345**	**4306**	**217**	**642**	**325**	**7835**

क्र.	वर्ष	टपक सिंचाई योजना हेक्टर में	ग्रेनेज भवन (टसर ग्रेन्यूअर)	रियेरिंग हाउस मलबरी	सी0आर0सी0	पी0पी0सी0 केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	2003.04	10	42	20	02	06
2.	2004–05	10	82	15	02	10
3.	2005–06	05	50	15	01	11
4.	2006–07	0	43	0	0	3
	योग	**25**	**217**	**50**	**05**	**30**

ईरी रेशम ककून उत्पादन एवं धागाकरण की आर्थिकी :–

राज्य गठन के पश्चात प्रथमबार प्रायोगिक रूप से जशपुर एवं सरगुजा जिले में अरंडी का पौधा रोपित किया जाकर ईरी रेशम का उत्पादन प्रारंभ किया गया । वर्ष 2006–07 में 33.63 लाख का बजट प्रावधान कर 3810 कि0ग्रा0 ईरी ककून का उत्पादन किया गया है । वर्ष 2007–08 में 35.15 लाख का बजट प्रावधान है तथा 11500 कि0ग्रा0 ईरी ककून उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है । इस योजनान्तर्गत 607 हितग्राही लाभान्वित हुये है । इसका विस्तार बिलासपुर जिले के पेण्ड्रा क्षेत्र जगदलपुर, कांकेर जशपुर कोरिया एवं सरगुजा जिले में भी किया जा रहा है । इरी रेशम का प्यूपा खाने के उपयोग में लाया जा सकता है एवं मछली हेतु खाद्य आहार भी तैयार किया जा सकता है ।

अरण्डी पौध रोपण हेतु प्रति एकड़ व्यय मानक रू.16285 केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अनुमानित है तथा प्रति एकड़ पौधरोपण में उत्पादित पत्तियों से लगभग 200 कि.ग्रा. उत्पादन प्राप्त हो सकता है । ईरी रेशम की 5 फसल वर्ष में ली जा सकती है एवं प्रति हितग्राही को 120 कार्य दिवस में रू. 8000–9000 वार्षिक आय प्राप्त होगी एवं धागाकरण कार्य से हितग्राहियों को रू. 10000–13000 तक वार्षिक आय प्राप्त होगी ।

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना : राज्य शासन द्वारा प्रदेश में गैर परम्परागत मलबरी योजना के विकास हेतु नवीन मलबरी विकास कार्यक्रम वर्ष 2003–04 से क्रियान्वित की जा रही है ।

प्रदेश में 106 रेशम केन्द्र/रेशम बीज केन्द्र, 03 शासकीय मलबरी ग्रेनेज, 05 धागाकरण यूनिट, 05 ट्विस्टिंग यूनिट, 06 ककून बैंक, 04 यार्न बैंक संचालित है । वर्ष 2005–06 में मार्च 2006 तक 27414 कि.ग्रा. मलबरी कोया उत्पादन कर 1699 हितग्राही लाभान्वित किए गए हैं । वर्ष 2007–08 में अक्टूबर 2007 तक 35300 किलोग्राम मलबरी कोया का उत्पादन किया गया ।

ग्रामोद्योग (हाथकरघा)

प्रदेश में हाथकरघा उद्योग में लगभग 49509 बुनकरों को बुनाई रोजगार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुडे. हुए है । हाथकरघा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन योजना, हैल्थ पैकेज, वेलफेयर योजना, बाजार अध्ययन, अनुसंधान एवं विकास योजनाएं तथा प्रोजेक्ट पैकेज योजनाएं संचालित है ।

(1) शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना :– वर्ष 2002–03 में रू. 5.00 करोड़ का प्रदाय आदेश विभिन्न विभागों से प्राप्त हुआ था, एवं वर्ष 2006–07 में रू. 26.00 करोड़ का प्रदाय आदेश विभिन्न विभागों से प्राप्त हुआ है । जिसमें 11,000 बुनकर रोजगार में संलग्न है ।

(2) टाटपट्टी का उत्पादन एवं प्रदाय योजना :– वर्ष 2006–07 में लाक शिक्षण विभाग से 1.39 लाख नग टाट्पट्टी का उत्पादन प्रदाय हेतु आदेश प्राप्त हुआ है । उक्त प्रदाय आदेश का उत्पादन वर्ष 2007–08 में किया जाकर लगभग 0.80 लाख नग टाट् पट्टी प्रदाय किया जा चुका है । उक्त उत्पादन कार्यक्रम में लगभग 3000 लोगों को रोजगार दिया गया । वर्ष 2008–09 में राशि रू. 6.00 करोड़ का टाट पट्टी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।

(3) गणवेश प्रदाय योजना:– वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति विभाग को 16,63,909 नग गणवेश सिलाई कर प्रदाय किया गया है। जिसमें प्रतिवर्ष बुनाई

कार्य में लगभग 10,000 बुनकरों को एवं सिलाई कार्य में 12,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है । वर्ष 2008–09 में लगभग 20 लाख नग गणवेश उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।

(4) गणवेश :– सिलाई के लिये गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को सम्मिलित किया गया है ।

(5) बुनकरों के समग्र विकास के लिए एकीकृत हाथकरघा विकास योजना :– ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है । उक्त योजना में बुनकरों के क्लस्टर एप्रोच विकास एवं समूह विकास योजना सम्मिलित है । उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में फेस–II में छुईखदान, जिला–राजनांदगांव एवं मुगझर, जिला–रायपुर एवं फेस– III में बजावण्ड, जिला–जगदलपुर, रायगढ़ जिला–रायगढ़ एवं कटगी, जिला–रायपुर इस प्रकार उपरोक्त पाँच क्लस्टरों के लिये राशि रू. 3.25 करोड़ का प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा गया है । इस योजना के अंतर्गत क्लस्टर एप्रोच अंतर्गत प्रदेश के 2055 बुनकर परिवार लाभान्वित होंगे ।

(6) प्रदेश के राज्य बुनकर संघ एवं तीन प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को गुणवत्ता उत्पाद के लिये हैण्डलूम मार्का पंजीकृत किया गया है । हाथकरघा वस्त्र के विपणन हेतु बुनकरों को सीधे बाजार से जोड़नें के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं देश में प्रमुख शहरों में विक्रय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है । वर्ष 2007–08 में लगभग राशि रू. 4.00 करोड़ का हाथकरघा वस्त्रों का विभिन्न प्रदर्शनियों में विक्रय किया गया है ।

(7) प्रदेश के राज्य बुनकर संघ द्वारा बुनकरों के पुत्र–पुत्रियों के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहन पुरस्कार योजना प्रारंभ किया गया है । इस योजनांतर्गत वर्ष 2007–08 में प्रदेश के 384 प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को पुरुस्कार वितरण किया गया है ।

(8) प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बुनकरों द्वारा वर्ष 2007–08 में 30000 नग कंबल उत्पादन एवं 20000 मीटर ऊनी ब्लेजर का उत्पादन किया गया है । उत्पादन में 150 करघे कार्यरत है,जिसमें 450 बुनकरो को रोजगार प्राप्त हो रहा है ।

(9) कंबल एवं ऊनी ब्लेजर के प्रोसेसिंग यूनिट के स्थापना के लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना अंतर्गत जिला राजनंदगांव के लिए 1.52 करोड़ रु. शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

(10) बुनकरों के संस्कृति,परंपरा एवं कौशल को बढ़ावा देने के लिए स्वर्गीय बिसाहूदास मंहत पुरस्कार योजना अंतर्गत 2 उत्कृष्ट बुनकरो को एक–एक लाख रु. पुरस्कृत किए जाने का

प्रवधान है । कम्प्यूटर एडेड डिजाईन सेन्टर की स्थापना जिला रायगढ़ में की गई है । जिससे प्रदेश के बुनकरों को नये–नये डिजाईन के वस्त्र तैयार करने में सहायता मिल रही है ।

(11) देश का सातवां भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चांपा जिला–जांजगीर में वर्ष 2006–07 में प्रारंभ किया गया है । इस संस्थान के लिए स्थापना व्यय हेतु 1.23 करोड़ की राशि का आबंटन है ।

(12) प्रदेश के 140 बुनकर सहकारी समितियों को बैंक कालातीत ऋण माफ करने हेतु वर्ष 2006–07 में 4.97 कारोड़ एवं 07–08 में 1.44 करोड़ का बजट आबंटन किया गया है । इससे प्रदेश के 10704 बुनकर लाभान्वित होंगे ।

(13) बुनकरों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शनीय एवं देश के प्रमुख शहरों में बुनकरों द्वारा उत्पादित हाथकरघा वस्त्रों का विक्रय प्रदर्शनी आयोजन कर वर्ष 2006–07 में 4.00 करोड़ रु. के हाथकरघा वस्त्रों का विक्रय किया गया है ।

(14) प्रदेश में पहली बार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र राजनांदगांव जिले में ऊलन कंबल का उत्पादन वर्ष 2006–07 से प्रारंभ किया गया है, जिसमें 110 करघे कार्यरत है एवं 350 व्यक्तियों को इस उत्पादन से रोजगार प्राप्त हो रहा है ।

(15) वर्ष 2002–03 में प्रति माह प्रदेश में 4000 नग टाटपट्टी उत्पादन की क्षमता थी, वहीं स्थानीय साधनों से छोटे लूम का अनुसंधान कर उत्पादन क्षमता प्रति माह 60 हजार नग हो गई है । वर्ष 2006–07 में 1 लाख 10 हजार नग टाट् पट्टी प्रदेश के बुनकरों से उत्पादन कर शिक्षा विभाग को प्रदाय किया गया है ।

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योगों का विकास कर उन्नत तकनीक की प्रशिक्षण कारीगरों एवं दस्तकारों तथा सूत कातने वाली महिलाओं को रोजगार के ब्यापक अवसर सृजित करना है । बोर्ड द्वारा प्रमुख रूप से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

मार्जिन मनी योजना –योजनान्तर्गत 20 हजार तक आबादी वाले ग्रामों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रतिबंधित उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए बैंको से ऋण व बोर्ड द्वारा अनुदान दिया जाता है । परियोजना लागत के आधार पर व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रकरणों में 25.00 लाख रूपये तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है ।

वित्तीय सहायता का स्वरूपः— योजनान्तर्गत परियोजना लागत की 5 प्रतिशत राशि स्वयं उद्यमी को अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति/पिछड़ावर्ग/अल्प संख्यक एवं महिला शारीरिक रूप से विकलांग हितग्राही को वहन करना होता है एवं प्रोजेक्ट राशि के रू. 10.00 लाख तक 30 प्रतिशत मार्जिन मनी एवं शेष राशि पर 10 प्रतिशत पात्रता होती है । इसी प्रकार सामान्य वर्ग के पुरूष हितग्राही को प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होता है एवं प्रोजेक्ट राशि के रू. 10.00 लाख तक 25 प्रतिशत मार्जिन मनी एवं शेष राशि पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी राशि की पात्रता होती है । आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई मार्जिन मनी राशि 2 वर्ष तक उद्योग चलते रहने तथा बैंकों की किस्तें समय पर चुकाने की स्थिति में अनुदान के रूप में परिवर्तित हो जायेगी । छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में वर्ष 2007—2008 में 620 इकाईयों की स्थापना पर रू. 3084.88 लाख ऋण एवं रूपये 771.22 लाख मार्जिन मनी अनुदान आर्थिक सहायता के रूप में प्रदाय करने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 2007—08 में जुलाई, 2007 तक 92 प्रकरणों में 839.45 लाख रू. की स्वीकृति बैंको से प्राप्त हो गई है । जिसमें रू. 172.62 लाख मार्जिन मनी (अनुदान) सहायता दी जावेगी । योजनान्तर्गत 1499 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा ।

परिवार मूलक इकाइयों की स्थापना : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रतिबंधित उद्योगो को छोड़कर आयोग मान्य स्थापना के लिए बैंको से ऋण एवं बोर्ड अनुदान दिया जाता है । योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर एवं छोटे—छोटे कम लागत के ग्रामोद्योगों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित परिवार मूलक योजना का क्रियान्वयन भी प्रदेश में किया जा रहा है । योजनान्तर्गत औजार उपकरण लागत पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 13500 रूपये जो भी कम हो अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । राज्य के सभी जिले में वर्ष 2007—08 में 2804 इकाईयों की स्थापना पर 616.75 लाख ऋण एवं 280.35 लाख अनुदान आर्थिक सहायता के रूप में प्रदाय करने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 2007—08 जुलाई, 2007 तक 772 प्रकरणों में 332.28 लाख रूपयें की स्वीकृती बैंकों से प्राप्त हो गई है । जिसमें 102.11 लाख अनुदान सहायता देय है योजनान्तर्गत 2303 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ ।

कारीगरों को प्रशिक्षण योजना :—वित्तीय वर्ष 2007—08 में 7.50 लाख रूपयें का बजट आबंटन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्राप्त हुआ है । जिसके विरूद्ध प्रदेश के 905 व्यक्तियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया ।

सूती खादी उत्पादन :–खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित 9 सूत कताई बुनाई केन्द्र स्थापित है । जहॉ 300 ग्रामीण महिलाओं को अम्बर चर्खा से सूत कताई का कार्य नियमित रूप से दिया जा रहा है । इन केन्द्रो द्वारा उत्पादित कपड़ों की विक्री विभागीय 3 संचालित विक्री भण्डारों के माध्यम से विक्रय किया जाता है ।

बॉस कला केन्द्र :– छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बॉस कला केन्द्र संचालित है । इसमें आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुएँ तैयार कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर विक्री एवं प्रचार प्रसार किया जाता है इस केन्द्र पर 20 ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को रोजगार प्राप्त है ।

अध्याय–13

खनिज

राष्ट्र के औद्योगिक विकास में खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । छत्तीसगढ राज्य खनिज उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध राज्य है । वर्ष 2006–07 लगभग 7000.00 करोड़ मूल्य के खनिजों का उत्पादन हुआ । राष्ट्र में उत्पादित खनिजों के सकल मूल्य का (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के मूल्य को छोड़कर) 13.00 प्रतिशत है तथा खनिज उत्पादक राज्यों में तृतीय स्थान पर रहा । वित्तीय वर्ष 2006–07 में खनिजों से राज्य शासन को 832.35 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ जो विगत वर्ष की तुलना में 94.50 करोड़ रूपये अधिक है । वर्ष 2007–08 में अगस्त 2007 तक 352.03 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ को सामरिक महत्व के खनिज टिन अयस्क के उत्पादन में सम्पूर्ण राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त है । प्रदेश में कोयला, बाक्साईट, डोलोमाईट, चूना पत्थर एवं लौह अयस्क का उत्पादन बृहत् पैमाने पर हो रहा है । प्रदेश क्वार्टजाइट एंव डोलोमाइट के उत्पादन में द्वितीय तथा लौह अयस्क उत्पादन में तृतीय स्थान पर रहा ।

बॉक्स क 11.1

खनिज अन्वेषण

- वर्ष 2006–2007 में राज्य में खनिज अन्वेषण कार्य की गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया गया । वित्तीय वर्ष 2006–2007 में 3212 वर्ग किलोमीटर, सर्वेक्षण/मानचित्रण, 102 घन मीटर पिटिंग, 4973 मीटर वेधन तथा 25680 (मूलको) नमूनों का विश्लेषण कार्य किया गया ।
- कबीरधाम जिले में लौह अयस्क के 404.50 लाख टन नये भण्डार चिन्हित किए गए इसके अतिरिक्त कांकेर जिले में 161 लाख टन तथा दन्तेवाड़ा जिले में 50 लाख टन लौह अयस्क के अतिरिक्त भंडार भी चिन्हित किए गए ।
- सरगुजा जिले के शंकरगढ़ क्षेत्र में 417 लाख टन तथा कोरबा जिले में 1954 लाख टन कोयले के अतिरिक्त भंडार चिनहित किए गए । सरगुजा जिले में 6.00 लाख टन तथा कबीरधाम जिले में 165 लाख टन बाक्साईड के अतिरिक्त भंडार चिन्हित किए गए । साथ ही कबीरधाम जिले में ही 17.7 लाख टन डोलोमाईट तथा 674 लाख टन चूना पत्थर के भंडार चिन्हित किए गए हैं ।
- वित्तीय वर्ष 2006–07 में अवैध उत्खनन के 556 प्रकरण पकड़े गए, उन पर रु. 3648285 अर्थ दंड वसूल किया गया तथा अवैध परिवहन के 2040 प्रकरणों पर रु. 6511773 की राशि वसूल की गई है । वर्ष 2007–08 में अगस्त 2007 तक अवैध परिवहन के 667 प्रकरणों पर 2352192 रू. वसूल किए गए ।

खनिज आधारित उद्योग :–राज्य में प्रमुखतः खनिज आधारित उद्योग भिलाई में भिलाई इस्पात संयंत्र, कोरबा में भरत एल्यूमीनियम संयंत्र तथा बृहद ताप विद्युत संयत्र स्थापित है इसके अतिरिक्त 07 सीमेंट संयत्र 71 स्पंज आयरन संयंत्र तथा 01 रिफेक्ट्री संयंत्र भी कार्यरत है ।

गौण खनिजों का उत्पादन :–वर्ष 2006–07 में राज्य में 751874 हजार रू. मूल्य के गौण खनिजों का उत्पादन हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

खनिज का प्रकार	उत्पादन मात्रा (टनों में)	उत्पादन मूल्य (हजार रूपयों में)	प्रतिदिन नियोजित औसत श्रमिकों की संख्या
पत्थर	2973694	277083	8032
मिट्टी	1165081	66970	3166
चूना–पत्थर	3438443	308590	7252
फर्शी पत्थर	13900	2105	225

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम :–छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का गठन 7.06. 2001 को किया गया है । गठन के पश्चात से ही रेत, बाक्साईट, टिन अयस्क का विपणन किया जा रहा है । किन्तु रेत को रायल्टी मुक्त करने के कारण यह व्यवसाय बंद हो गया है । जिला सरगुजा के मैनपाट एवं बस्तर केशकाल में बाक्साईट खनिज तथा जिला दन्तेवाड़ा में टिन खनिज का व्यवसाय किया जा रहा है । निगम द्वारा स्थानीय आदिवासियों को समितियों के माध्यम से संग्रहण कर लाभान्वित किया जा रहा है ।

एन.एम.डी.सी. एवं खनिज विकास निगम के मध्य बैलाडीला आयरन ओर डिपाजिट, 13 के दोहन हेतु संयुक्त प्रक्षेत्र कंपनी की स्थापना हेतु समझौता पत्र (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित कर अनुबंध निस्पादित किया गया है ।

मुख्य खनिजों में केवोलिन राजनांदगांव जिले में 1769 टन तथा रायगढ़ जिले में क्वार्टजाईट 23604 टन जिसका मूल्य क्रमशः 2.49 लाख एवं 292.50 लाख मूल्य का उत्पादन वर्ष 2006–07 में किया गया । वर्ष 2007–08 में माह सितम्बर 07 तक कोयला 34719.35, चूना पत्थर 3291.13 लाख, लौह अयस्क 2352.04 लाख, डोलोमाईट 292.20 लाख, बाक्साईट 939.26 लाख, एवं गौण खनिज 1812.51 लाख रूपये के उत्पादन मूल्य के राजस्व की प्राप्ति हुई है ।

प्रमुख खनिजों का उत्पादन

(संदर्भ तालिका क्र 5.2)

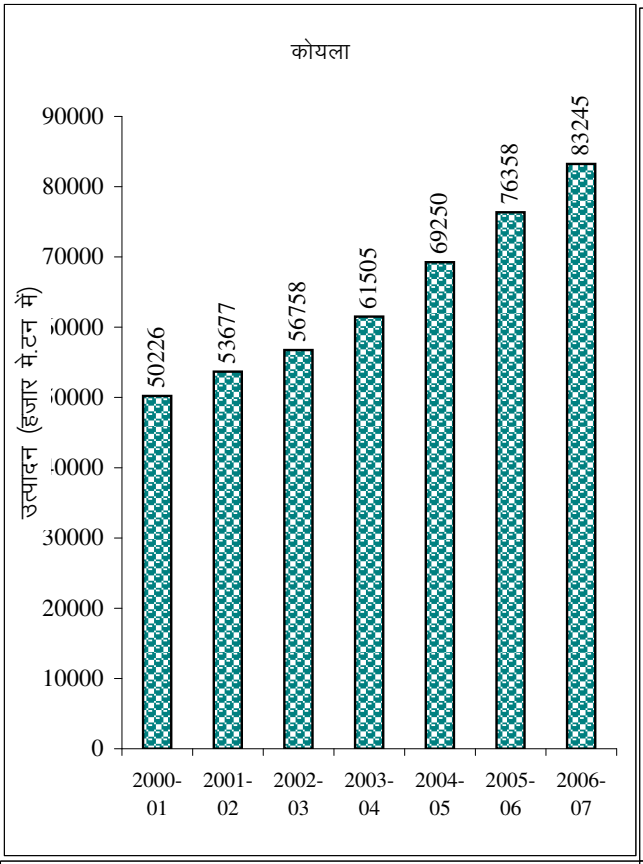

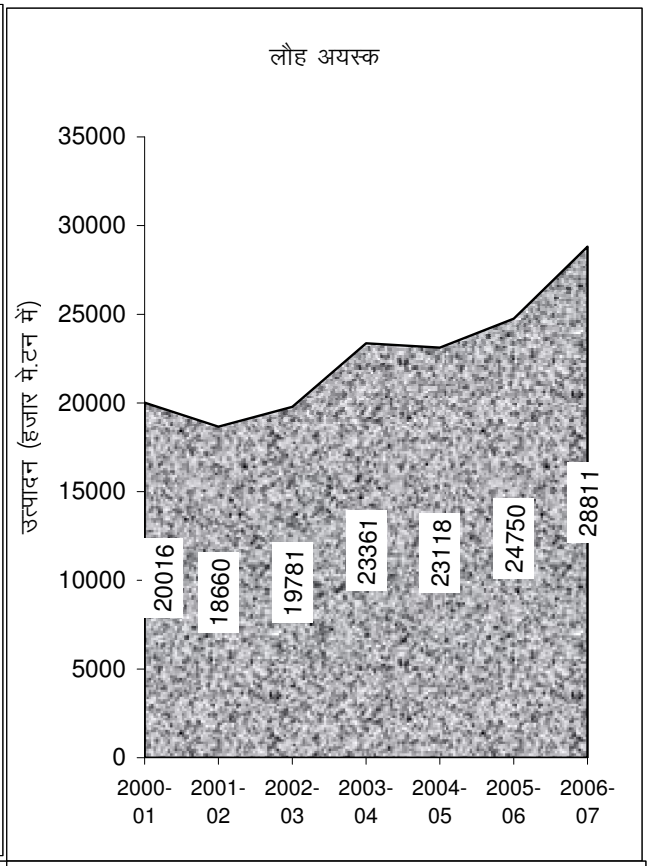

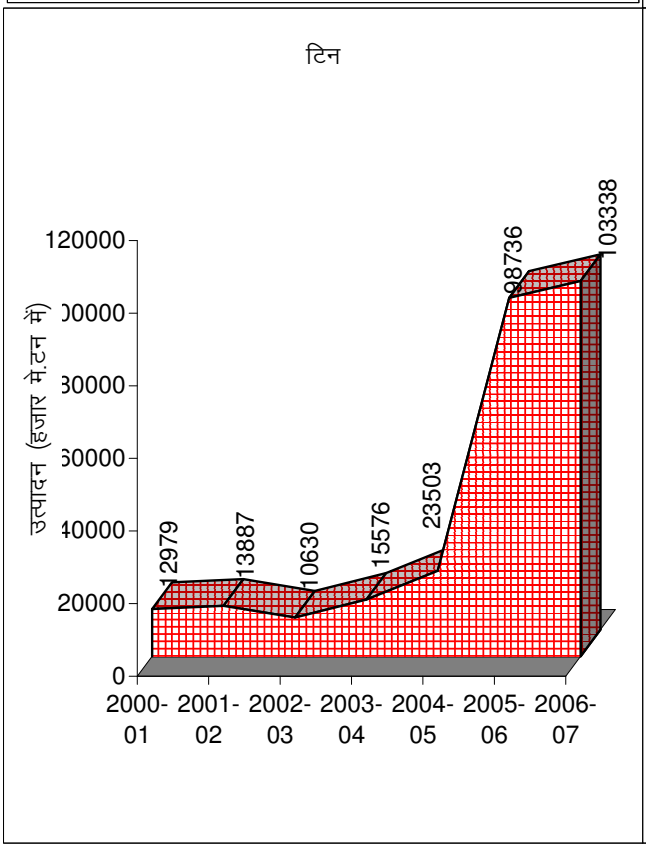

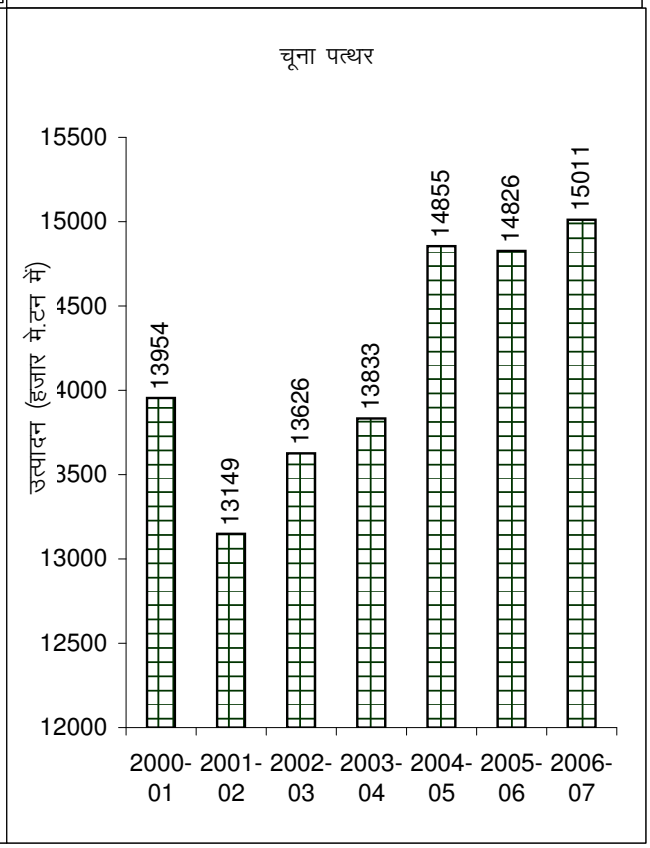

अध्याय–14

परिवहन सुविधाएँ

छत्तीसगढ़ राज्य में रेल परिवहन के कमी के परिणामस्वरूप सड़क परिवहन के प्रमुख संसाधन मालयानों तथा यात्रीयानों का आन्तरिक परिवहन संचालन व्यवस्था में अपना एक विशिष्ठ स्थान है ।

मार्च 2006 के अंत में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 1540हजार थी जो मार्च 2007में बढ़कर 1728 हजार हो गई है । इस प्रकार कुल पंजीकृत वाहनों में 12.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह वृद्धि कार एवं जीप में 15.11 प्रतिशत, मोटरसाईकिल, स्कूटर, मोपेड में 11.88 प्रतिशत, यात्री वाहन में 10.62 प्रतिशत तथा अन्य प्रकार के वाहनों में 13.15 प्रतिशत परिलक्षित हुई है । उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष कुल पंजीकृत वाहनों में द्विपहिया वाहनों का प्रतिशत 81.01 रहा ।

वर्ष 2005–06 में शुल्क एवं मोटर यानों पर देयकर आदि से 203.00 करोड़ रू. राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष्य में 204.72 करोड़ रू. का राजस्व संग्रहण किया गया । जो गत वर्ष की तुलना में 12.11 करोड़ रू. अधिक है । वर्ष 2006–07 में शुल्क एवं मोटर यानों देयकर आदि से 250.00 करोड़ राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष्य में 253.00 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 48.33 करोड़ अधिक है ।

परिवहन विभाग के अन्तर्गत अविभाजित मध्य प्रदेश में स्थापित (म.प्र.रा.स.प.नि) एक मात्र सार्वजनिक उपक्रम 31.12.2002 तक कार्यरत था । छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात निगम को समाप्त कर परिवहन क्षेत्र में निजीकरण किया गया है । इसके कारण राज्यीय एवं अन्तर्राज्यीय परिवहन में वृद्धि हुई है । पड़ोसी राज्यों के साथ नये पारस्परिक नये समझौता सम्पन्न किए गए हैं वाहन रजिस्ट्रीकरण एवं चालक लायसेंस हेतु स्मार्ट कार्ड योजना प्रस्तावित है । राज्य के सीमावर्ती चार स्थानों में पाटकोहेरा, भगतदेवरी, शंख एवं वाड्रफनगर में कम्प्यूटरीकृत तौल कांटोयुक्त चेकपोस्ट स्थापित किये जा रहे हैं जहॉ वाणिज्य वन, खनिज, कृषि एवं परिवहन विभाग एक ही स्थान पर चेकिंग का कार्य सम्पादित करेंगे, जिससे अंतराष्ट्रीय परिवहन में सुगमता आयेगी ।

परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं 16 मैदायनी परिवहन कार्यालयों को कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्रथम चरण में आयुक्त कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण कर शेष कार्यालयों का

कार्य प्रगति पर है । इसी तरह कम्प्यूटरीकृत एवं एकीकृत जॉच चौकी की भी स्थापना की जा रही है । वाहन चालक लायसेंस एवं वाहन के पंजीयन किताब स्मार्ट कार्ड के माध्यम से जारी किया जाना प्रस्तावित है । इस योजना से पंजीयन किताब के रूप में लायसेंस एक चिप्स युक्त कार्ड दिया जायेगा इससे वाहन स्वामी को डूप्लीकेशन एवं फर्जी प्रकरणों से मुक्ति मिलेगी ।

कुल पंजीकृत वाहन वर्ष 1997–1998 से 2006–2007

(हजार में)

वर्ष अप्रैल से मार्च तक	कार एवं जीप	टेक्सीकेब / तिपहिया	यात्री वाहन बस	मालवाहन ट्रक	द्विपहिया वाहन	अन्य (ट्रेक्टर ट्राली सहित)	कुल पंजीकृत वाहन
1997–1998	28	06	09	31	526	44	644
1998–1999	29	07	10	32	585	50	713
1999–2000	31	07	12	35	643	53	781
2000–2001	34	08	14	36	707	58	857
2001–2002	38	10	15	39	793	65	960
2002–2003	42	11	17	52	881	75	1078
2003–2004	50	11	19	57	991	85	1215
2004–2005	59	13	23	66	1711	97	1375
2005–2006	68	14	24	73	1247	111	1540
2006–2007	78.4	15.9	26.6	84.6	1395.9	125.8	1728.0

सड़के एवं पुल

लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात सड़को के उन्नतिकरण एवं पुलों के निर्माण में विशेष ध्यान दे रहा है । वर्ष 2006–2007 में 6965 कि. मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया गया जिसमें गिट्टीकरण, डामरीकरण, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य किए गए एवं 118 पुलों का निर्माण किया गया और 206 कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2007–08 में राज्य शासन द्वारा आयोजना कार्य हेतु रू. 2024.44 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है । वर्ष 2007–08 में 3564.00 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं 57 पुलों का निर्माण पूरा किया गया तथा 224 पुल कार्य प्रगति पर है ।

वर्ष 2006–07 में कुल 1368.35 करोड़ के विरूद्ध 1141.81 करोड़ का व्यय किया गया वर्ष 2007–08 में माह सितंबर तक 2024.44 करोड़ के विरूद्ध 549.70 करोड़ रूपये व्यय किये गये

है । राज्य में सुगम एवं द्रुतगामी यातायात हेतु कुल 3106.75 कि.मी. लम्बे दो उत्तर दक्षिण तथा चार पूरब पश्चिम कॉरीडोर का निर्माण जारी है अभी तक 1133 कि.मी. मार्ग पूर्ण किया जा चुका है तथा माह सितंबर, 2007 तक 317.56 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है । रेलवे ओव्हरब्रिज के अंतर्गत तीन रेलवे ओव्हरब्रिज (कोरबा, खमतराई एवं बिलासपुर में 35.03 करोड़ का कार्य पूरा किया गया है तथा 11 रेलवे ओव्हरब्रिज के कार्य लागत 171.25 करोड़ का कार्य प्रगति पर है । जिससे अंतर्गत उसलापुर, अकलतरा, दाधापारा, दुर्ग–भिलाई, निपनिया, रायगढ़, डोंगरगढ़, आमानाका, टेकारी, तिफरा तथा गुढ़ियारी अंडरब्रिज का कार्य प्रगति पर है ।

निर्माण कार्य व उनकी प्रगति

- केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत राज्य को 37 कार्यो हेतु कुल 178.34 करोड़ रू. की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें से अभी तक कुल 23 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 14 कार्य प्रगति पर है इन कार्यो पर सितंबर, 2007 तक 145.75 करोड़ के विरूद्ध 148.16 करोड़ रू. व्यय किया गया है ।
- एन्यूटी योजना के अंतर्गत राज्य की महत्वपूर्ण 1500 लेन कि0मी0 को उन्नयन हेतु एक संयुक्त कंपनी का गठन कर उन्नयन किये जाने की नई योजना आरंभ की गई है ।
- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत राज्य निर्माण के पश्चात 48 कार्यो हेतु रू. 45.12 करोड़ की स्वीकृति केन्द्र से प्राप्त हुई थी । अभी तक इस योजना के अन्तर्गत 38 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 9 कार्य प्रगति पर है । सितंबर, 2007 तक रू. 45.63 करोड़ केन्द्रीय आवंटन के विरूद्ध रू. 49.04 करोड़ का व्यय हुआ है ।
- मनीला स्थित एशियन डेब्लपमेंट बैंक जो कि एक अंर्तराष्ट्रीय संस्था है के प्रथम चरण में 9 मार्गो को चयनित किया गया है । जिसकी कुल लम्बई 811 कि.मी. एवं अनुमानित लागत लगभग 610.80 करोड़ रू. है । द्वितीय चरण में 13 512.18 कि0मी0 लागत 394.00 करोड़ रूपये है की स्वीकृति निविदा अनुबंध की कार्यवाही प्रगति पर है ।
- भवन कार्यो के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायप्रशासन, पुलिस, राजस्व तथा अन्य विभागों के आवासीय तथा गैर आवासीय कुल 310 भवन का कार्य वर्ष 2006–07 में पूर्ण किए गए थे । 527 कार्य प्रगति पर है इन कार्यो हेतु रू. 242.13 करोड़ आवंटन के विरूद्ध रू. 188.61 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं । इस वर्ष इन कार्यो पर सितंबर, 2007 तक रू. 323.77 करोड़ आबंटन के विरूद्ध 98.73 करोड़ रूपये व्यय कर 86 भवन पूर्ण एवं 540 भवन के कार्य प्रगति पर है ।
- महत्वपूर्ण भवनों में 3.03 करोड़ की लागत से ट्रॉजिस्ट हॉस्टल का कार्य पूर्ण किया गया है । एवं हाई कोर्ट भवन छत्तीसगढ़ सदन नई दिल्ली रायपुर में नवीन विश्राम गृह एवं नवीन इन्जीनियरिंग कालेज का निर्माण मुख्य है प्रगति पर है जिस पर 205.10 करोड़ रूपये व्यय किया जा चुका है ।

अध्याय–15

श्रम एवं रोजगार

राज्य में कुल कार्यशील व्यक्तियों की संख्या 96.80 लाख है । कार्यशील व्यक्तियों के लिये सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही है । यथा स्वास्थ्य योजना, शिक्षा योजना, आवास योजना, इंदिरा कृषि श्रमिक योजना आदि । आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2005–06 मे केन्द्र सरकार द्वारा रू. 201.60 लाख व राज्य सरकार द्वारा रू. 115.92 लाख राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है । इंदिरा कृषि श्रमिक योजना के अंतर्गत वर्ष 2004–05 मे 70000/– हजार रूपये शासन स्तर से 7 हितग्राहियों लाभान्वित किया गया ।

नगरीय प्रशासन एवं विकास

राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय के निवासियों का जीवन स्तर उन्नयन हेतु नगरीय विकास एवं नगरीय नियोजन का सुदृढ़ीकरण पर्यावरण एवं संरक्षण तथा अधोसंचना विकास हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने की नीति के तहत भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में लागू की गई योजनाएँ जैसे बेरोजगारी उन्मूलन, रोजगार के अवसर, गंदी बस्ती में मूलभूत सुविधाएँ एवं आवास निर्माण हेतु सहायता कार्यक्रम चलाए जा रहे है ।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ :–रोजगार कार्यक्रम :–

1. स्वर्ण जयंती शहरी स्व रोजगार कार्यक्रम (SJSRY) :– पूर्व संचालित नेहरू रोजगार कार्यक्रम निर्धनों के लिये शहरी बुनियादी सुविधाएँ एवं गरीबी उपशमन को एकीकृत करते हुए 50 वर्ष आजादी के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिसंबर, 1997 से गरीबी उन्मूलन के रूप में प्रारंभ किया गया है । योजनाओं को 75 प्रतिशत केन्द्र एवं शेष राज्य शासन द्वारा उपलबध कराया जाता है । इस योजना के दो मुख्य घटक निम्नानुसार है :–

1. रोजगार कार्यक्रम 2. सामाजिक कार्यक्रम

1.1 शहरी स्वरोजगार रोजगार कार्यक्रम अनुदान (USEP-SUBSIDY) :

बेरोजगार या कम पढ़े लिखे शहरी युवाओं को छोटे उद्यम या व्यवसाय में स्वावलम्बी बनाने में सहायता देने की योजना है । व्यवसाय शुरू करने करने के लिए रू. 50 हजार तक आर्थिक सहायता दी जाती है । 50 हजार लागत तक की परियोजनाओं पर 15 प्रतिशत या 7500 रू. का अनुदान हितग्राही को दिया जाता है । 2500 रू. अर्थात 15 प्रतिशत हितग्राही द्वारा स्वयं लगायेगा एवं बैंक द्वारा 80 प्रतिशत अर्थात 40,000 रू. ऋण प्रदान किया

जाता है । एक से अधिक हितग्राही मिलकर बड़ी परियोजना ले सकते हैं। वर्ष 2007–08 में 2884 प्रकरण स्वीकृत किए गए जिसके विरूद्ध 1282 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

1.2 शहरी रोजगार कार्यक्रम प्रशिक्षण : चयनित रोजगार में कुशलता बढ़ानें के लिए प्रशिक्षण व्यय रू. 2000.00 तक की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है जिसके लिए दो से छः माह अथवा 300 घंटों का प्रशिक्षण एक अनिवार्य शर्त है। वर्ष 2007–2008 में 2329 हितग्राहियों को रोजगार मूलक कार्यो का प्रशिक्षण दिया गया है । जिनमें से 1265 महिलाएं है ।

1.3 महिला व विकास कार्यक्रम अनुदान (DWCUA):–स्वरोजगार सृजन के लिए 10–10 महिलाओं के समूह का गठन किया जाता है । परियोजना की लागत 2.50 लाख रूपये है जिसमें से 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 1.25 लाख तक अनुदान स्वीकृत किया जाता है जबकि शेष राशि में से 5 प्रतिशत मार्जिन मनी महिला सदस्यों को तथा 45 प्रतिशत बैंको से ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान है । इस योजना में वर्ष 2007–08 में 70 महिलाओं के समूहों का गठन किया गया है जिसके द्वारा 180 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है ।

2. सामाजिक कार्यक्रम :–

2.1 सार्वजनिक शौंचालय के लिए निर्मल भारत की योजना :– भारत सरकार द्वारा ''पे एण्ड यूज'' सिद्धांत पर राज्य में 82 इकाई सार्वजनिक शौंचालय हेतु 719.00 लाख की स्वीकृति दी गई है । प्रत्येक इकाई में 15 सीट, 8 स्नान गृह एवं 05 मूत्रालय निर्मित करने का प्रावधान है । सार्वजनिक शौंचालयों का निर्माण 30 वर्षीय रख रखाव अनुबंध के आधार पर निर्माण कराया जा रहा है । 54 शौचालय पूर्ण तथा 28 प्रगति पर है ।

2.2 शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने की योजना(ILCS) :– सिर पर मैला ढोने की प्रथा की समाप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा लागू अलग–अलग वर्गो के लिए अनुदान एवं ऋण उपलब्ध कराया जाता है । प्रति इकाई निर्माण लागत 3250 रू. है । प्रथम चरण में कुल 13525 एवं द्वितीय चरण 6547 इस तरह कुल 20072 शुष्क शौंचालय को जलवाहित में परिवर्तन हेतु स्वीकृत दी गई है जिसमे 11258 शौचालय पूर्ण एवं 3964 प्रगति पर है ।

2.3 आई.डी. एस.एम.टी योजना :–वर्ष 2004–05 से 9 निकायों को 73 कार्यो हेतु 2398.76 लाख रू. स्वीकृत हुए है । वर्ष 2005–06 से इस योजना को एमसीलरेटेड अरबन वाटर सप्लाई प्रोग्राम **(AUWSP)** के साथ सम्मिलित कर अरबन डब्लमेंट स्कीम फार स्माल

मीडियम टाऊन **(UIDSSMT)** योजना प्रवर्तित की जा रही है । वर्ष 2007–08 में कुल 73 स्वीकृत कार्य हेतु 1156.00 लाख का आबंटन निकायों को दिया गया जिसमें 76 कार्य प्रगति पर है ।

2.4 बाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना (VAMVEY):–इस योजना के अन्तर्गत घोषित झुग्गी बस्ती के निवासियों के लिए आवास बनाने एवं उन्नयन करने हेतु 40 हजार रू. की सहायता प्रति आवास प्रदान की जाती है । वर्ष 2006–07 में 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में सम्मिलित है । अभी तक तीन हजार आवास प्रथम चरण में एवं 4659 आवास द्वितीय चरण में पूर्ण किए जा चुके हैं ।

2.5 स्वच्छ छत्तीसगढ़ योजना :–वर्ष 2005–06 में यह नई योजना शहरी क्षेत्रो में गरीबी के रेखा के नीचे एवं उसके आस–पास जीवन यापन करने वाले परिवारों के घरों में व्यक्तिगत सस्ता शौचालय निर्माण किए जाने की योजना ताकि खुले में शौच की प्रवृत्ति का त्याग किया जाकर स्वच्छ छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सके । प्रथम चरण में 14728 यूनिट की स्वीकृति प्रदान की गई है 2672 पूर्ण किए जा चुके हैं 4120 शौचालय प्रगति पर हैं ।

राज्य प्रवर्तित योजनाएँ :–

1.महिला समृद्धि योजना :– राज्य सरकार के द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थित तालाबों, सरोवर के लिये रख–रखाव तथा सौंदर्य वृद्धि के लिये यह योजना लागू की गई । प्रति हेक्टेयर तालाब क्षेत्र के लिये 9.10 लाख की अधिकतम स्वीकृती दी जाती है । वर्ष 2006–07 में शत्–प्रतिशत अनुदान दिया गया । योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में 280 तालाबों का सौंदर्यीकरण एवं गहरीकरण का कार्य किया गया

2.**महिला समृद्धि बाजार योजना** :– महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिलाओं के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है । वर्ष 2007–08 के प्रथम चरण में 778 दुकान निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है जिसमें से 376 दुकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है ।

3.ट्रान्सपोर्ट नगर योजना :– शहरी आबादी से दूर शहर से लगा हुआ सर्वसुविधायुक्त ट्रान्सपोर्ट नगर बनाने की योजना है, अब तक 7 नगर पालिका निगम एवं एक नगरपालिका परिषद क्षेत्र में 1464.61 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है । योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत अनुदान तथा शेष 60 प्रतिशत ऋण का प्रावधान है । बिलासपुर, रायगढ़, अम्बिकापुर रायपुर एवं भिलाई चरौदा में कार्य प्रगति पर है ।

4. गोकुल नगर योजना :– शहर के अंदर स्थित डेयरियों को नगर के बाह्य क्षेत्र के एक या अधिक स्थान पर व्यवस्थित कर नगरों से प्रदूषण दूर करने की यह योजना है । अब तक

8 नगर पालिक निगमों में यह योजना स्वीकृत की गई है । इस योजना अन्तर्गत 40 प्रतिशत अनुदान एवं 60 प्रतिशत ऋण प्रावधान के अन्तर्गत 1397.79 लाख की स्वीकृति दी गई है ।

5. अटल आवास योजना :– वर्ष 2005–06 में शहरी गंदी बस्तियों में गरीबी रेखा के आस–पास जीवन–यापन करने वाले, पर आवासहीन लोगों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह योजना है । योजनान्तर्गत प्रति युनिट 50000/– रूपये आवास निर्माण हेतु तथा भू–खण्ड एवं बाह्य विकास के लिए 10000/– रू. का प्रावधान जिसमें से 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान है । हितग्राही द्वारा 10.00 प्रतिदिन की दर से 14 वर्षो में ऋण अदायगी किया जाएगा । 29 नगरों में 4333 आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है । अब तक 3084 आवास के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

6. दीनदयाल स्वावलंबन योजना :– शहरों के छोटे व्यवसायी जैसे फेरी वाले, फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले, ठेले वालों के कल्याण की इस योजना के अंतर्गत उन्हें गुमटियां अस्थाई रूप से आवंटित की जाती है । प्रति गुमटी लागत 20000.00 रू. है जिसमें 80 प्रतिशत राशि शासन द्वारा तथा 20 प्रतिशत राशि सम्बन्धित निकाय द्वारा अपने निधि से वहन किया जाता है । वर्ष 2006–07 तक 3145 गुमटी स्थापित करने हेतु स्वीकृति दी गई है । जिसमें 1719 गुमटी स्थापित की जा चुकी है ।

7. कमजोर वर्ग के लिये सुरक्षा समूह बीमा योजना(मिनीमाता शहरी निर्धन बीमा योजना) :– ऐसे व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो तथा गरीबी रखा के नीचे तथा उससे थोड़ा ऊपर जीवन–यापन करने वाले शहरी गरीबी को जीवन बीमा की सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है । जो न्यूनतम 25 के समूह में प्रयोजित किये जायेंगे । बीमित व्यक्ति की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50000.00 रूपये तथा सामान्य मृत्यु होने पर 20000 नामित व्यक्ति को देख होता है । वर्ष 2007–08 में 2007–08 में 66670 हितग्राहियों की बीमा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया । जिसके विरूद्ध 28060 लोगों को बीमा कराया गया ।

शहरी विकास हेतु –केन्द्र प्रवर्तित नई योजनाएँ

अर्बन इन्फास्ट्राक्टर डेव्हलमेंट स्कीम फार स्माल एण्डमीडियम टाऊन (UIDSSMI):– वर्ष 2005–06 से केन्द्र प्रवर्तित एम्सीलेरेटेड अर्बन वाटर सप्लाई कार्यक्रम को केन्द्र शासन द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजना के साथ समाहित कर उपरोक्त योजना प्रवर्तित की जा रही है । इस योजनान्तर्गत तीन निकाय बिलासपुर, रायगढ़ एवं कोण्डागाँव के लिये 61.18 करोड़ की स्वीकृती एवं नगर निगम बिलासपुर की शिवरेज योजना 190.26 करोड़ की भी स्वीकृति

प्रदान की गई है । सात निकायों की स्ट्राम वाटर डेनेज योजना 113.76 करोड़ केन्द्र शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित् की गई है ।

राज्य प्रवर्तित नई योजना :–

1. प्रतीक्षा बस स्टैंड योजना (द्वितीय चरण):– प्रदेश के नगरों में बस यात्रियों की सुविधा हेतु सुव्यवस्थित बाजार की उपलब्धता प्रतीक्षा बस स्टैण्ड सह व्यवसायिक परिसर बनाने की योजना के अन्तर्गत नगर पालिक निगमों के लिए 50.00 लाख नगर पालिका के लिए 33.00 लाख एवं नगर पंचायतों के लिए 17.00 लाख के मान से 16.00 लाख की स्वीकृति वर्ष 2005–06 में दी गई है । वर्ष 2007–08 तक एक परियोजना पूर्ण एवं 59 परियोजना प्रगति पर है ।

2. सार्वजनिक प्रसाधन योजना :–शौचालय विहीन परिवारों के लिए जो खुले क्षेत्र में शौच को जाते हैं एवं शहर में बाहर से आनेवाले कार्यशील जनसंख्या के लिए सार्वजनिक स्थलों पर शौंचालय निर्माण की योजना लागू की गई है । रायपुर, बिलासपुर नगरपालिक निगमों 8–8 अन्य निगमों 7–7 नगर पालिका परिषदों में 2–2 एवं प्रत्येक नगर पंचायत में 1–1 यूनिट हेतु 1656.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है । वर्ष 2007–08 तक 26 शौचालयों का कार्य पूर्ण किया गया है एवं 171 का कार्य प्रगति पर है ।

3.मुक्तिधाम योजना :– शहरी क्षेत्र में मृतकों के अत्येष्टि के लिए सुविधा निर्माण की योजना है जिसमें क्रिमेंशन सेड, चौकीदार क्वाटर एवं वाहन पार्किग की सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा यह योजना प्रदेश के सभी निकायों में लागू की गई है । कुल 110 मुक्तिधाम निर्माण हेतु 976.00 लाख की स्वीकृति वर्ष 2005–06 में प्रदान की गई है । वर्ष 2007–08 तक 20 मुक्तिधाम का कार्य पूर्ण एवं 87 मुक्तिधाम का कार्य प्रगति पर है ।

4.बिल्ड फायनेंस–ट्रान्सफर योजना (BFT) : इस योजना के अंतर्गत सड़कों के एकीकृत विकास (सीमेंट/कांक्रीट, डामरीकृत सड़के, नाली निर्माण, पुलिया निर्माण, सर्विस डक्ट एवं क्रासडक्ट तथा स्ट्रीट लाईट) के लिए बिलासपुर नगर निगम में दो पैकेज क्रमशः रू. 7.39 करोड़ तथा रू. 20.69 करोड़ की प्रस्तावित है योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण राशि प्रथमतः निजी भागीदार द्वारा लगाई जाएगी । नगर निगम आगामी 10 वर्षो में निर्धारित किश्त अनुसार निजी भागीदारी को धनराशि बैंक के एक एकाउंट के माध्यम से वापस करेगा । 10 वर्षो तक मरम्मत का कार्य भी निजी भागीदार द्वारा किया जाएगा । वर्ष 2006–07 में शासन द्वारा बिलासपुर के अतिरिक्त सात अन्य नगर निगमों में उक्त योजना को समावेश किया गया है ।

बाक्स न–13.1

विकास कार्यक्रम व योजनाएं

- महिला एवं बच्चो का विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2007–08 मे 70 महिलाओ के समूहो को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है । इस तरह 211 लाभान्वित हुई है ।
- राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2005–06 मे 258.50 लाख रूपये नगरीय निकायो को उपलब्ध कराया गया है । वर्ष 2007–08 में क्रमशः 3000 एवं 4659 आवास कार्य पूर्ण किये गये है ।
- कमजोर वर्ग के लिये सुरक्षा समूह बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2007–08 में 66670 हितग्रहियों को नामांकित किया गया है । जिसके विरूद्व 28060 लोगों का बीमा कराया गया है ।
- सरोवर धरोहर योजना के अंतर्गत वर्ष 2007–08 तक 280 तालाबों का सौन्दर्यीकरण एवं गहरीकरण का कार्य किया जा चुका है । प्रति हेक्टर तालाब के लिए 9.10 लाख की अधिकतम स्वीकृति निर्धारित है ।
- ज्ञानस्थली योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के भवनों निर्माण एवं पुनरोद्धार के लिए शासन द्वारा वर्ष 2006–07 तक में 860 स्कूलों/कालेजों अतिरिक्त कक्षों/भवनों का निर्माण किया जा चुका है ।
- उन्मुक्त खेल मैदान योजना के अंतर्गत मैदानों के निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु प्रति हेक्टर 750 लाख के दर से 1294.72 लाख की स्वीकृति दी गई है ।
- मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के अंतर्गत 7926 दुकाने एवं 2795 चबूतरों का कार्य स्वीकृत किया गया जिसमें से 4575 दुकाने एवं 1012 चबूतरों का निर्माण पूर्ण हो गया है ।
- उद्यानों के सुधार निर्माण एवं रख–रखाव हेतु पुष्प वाटिका उद्यान योजना के अंतर्गत अब तक 163 उद्यानों के लिये 1302.70 लाख की स्वीकृति दी गई है । उद्यानो का विकास/सुधार कार्य किया जा चुका है ।

रोजगार एवं प्रशिक्षण

राज्य निर्माण के पश्चात 07 नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं 36 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त व्यवसायों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है । जिसमें विभिन्न हाईटेक व्यवसाय जैसे कम्प्यूटर हार्डवेयर, इन्फारमेंसन टेक्नालॉजी, कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिसटेंट में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

बाक्स न–13.2

रोजगार एवं प्रशिक्षण

- राज्य के रोजगार कार्यालयों में चालू पंजी पर दर्ज कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सितम्बर 2007 तक 10.86 लाख है ।
- जनवरी 2007 से सितम्बर 2007 तक रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 1.39 लाख बेरोजगारों का पंजीयन कराया गया है । जिमसें से 919 बेरोजगारो को रोजगार उपलब्ध कराया गया । जिसमें 104 महिलाएँ 100 अनुसूचित जाति, 193अनुसूचित जन जाति 194 पिछड़ें वर्ग के उम्मीदवार थे ।
- वित्तीय वर्ष 2007–08 में शासन ने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त युवक/युवतियों को रोजगार एवं स्वरोजगार मे स्थापित करने हेतु 38 व्यवसायों मे प्रशिक्षित करने की योजना शुरू की है । इस हेतु शासन से 86.70 लाख रू. शासन से प्राप्त हुए हैं एवं सितम्बर 2007 तक 3596 आवेदकों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया है ।

सेंटर आफ एक्सीलेंस : केन्द्र शासन के सहयोग से राज्य में चार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें भिलाई, माना, कोरबा एवं रायगढ़ में सेन्टर आफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है । वित्तीय वर्ष 2006–07 में चार अन्य संस्थानों अबिंकापुर, बस्तर, कोनी (बिलासपुर) एवं कुरूद का योजनान्तर्गत उन्नयन कर प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है । साथ ही वित्तीय वर्ष 2007–08 में 06 आई.टी.आई. दुर्ग, महिला भिलाई, डौडी लोहारा, गौरेला, चिरमिरी एवं डोंगरगढ़ को उन्नयन कर प्रशिक्षण प्रारंभ करने की स्वीकृति की गई है ।

राज्य में प्रशिक्षु (आपरेन्टिस शिप) : वित्तीय वर्ष 2007–08 में शिक्षुता प्रशिक्षण की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्षेत्र	निर्धारित	नियोजित	प्रतिशत
निजी क्षेत्र	727	497	68.56
सार्वजनिक	462	12	2.59

राज्य में आई.टी.आई. में अन्य गतिविधियॉं :– नेशनल केडट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजनान्तर्गत राज्य में क्रमशः 5 एवं 8 संस्थायें आई.टी.आई. प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है । जिसमें क्रमशः 320 एवं 800 छात्र–छात्रायें लाभान्वित हो रही हैं ।

राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थाओं में छात्रवृत्तियॉं : शासकीय औद्योगिक संस्थाओं में सामान्य गरीबी रेखा के नीचे प्रत्येक प्रशिक्षु को 100 रू. प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है । एवं मेरिट छात्रों को 125 रू. प्रतिमाह देय है । वहीं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के गैर छात्रावासी प्रशिक्षु को 140 रू. एवं छात्रावासी प्रशिक्षु को 335 रू.–प्रतिमाह की छात्रवृत्तियॉं प्रदान की जा रही हैं।

शिक्षित बेराजगारों को बेरोजगारी भत्ता :–इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार के सदस्य को जो 18 से 35 वर्ष के बीच है तथा 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर रोजगार कार्यालय में दो वर्ष पूर्व से पंजीकृत हैं । जिस परिवार की वार्षिक आय 11000 से कम हो ऐसे बेरोजगारों को आगामी दो वर्षो के लिए 500 रू. प्रतिमाह की दर से बेरोजगार भत्ता दिया जा रहा है । वर्ष 2007–08 में शासन द्वारा 736.70 हजार रू. का आबंटन किया गया है । प्राप्त आंबटन/व्यय/लाभान्वित शिक्षित बेरोजगारों की संख्या निम्नानुसार है :–

(हजार रूपयों में)

मांग संख्या	आबंटन राशि (2007–08)	व्यय राशि (1.4.2007 से 30.09.2007 तक)	लाभान्वित शिक्षित बेरोजगारों की संख्या
आदिवासी क्षेत्र आयोजना	125.00	26.01	905
अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना	125.00	24.98	1129
सामान्य	486.70	85.47	2989
योग	**736.70**	**136.46**	**5023**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत क्रियान्वित ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना : ग्रामीण इलाकों में ऐसे परिवार को वर्ष के दौरान कम से कम 100 दिन गारंटी सुदा रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बेरोजगार वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करना है । इस रोजगार गारंटी से उत्पादक संपदाओं का निर्माण करने, पर्यावरण की रक्षा करने, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, शहरो की ओर पलायन पर अंकुश लगाने एवं सामाजिक समानता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी । अधिनियमो के प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया है । राज्य के 11 जिलों के 100 जनपद पंचायतों एवं 6190 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है । अप्रैल, 2007 से चार अन्य जिले के 34 जनपद पंचायतें एवं 6190 ग्राम पंचायतों में भी यह योजना प्रारंभ हुई है । अप्रैल, 2008 से जिला दुर्ग में भी यह अधिनियम प्रभावशील होगी ।

ग्रामीण परिवारों द्वारा आवेदन किए जाने के 15 दिन में अगर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बेरोजगारी भत्ता की पात्रता होगी जो कि नगद भुगतान किया जावेगा । बेरोजगारी भत्ते का भुगतान प्रथम 30 दिनों के लिए मजदूरी का 1/4 भाग होगा, तदनुसार न्यूनतम मजदूरी का आधा होगा जिसकी कुल सीमा अधिकतम 100 दिन की होगी ।

वित्तीय वर्ष 2006–07 में रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत मार्च 2007 तक 78039.76 लाख रूपयें की राशि निर्गमित की गई है । अन्य प्राप्तियों एवं वर्ष 2006 की शेष राशियों को जोड़कर 84104.27 लाख उपलब्ध थे । जिसके विरूद्ध मार्च, 2007 तक 66882.15 लाख रूपये व्यय किये गये है । इस प्रकार कुल राशि के विरूद्ध 79.53 प्रतिशत व्यय कर 691.41 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित किये । मार्च, 2007 तक कुल स्वीकृत 35198 कार्यों में से 16111 कार्य पूर्ण तथा 19087 कार्य प्रगति पर थे । चैनित 11 जिलों में कुल ग्रामीण परिवार 23.11 लाख है तथा बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 11.59 लाख है । कुल 18.48 लाख परिवार रोजगार हेतु पंजीयन किया गया इसमें 1282794 परिवारों द्वारा रोजगार की मांग की गई जिसके विरूद्ध 1256737 परिवारों को रोजगार दिया गया ।

वित्तीय वर्ष 2007–08 माह सितंबर, 2007 की स्थिति में 70992.35 लाख की राशि निर्गमित की गई है । शेष वर्ष 2007 की राशि जोड़कर 88372.94 लाख उपलब्ध है । जिसके विरूद्ध माह सितंबर, 2007 तक 51972.18 लाख व्यय किये गये इस प्रकार उपलब्ध राशि के विरूद्ध 59 प्रतिशत व्यय किया गया है एवं 508.92 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित किये । माह सितंबर, 2007 तक कुल स्वीकृत 45427 कार्यों में से 27620 कार्य पूर्ण किये गये तथा 17807 कार्य प्रगति पर है । चयनित 15 जिलों में कुल ग्रामीण परिवार 34.07 लाख है तथा बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 16.63 लाख है कुल 27.34 लाख परिवार रोजगार हेतु पंजीकृत किये गये है । योजनान्तर्गत 1220828 परिवारों द्वारा रोजगार की मांग की गई जिसके विरूद्ध 1219158 परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया ।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना – भारत सरकार द्वारा 25 सितम्बर 2001 से ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित केन्द्र प्रवर्तित रोजगार आश्वासन योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को सम्मिलित कर एक नई योजना सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारम्भ की गई है । इस नई सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार येाजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष निर्धारित राशि के बराबर कीमत का खाद्यान भी प्रत्येक जिले को आवंटित किया जाता है ।

वर्ष 2006–07 में 6542.08 लाख की राशि निर्गमित की गई अन्य प्राप्तियों को जोड़कर कुल 7178.05 लाख उपलब्ध थे जिसके विरूद्ध 7040.38 लाख रू. व्यय किए गए । इस प्रकार उपलब्ध राशि के विरूद्ध 98 प्रतिशत व्यय किया गया है तथा कुल उपलब्ध 31963 में. मेट्रिक टन चावल आबंटन के विरूद्ध 25860 में मेट्रिक टन चावल का वितरण किया गया तथा 83.58 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये ।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 केवल दुर्ग जिले में लागू है । जिसके लिये 1507.38 लाख (केन्द्रांश+राज्यांश) का वित्तीय प्रावधान किया गया एवं 3392 मेट्रिक टन खाद्यान्न का आबंटन प्राप्त हुआ है । जिला दुर्ग माह सितंबर, 2007 तक केन्द्रांश की राशि 678.46 लाख एवं राज्यांश रूपये 226.15 लाख जारी किया जा चुका है । योजनान्तर्गत 8.76 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किये । माह सितंबर, 2007 तक पूर्व अवशेष राशि एवं अन्य प्राप्तियों सहित कुल उपलब्ध राशि 1311.58 लाख के विरूद्ध 1026.88 लाख व्यय हुआ । इस प्रकार उपलब्ध राशि के विरूद्ध 78 प्रतिशत व्यय किया गया है एवं 1898 मेट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण मजदूरों को किया गया ।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

भारत सरकार ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल, 1999 से प्रभावशील की है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को छोटे–छोटे अनेकानेक उद्यम स्थापित कर उन्हें मूलभूत व तकनीकी प्रशिक्षण प्रदाय करते हुये गरीबी रेखा से ऊपर लाना है । इसमें केन्द्र व राज्य शासन का वर्तमान में वित्तीय अंशदान 75 व 25 प्रतिशत है ।

राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2006–07 में रू. 7872.46 का लक्ष्य था, जिसके विरूद्ध माह मार्च, 2007 तक रू. 7144.576 लाख वित्तीय उपलब्धि अर्जित की गई तथा 48760 स्वसहायता समूहों का गठन कर 33669 परिवारों को लाभान्वित किया गया, जिसमें 5228 अनुसूचित जाति के 15230 अनुसूचित जनजाति के एवं 16091 महिला प्रमुख परिवार लाभान्वित किये गये । उपलब्ध राशि रू. 4695.288 लाख में से मार्च, 07 तक रू. 4677.287 लाख की राशि व्यय की गई । वर्ष 2007–08 में राज्य को रू. 10437.24 लाख का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरूद्ध सितंबर, 2007 तक 3749.23 लाख व्यय कर 50603 स्व सहायता समूहों का गठन किया गया जिसमें 16279 लाभान्वित परिवारों में से 2074 अनुसूचित जाति 7305 अनुसूचित जनजाति एवं 9312 महिला प्रमुख परिवार लाभान्वित किये गये ।

उपलब्ध राशि 3429.10 लाख में से माह सितंबर, 2007 तक 2287.82 लाख की राशि व्यय की गई है । योजनान्तर्गत 86.62 करोड़ की सात विशेष परियोजनाएँ स्वीकृति भारत शासन को प्रेषित किये गये है ।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) योजना आयोग द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय सम विकास योजना वर्ष 2006–07 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि अंतर्गत समाहित कर दी गई है । इस योजना में सामिल सभी 8 जिलें सहित कुल 13 जिलें शामिल किये गये है । योजना का उद्देश्य पंचायत एवं नगर पालिका निकायों का नियोजन योजना क्रियान्वयन एवं निगरानी क्षेत्र में क्षमता विकास तथा विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है । यह योजना केन्द्र शासन द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित है । योजनान्तर्गत प्रत्येक जिलें में कम से कम 10 करोड़ रूपये का प्रावधान है इसके अतिरिक्त जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के आधार पर पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के स्थानीय निकायों की क्षमता विकास हेतु 1 करोड़ अलग से दिये जाने का प्रावधान है । इस योजनान्तर्गत 8 जिलों को कुल 360 करोड़ का आबंटन प्राप्त हो चुका है जिसके विरूद्ध 336.98 करोड़ की राशि व्यय कर योजनान्तर्गत स्वीकृत 105590 कार्यों के विरूद्ध 68738 कार्य पूर्ण किये जा चुके है ।

नवीन जिलों कोरबा, महासमुंद, धमतरी, कोरिया एवं रायगढ़ की प्रस्तावित कार्य योजना हेतु 21.00 करोड़ का आबंटन एवं अतिरिक्त क्षमता विकास कार्य हेतु 9.10 करोड़ का आबंटन भी प्राप्त हुआ है । बी.आर.जी.एफ. योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद पंचायत में 10.00 लाख रूपयें की लागत से पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना राज्य ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा रायपुर में 4 करोड़ की लागत से सेटकॉम स्टूडियों की स्थापना प्रस्तावित है ।

जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (हरियाली)

1. सूखा उन्मूख क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.):– 1 अप्रैल, 1999 से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75 एवं 25 प्रतिशत योगदान से संचालित है । नवगठित राज्य के 8 जिलों के 29 विकास खण्ड वर्ष अन्तर्गत सूखा ग्रस्त पाये गये है । इन विकास खण्डों में 4200.00 लाख पंचवर्षीय लागत की 140 नई माइक्रो वाटरशेड परियोजनाएँ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वीकृत की गई है । इन्हें सम्मिलित कर पूर्व से निरंतर संचालित परियोजनाओं सहित कुल 932 परियोजनाएँ इस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है ।

वर्ष 2006–07 में उपलब्ध कुल राशि 2115.53 लाख में से 1184.81 लाख व्यय कर 27038 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया एवं 3270 हेक्टेयर नई सिंचित क्षेत्र में वृद्धि की गई । वर्ष 2007–08 में माह सितंबर तक कुल उपलब्ध 970.45 लाख में से 226.70 लाख व्यय कर 5400.56 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया एवं 403 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र निर्मित हुई है ।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

भारत सरकार द्वारा 25 दिसम्बर, 2000 से यह योजना पूरे देश में प्रारंभ की गई है । योजना का मूल उद्देश्य वर्ष 2009 के अंत तक 1000 या इससे अधिक आबादी (पहाड़ी/रेगीस्तानी/आदिवासी विकास खण्डों के मामले में 500 या इससे अधिक) की सभी बिना जुड़ी बसाहटों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

छत्तीसगढ़ राज्य में यह कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को सौंपा गया है । प्रथम चरण के अंतर्गत वर्ष 2000–01 में भारत सरकार द्वारा 956.83 किमी लंबाई की 112 सड़कें 812 पुल–पुलिया स्वीकृत की गई तथा रू. 91.92 करोड़ राशि प्रदान की गई । अभी तक कुल स्वीकृत में से 112 सड़कें 919.25 किमी लंबाई तथा 829 पुल–पुलिया पूर्ण कर 115.54 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है ।

वर्ष 2006–07 में सामान्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के छठवें चरण के अंतर्गत 503.43 करोड़ रूपये लागत की 357 सड़कें लम्बाई 1730.09 कि.मी. तथा 2232 पुल–पुलियों तथा एशियन विकास बैंक की सहायता में तृतीय चरण के तहत 595.41 करोड़ रूपये लागत की 567 सड़कें 2145.08 कि.मी. लम्बाई तथा 4005 पुल–पुलियों की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा उन पर क्रमशः 12.77 करोड़ तथा 59.53 करोड़ रूपये का कार्य करते हुए कुल 382 पुल–पुलियों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2007–08 हेतु सामान्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 4442.65 कि.मी. लंबाई की 745 सड़कों तथा लागत 1299.76 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये है ।

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अभी तक कुल रू. 3339.57 करोड़ की राशि से 3007 सड़कें लंबाई 14804.72 कि.मी. तथा 16275 पुल–पुलियों की स्वीकृति प्राप्त हुई है इसमें से 1700 सड़कें, लम्बाई 8740.41 किमी तथा 10844 पुल–पुलियाँ पूर्ण होकर 1879.79 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके है ।

अध्याय–16

सामाजिक सेवायें

राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मानव संसाधन अन्तर्गत मूल भूत सुविधाओं के विस्तार, सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विकास कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण भूमिका है । इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य पेयजल, पर्यावरण, अनुसूचित जाति जन जाति विकास तथा सामाजिक रूप से पिछड़े विगलांग, वृद्ध एवं बच्चों के स्तर में विकास कर समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना प्रमुख है ।

स्कूल शिक्षा विभाग

प्रदेश के 16 जिलों में स्थित 19 शिक्षा जिलों की भूमिका राष्ट्र के विकास की धारा में अशिक्षा एवं निरक्षरता के क्रम में शिक्षा की भूमिका अहम हो गई है । देश का प्रत्येक नागरिक पढ़ा लिखा एवं जागरूक हो इस हेतु यह आवश्यक है कि शैक्षणिक संस्थाओं को देश में सुदृढ़ तंत्र स्थापित कर शैक्षणिक पहचान स्थापित कर सके ।

प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं का स्तरवार विवरण :

क्र.	स्तर	शिक्षा विभाग	आ.जा.क.वि		सर्व शिक्षा अभियान	स्थानीय निकाय शिक्षा	अनुदान प्राप्त		मदरसा बोर्ड	गैर अनुप्राप्त	जन भागीदारी	योग
			शाला	आश्रम			शिक्षा	आ. जा.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	10	11	12
1	प्राथमिक स्तर	14464	9409	0	9267	–	178	05	35	2406	–	35764
2	पूर्व मा. स्तर	3558	2381	0	7096	–	57	05	–	1501	–	14598
3	हाई स्कूल	678	419	0	0	–	–	–		554	366	2017
4	उ.मा.विद्यालय	658	519	0	0	20	78	02	–	586	175	2038
	योग	**19558**	**12728**	0	**16363**	**20**	**313**	**12**	**35**	**5047**	**541**	**54417**

1. दर्ज संख्या वृद्धि अभियान :

वर्तमान सत्र में दर्ज संख्या में वृद्धि हेतु शिक्षकों के द्वारा घर–घर जाकर सर्वे कर सभी छात्रों को जो 6 से 14 आयु वर्ग के हैं, के प्रवेश हेतु कार्यवाही की गई । उपरोक्त अभियान से शत–प्रतिशत बच्चों के प्रवेश हेतु कार्यवाही की गई है । राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च/उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं की संख्या क्रमशः 35767, 14598 एवं 4055 है तथा इन संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 3563860 एवं 1274190 एवं 310290 है ।

2. छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना :

प्रदेश में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने एवं दूरस्थ अंचलों की छात्राओं को निजी निवेशको के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षा देने हेतु उपरोक्त योजना के अन्तर्गत अनुबंधित किया गया है । योजना का शुभारंभ 16 अगस्त 2005 को किया गया है । प्रथम चरण में इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र की समस्त बालिकाओं को एवं शहरी क्षेत्र की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को एन.आई.आई.टी द्वारा निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है । योजना में रायपुर एवं बिलासपुर जोन हेतु प्रति छात्रा 69.40 रू. तथा बस्तर एवं सरगुजा जोन में 74.00 रू. की दर से शासन द्वारा भुगतान किया जायेगा । योजनान्तर्गत एन.आई.आई.टी. द्वारा कम्प्यूटर एवं प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी । प्रदेश के 16 जिलों में 1202 स्कूलों में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है । वर्ष 2006–07 में 725.00 लाख रू. का आवंटन दिया गया है जिसमें वर्ष 2006–07 में 141294 बालिकाओं के लिए निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा दी गई है । वर्ष 2007–08 में 162000 बालिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु 889.00 लाख रूपये का प्रावधान है । माह सितंबर तक 228.00 लाख रूपये व्यय किये गये है ।

3. सैनिक स्कूल की स्थापना एवं योग प्रशिक्षण :–

वर्तमान में प्रदेश के 73 छात्र छठवीं से 12वीं तक सैनिक स्कूल में अध्ययनरत है । इस हेतु वर्ष 2005–06 में 23.00 लाख रू. की स्वीकृति प्रदान की गई है । वर्ष 2006–07 से अनुमति प्राप्त होते ही सैनिक स्कूल की यह सुविधा प्रदेश के छात्रों को राज्य में ही मिलने लगेगा । आगामी दो वर्षो में 500.00–500.00 लाख रू. प्रस्ताव किए गए हैं । इस योजना में लगभग 150 से 200 विद्यार्थी लाभान्वित होगे ।

विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक योग शिक्ष को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इसके लिए पाण्डुलिपि तैयार की जा चुकी है एवं मुद्रण की कार्यवाही प्रगति पर है । वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में क्रमशः 47.00 एवं 49.00 लाख रू. का प्रस्ताव किया गया है इससे आगामी दो वर्षो में 5 लाख विद्यार्थी प्रशिक्षित होंगे ।

संस्कृति शिक्षा साहित्य एवं भाषा के उन्नयन एवं संरक्षण हेतु छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड का गठन किया गया है । प्रारभिक गतिविधियों के लिए वर्ष 2005–06 में 12.50 लाख एवं

2006–07 में 15.00 लाख स्वीकृत किए गए हैं । साथ ही संस्कृत शिक्षा के विकास हेतु समारोह आयोजन पर 1.00 लाख रू. दिये गये हैं ।

राज्य शासन द्वारा उर्दू तालिम के विकास एवं संरक्षण हेतु स्कूल शिक्षा के अधीन छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड की स्थापना की गई है । प्रारंभिक गतिविधियों तथा प्रशासनिक व्यय हेतु वर्ष 2005–06 में 20.00 लाख एवं 2006–07 में 20.00 लाख रू. स्वीकृत किए गए है ।

बाक्स न–14.2

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमः–

1. प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में 220 कार्य दिवसों तक पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है ।
2. इस योजना के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के 34220 प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु 102.00 करोड़ आबंटित किए गए हैं ।
3. प्रदेश के 61 विकास खण्डों की 12500 शालाओं को गैस चुल्हा प्रदाय किया गया है । गैस चूल्हे हेतु 1.86 करोड़ रू. एवं कनेक्शन हेतु 2.87 करोड़ रू. की राशि व्यय की गई । जिसमें करीब 1728766 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं ।
4. वर्ष 2006–07 के बजट में 77.04 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है । इस राशि को जिला पंचायतों को आवंटित किया गया है । जिससे 12500 विद्यालयों 1.86 करोड़ रूपये गैस चूल्हे हेतु एवं कनेक्शन हेतु 2.87 करोड़ की राशि अब तक व्यय की गई है ।
5. भारत सरकार से 39.75 करोड़ रू. की राशि प्रदाय की गई थी जिसमें से 27.40 करोड़ रू. से 5371 निर्माण पूर्ण हो चुके हैं एवं 1046 किचन शेड हेतु वर्ष 2006–07 में 33.42 करोड़ रूपये किचन शेड निर्माण हेतु कुल 5570 किचन शेड निर्माण किया गया । राज्य बजट से 2.00 करोड़ की राशि से 333 किचन शेड निर्माण हेतु 9 जिलों को राशि जारी कर दी गई है ।
6. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वार्षिक अनुदान रू. 2000.00 तक के बर्तनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिय गये है ।
7. मध्यान्ह भोजन अन्तर्गत प्रति छात्र होने वाले व्यय की राशि 2.00 रू. से बढ़ाकर 2.50 रू. की गई है । इस योजना का मूल्यांकन स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा की जा रही है ।

4. मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हितग्राही

क्र	जिला	वर्ष 2007–08 में लाभान्वित हितग्राही
1	रायपुर	471056
2	महासमुन्द	140143
3	धमतरी	95603
4	दुर्ग	379169
5	राजनांदगांव	18650
6	कबीरधाम	102027
7	बिलासपुर	314943
8	जांजगीर–चांपा	202971
9	कोरबा	123067
10	रायगढ़	157777
11	जशपुर	107716
12	सरगुजा	264489
13	कोरिया	76736
14	जगदलपुर	224726
15	दंतेवाड़ा	162636
16	कांकेर	101668
	योग	**3111277**

5. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण/बुक बैंक योजना

1. यह योजना कक्षा एक से आठ तक के सभी बालिकाओं तथा गरीबी रेखा के नीचे सामान्य वर्ग के परिवार के कक्षा पांच के छात्रों के लिए लागू है ।

2. कक्षा छठवीं से बारहवीं तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालक बालिकाओं को बुक बैंक के माध्यम से पाठ्यपुस्तक प्रदाय की जाती है ।

3. वर्ष 2006–07 में कक्षा नवमी से दसवीं तक अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदान की गई है ।

4. वर्तमान में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा एक से आठ तक के सभी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदान की गई है ।

5. वर्ष 2006–07 में प्राथमिक स्तर पर कक्षा एक से पांच तक 45.93 लाख छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करायी गई । एवं वर्ष 2007–08 में 46 लाख छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई गई ।

6. वर्ष 2006–07 में हाईस्कूल स्तर पर कक्षा नववीं एवं दसवीं में अध्ययनरत 1.73 लाख पात्रताधारी बालिकाओं को पुस्तकें वितरित की गई है । एवं वर्ष 2007–08 में 2.5 लाख बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई गई ।

7. वर्ष 2006–07 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण में 13.69 करोड़ रूपये एवं वर्ष 2007–08 में 56.00 लाख रूपये व्यय किये गये ।

8. वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान एवं स्कूल शिक्षा विभाग पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान करती है ।

6. निःशुल्क गणवेश तथा पढ़ो कमाओं योजना :

1. प्राथमिक विद्यालय की बी.पी.एल.(अ.जा.,अ.ज.जा. एवं पिछड़ा वर्ग) स्तर पर अध्ययनरत छात्रों को निःशुल्क गणवेश प्रदान किया जाता है ।
2. गणवेश की सिलाई कक्षा नववीं से बारहवीं तक की छात्राओं से कराई जाती है ।
3. सिलाई के लिए उन्हे प्रति गणवेश सात रू. प्रदाय किया जाता है ।
4. वर्ष 2006–07 में कुल 537058 छात्राओं को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ इस हेतु 8.00 करोड़ रूपये व्यय किये गये ।
5. वर्ष 2007–08 में कुल 600000 छात्राओं को गणवेश का लाभ देने हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग को नोडल विभाग बनाए गए है कार्यवाही जारी है ।
6. वर्ष 2007–08 में कुल राशि रू. 8.00 करोड़ का प्रावधान है । माह सितंबर, 2007 तक 5.81 करोड़ रूपये व्यय किये गये है ।

7. सरस्वती योजना (निःशुल्क सायकल प्रदाय):

1. राज्य के हाईस्कूल में अध्ययनरत अनु.जाति एवं अनु.जनजाति की बालिकाओं को निःशुल्क सायकल प्रदान की जावेगी ।

2. योजना अंतर्गत वर्ष 2006–07 में 19571 छात्राओं को लेडिस ब्लेक सायकल का वितरण किया गया जिस पर 341.57 लाख रूपये व्यय किये गये है । वर्ष 2007–08 में 25000 छात्राओं को सायकल वितरण किये जाने हेतु 560.00 लाख का प्रावधान है ।

8. छात्र दुर्घटना बीमा योजना :

वर्तमान में निःशुल्क सुरक्षा बीमा योजना लागू है । योजनान्तर्गत प्राथमिक स्तर से लेकर महाविद्यालयीन स्तर तक प्रत्येक छात्र को निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है । प्रदेश के 58.26 लाख छात्र–छात्रायें इस योजना से लाभान्वित हैं । योजनान्तर्गत यूनाईटेड इनश्योरेंस से 50 छात्रों का क्लेम किया गया था जिसमें 32 छात्रों का 3.20 लाख रूपया भुगतान किया गया तथा 18 प्रकरण निराकरण हेतु शेष हैं । छात्र दुर्घटना बीमा योजना हेतु कापर्स फंड की स्थापना की गई है जिसके लिए 56.25 लाख रूपये का आबंटन स्वीकृत किया गया है । वर्ष 2006–07 में 56.25 लाख व्यय कर 66.34 लाख बिमित विद्यार्थियों को लाभ दिया गया । वर्ष 2007–08 में 61.42 लाख बच्चों का दुर्घटना बीमा हेतु 56.00 लाख का फण्ड दिया गया है ।

9. एडुसेट योजना :– राजीव गांधी एडूसेट समर्थित प्राथमिक शिक्षा परियोजना अन्तर्गत कोरिया जिले के 50 प्राथमिक शालाओं में अध्यापन कार्य कराया जा रहा है इसके अन्तर्गत एक शनिवार को समुदाय हेतु शेष सभी शनिवार को शिक्षकों हेतु पाट्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है । एन.सी.ई.आर.टी की एडुसेट योजनान्तर्गत छत्तीसगढ़ का एकमात्र सेटलाईट इन्ट्रेक्टिव टर्मिनल ए.सी.ई.आर.टी रायपुर में स्थापित किया गया है । 06 जुलाई से 20 अगस्त 2006 तक देश में राष्ट्रीय पाठ्य चर्या तथा एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा तैयार पाठ्यपुस्तकों पर व्ही.डी.ओ. कान्फ्रेसिंग के माध्यम से चर्चा सामिल है । कक्षा 6 से 8 तक सभी विषयों के 1501 कठिन पाठों पर टचस्क्रीन कम्प्यूटर हेतु मल्टीमीडिया सी.डी. तैयार किया गया है ।

10. शिक्षकों का प्रशिक्षण :–सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए 505 विकास खण्ड अकादमिक सदस्य तथा 47533 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए 20 दिवसीय प्रशिक्षण अन्तर्गत 8756 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया ।

वर्ष 2006–07 में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए 20 दिवसीय 768 विकास खण्ड अकादमिक सदस्य तथा 65805 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है एंवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए 115 विकास खण्ड अकादमिक सदस्य तथा 16000 शिक्षकों प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

राजीवगांधी शिक्षा मिशन

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य से 6 वर्ष से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को 5 वर्ष के प्राथमिक शिक्षा 2007 तक तथा 8 वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा 2010 तक जनसहभागिता से उपलब्ध कराना है । वर्ष 2006–07 में 399 प्राथमिक शाला, 446 उच्च माध्यमिक शाला भवन खोले गये एवं 4652 शिक्षा गारण्टी शाला का प्राथमिक शाला का प्राथमिक शाला में उन्नयन किया गया । वर्ष 2006–07 में नामांकन दर्ज बालकों का 109.32 प्रतिशत एवं बालिकाओं का 108.80 प्रतिशत दर्ज किया गया । उच्च प्राथमिक स्तर में वर्ष 2006–07 में बालकों का 105.93 प्रतिशत एवं बालिकाओं का 105.00 प्रतिशत दर्ज किया गया ।

1. शिक्षकों की भर्ती :– शिक्षा प्रावधान के अंतर्गत वर्ष 2006–07 में 7704 शिक्षाकर्मी वर्ग–2 एवं 3547 वर्ग–3 के पद सृजित किये गये । वर्ष 2007–08 में 1338 शिक्षाकर्मी वर्ग–2 एवं वर्ग–3 के 1267 पद स्वीकृत किये गये ।

2. बालिका शिक्षा :– बालिकाओं के प्रारंभिक शिक्षा के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPGL) के तहत ''सहेली शाला'' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है । जिसमें अब तक राज्य के 101 विकासएखण्डों के 1426 संकूलों में संचालित है । 1337 शाला भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें 795 भवन निर्माण पूर्ण एवं 520 भवनों का निर्माण प्रगति पर है ।

3. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग अल्प संख्यक तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बालिकाओं के लिये 84 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है । विद्यालय पूर्णतः आवासीय तथा कक्षा 6 से 8 वी तक पढ़ने वाली बालिकाओं के लिये है । राज्य में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कुल 80 (100 सीटर) तथा 4 विद्यालय (50सीटर) है । स्वीकृत 51 भवनों में से 28 भवन पूर्ण एवं 23 भवनों में आवश्यक सिविल कार्य प्रगति पर है ।

शिक्षकों की क्षमता विकास हेतु राज्यस्तर के 8 कार्यशालाओं का आयोजन कर मीनामंच का गठन, छात्रावास प्रबंधन एवं विद्यालय संचालन आदि पर 300 शिक्षक/शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया । सभी 84 विद्यालयों में यूनीसेफ की सहयोग से मुक्त मीना पुस्तकों का वाचन तथा अभ्यास पुस्तकों का उपयोग करवाया जा रहा है । 281 शिक्षकों को इस हेतु मार्गदर्शिता दी गई है ।

4. ज्ञान ज्योंति केन्द्र :– आदिवासी जिलों में ऐसे ग्राम/बसाहट जहॉ 6–14 वर्ष आयु के 10 बच्चे उपलब्ध होनें पर प्राथमिक शाला खोलने का निर्णय लिया गया है जिसे ''ज्ञान ज्योंति केन्द्र'' नाम दिया गया है । इसके अंतर्गत 8 आदिवासी जिलें में 1361 ज्ञान ज्योंति

केन्द्र खोले गये है वर्ष 2006–07 इस हेतु 33 नये भवनों का कार्य प्रगति पर है । अभी तक कुल 6895 बालक/बालिकाएँ अध्ययनरत है ।

5. समावेशी शिक्षा योजना :– सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत समावेशी शिक्षा कार्यक्रम में 6–14 वर्ष आयु समूह के राज्य के 41672 चिन्हांकित निःशक्त बच्चों में से 29009 बच्चों को स्कूल में दर्ज कर आवश्यकता अनुसार सहायक सामग्री एवं उपकरण उपलब्ध कराये गये । विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर निःशक्त बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु शिविर आयोजित कर वर्ष 2007–08 में 22302 निःशक्त बच्चों की जॉच की जिसमें 4494 बच्चों को आवश्यक उपकरण सामग्री उपलब्ध करायी गई ।

राज्य 599 दृष्टिहीन बच्चों के पढ़ने हेतु कुल 599 सेट्स ब्रेल लिपि बुक उपलब्ध करायी गई है । अस्थिबाधित बच्चों के व्हील चेयर एवं ट्राई सिकिल आवागमन हेतु 612 रैम्प्स का निर्माण किया गया है । इसी तरह 360 शिक्षकों को निःशक्तजनों के शिक्षकीय कार्य हेतु आधारभूत पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण एवं 613 शिक्षकों को ब्रेललिपि पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया है । 65 बहुविकलांग बच्चों को होम बेस्ड एज्यूकेशन हेतु 16 मोबाईल शिक्षकों की नियुक्ति की गई है ।

स्वास्थ्य सेवायें

राज्य में एलौपैथिक चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध चिकित्सा संस्थाओं को छोड़कर मुख्य रूप से 15 जिला चिकित्सालय, 129 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 708 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 17 शहरी सिविल अस्पताल, 16 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, 4694 उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी जिला चिकित्सालय में स्थापित क्षय रोग केन्द्रों द्वारा स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं । इसके अतिरिक्त, सामानान्तर रूप से आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक के अन्तर्गत एक महाविद्यालय, 06 जिला आयुर्वेदिक हास्पिटल एक फार्मेसी, 691 आयुर्वेद यूनानी एवं होम्योपैथी औषधालयों द्वारा स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है ।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम :–

वर्ष 2002 से विजन 2020 कार्यक्रम भारत शासन द्वारा प्रारंभ किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2006–07 के लिए 84 हजार नेत्र ऑपरेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्ध 88330 आपरेशन किए गए जो लक्ष्य का 105प्रतिशत है । इस वर्ष प्रदेश में ग्रामवार सर्वेक्षण कर मोतियाबिन्द दृष्टिहीन मरीज रजिस्टर्ड किए गए तथा पंजीकृत मरीजों का आपरेशन किया जा रहा है । आपरेशन हेतु दोनों आंखों में मोतियाबिंद के प्रकरण, महिलाएँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पहुँचविहीन क्षेत्रों के लोगो को

प्राथमिकता दी जा रही है । वर्ष 2007..08 मे माह नवम्बर तक कुल 34371 मोतियाबिन्द के आपरेशन किये गये ।

छत्तीसगढ़ राज्य गठित होने के पश्चात अन्धत्व नियंत्रण कार्यक्रम में प्रतिवर्ष लगातार नेत्र आपरेशन की संख्या में वृद्धि हो रही है ।

राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम : पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित सभी जिलों की टी.यू. एवं एम.सी. की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	डीटीसी	टी.यू	एम.सी	प्रोज. जनसंख्या
1	रायपुर	1	6	34	3354995
2	दुर्ग	1	6	27	3133189
3	राजनांदगांव	1	3	14	1433442
4	बिलासपुर	1	5	23	2228808
5	धमतरी	1	2	9	78697
6	कांकेर	1	3	13	728382
7	रायगढ़	1	3	17	1414736
8	कबीरधाम	1	2	8	653830
9	जांजगीर–चांपा	1	3	12	1471832
10	महासमुन्द	1	2	910	961930
11	कोरबा	1	4	13	1131849
12	जशपुर	1	3	18	827292
13	जगदलपुर	1	5	24	1456502
14	कोरिया	1	3	11	654711
15	दन्तेवाड़ा	1	3	14	804126
16	सरगुजा	1	8	41	2203779
	योग	**16**	**61**	**287**	**23256000**

RNTCP संचालित सभी जिलों में 1 जनवरी सितम्बर 2007 तक डाट्स पद्धति में 53848 संभावित क्षय रोगियों का पता लगाया जा चुका है । इनमें से 6896 नये क्षय रोगियों के खखार धनात्मक पाये गये । डाट्स के अन्तर्गत 6127 ऋणात्मक तथा क्षय रोगी उपचाराधीन हैं । तथा 2118 एक्स्ट्रा पल्मोनरी सहित कुल 21318 क्षय रोगियों का उपचार किया जा रहा है ।

विवरण	1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007 तक	1 अप्रैल 2007 से 30 जून 2008 तक
खखार की जांच की संख्या	110724	26441
धनात्मक रोगियों की संख्या	13449	3514
स्पूटम निगेटिव की संख्या	11430	2718
एक्स्ट्रा पल्मोनरी की संख्या	2859	739
माह के अन्त में उपचार रत कुल क्षय रोगी	28479	7031

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, कि समाज में छिपे सभी रोगियों को खोजकर उन्हे बहुऔषधि उपचार नियमित एवं पूर्ण दिलाकर रोग पर नियंत्रण कर लिया जाये ताकि रोग का प्रसार रूक जाये व रोग की प्रभावी दर एक व्यक्ति अथवा कम प्रति 10,000 जनसंख्या हो जाये ।

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय प्रदेश की कुष्ठ प्रभाव दर 8.2 प्रति 10,000 थी, जो कि माह मार्च 2007 में 1.45 प्रति दस हजार रही । माह जून 2007 में उपचाररत रोगी संख्या 3884 है जिन्हे नियमित बहुऔषधी उपचार निःशुल्क दिया जा रहा है । माह सितम्बर –अक्टूबर 2006 में राज्य के 42 विकास खण्डों में जिसका प्रभाव दर 2 या 2 से अधिक (मार्च 2007 के अनुसार) था उन विकास खण्डों में परामर्श एवं सघन प्रचार प्रसार द्वारा कुष्ट संबंधी जानकारी देकर लोगो में जागृति लाकर स्व–प्रेरणा से जांचकेन्द्र में आने हेतु अभियान चलाया जा रहा है ।

परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम : परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करना है । इस हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नीति में मुख्य रूप से वर्ष 2010 तक प्रदेश में जन्म दर का स्तर 21 प्रति हजार जनंसख्या जो वर्तमान 27.2 प्रति हजार है तथा शिशु मृत्यु दर 63 प्रति हजार है । जीवित जन्म तक लाये जाने हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एवं शिशु स्वास्थ्य संबर्धन कार्यक्रमों का पालन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है इसके अतिरिक्त सकल प्रजनन दर में अपेक्षाकृत कमी लाते हुए इसे 2.1 पर लाना है । गर्भ निरोघक साधनों के माध्यम से लक्ष्य दम्पति संरक्षण दर 65 प्रतिशत तक लाना है । वर्ष 2006–07 में यह दर राज्य स्तरीय

माध्यमों से 62.12 प्रतिशत रही । जिसमें स्थायी गभनिरोधक साधनों से लक्ष्य दंपति संरक्षण दर 41.52 प्रतिशत रही है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में नसबंदी 133094 व्यक्तियों द्वारा कराई गई जोकि लक्ष्य का 93.29 प्रतिशत है । इसी तरह लूप निवेशन 117371 द्वारा अपनाई गई जोकि लक्ष्य का 94.69 प्रतिशत है । निरोध उपयोगकर्ताओं की संख्या 322442 रही जोकि लक्ष्य का 93.44 प्रतिशत है । इसी तरह ओपी उपयोगकर्ता 205628 रही जोकि लक्ष्य का 92.14 प्रतिशत है ।

मातृ एवं शिशु कल्याण अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में गर्भवती महिलाओं को राष्ट्रीय टीकाकरण अन्तर्गत टी.टी.के 667678 टीके दिये गये जोकि लक्ष्य का 99.62 प्रतिशत है । इसी तरह डी.पी.टी. पोलियों एवं मीजल्स के ड्राप/इन्जेक्शन 5 साल तक के बच्चों को लगाये गये । जिसमें डी.पी.टी619464(100.07%) पेालियो 607775 (100.38%) बीसीजी 619464 (102.31%) एवं मीजल्स 601794 (99.39%) प्रतिशत टीके/ड्राप दिये गये ।

पल्स पोलियों अभियान : राष्ट्रब्यापी पल्स पोलियों अभियान की सफलता का अन्दाज इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि विगत 3 वर्षो में एक भी धनात्मक प्रकरण प्रदेश में दर्ज नहीं हुआ है । पल्स पोलियों अभियान अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में 607775(100.38%) बच्चों को दवा पिलाई गयी है ।

ज**ननी सुरक्षा योजनाः** यह योजना मौजूदा राष्ट्रीय मातृत्व योजना (एनएमबीएस) के संशोधन के रूप में प्रारंभ की गई है जिसके तहत मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु बीपीएल परिवारों में संस्थागत प्रसवों में वृद्धि करना है । इस वर्ष 32 प्राथमिक इकाईयों को आपात प्रसूति सेवाओं हेतु तैयार किया जा रहा है । राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों के स्वास्थ्य को बेहतर स्वरूप हेतु 874 नये उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना राज्य के विभिन्न ग्रामों में की जा रही है । वर्ष 2006–07 में 4.44 माताओं को फोलिक एसिड की दवाईयॉ दी गई जो कि कुल लक्ष्य का 66.26% है ।

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ राज्य मलेरिया की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है । अतः विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1997 से आदिवासी प्राथमिक स्वा. केन्द्रों में ई.एम.सी.पी. एवं शेष प्राथ. स्वा. केन्द्रो में राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के माध्यम से मलेरिया नियंत्रण किया जा रहा है ।

राज्य में मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2006 में 4097160 स्लाइड (रक्त पट्टी) का मलेरिया हेतु परीक्षण का लक्ष्य था जिसमें उपलब्धियॉ 3609628 स्लाइड की रही । इस परीक्षण में 176868 पॉजिटिव पाई गयी जिसमें से 137008 पैल्सीफैरम मलेरिया पाए गए जो पिछले वर्ष 2005 की तुलना में कम है । पिछले वर्ष मलेरिया से 6 लोगों की मृत्यु हुई थी जो वर्ष 2006 में 3 हो गई है । सिलेक्टिव वेक्टर कन्ट्रोल के अन्तर्गत कीटनाशक दवा का छिड़काव जैविक नियंत्रण व्यक्तिगत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है । दवा छिड़काव के अन्तर्गत राज्य के 13 जिलों में डीडीटी एवं कांकेर, दन्तेवाड़ा एवं जगदलपुर में सिन्थेटिक पायरेथ्राइड का छिड़काव किया जा रहा है ।

जैविक नियंत्रण हेतु लार्वा भक्षी गम्बूजिया मछली का पालन एवं वितरण किया जाता है जिसके लिए 6327 हैचरी गावों में बनाई गई है ।

व्यक्तिगत सुरक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2006 में 631250 मच्छरदानियॉ निःशुल्क बांटी गई है ।

संजीवनी कोष : गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले रोगियों के गंभीर बिमारियों के इलाज हेतु संजीवनी कोष की स्थापना की गई है जिसमें गंभीर दुर्घटनाओं, बिमारियों एवं प्राकृतिक आपदा पीड़ित व्यक्तियों को ईलाज हेतु 25000 रूपये से 1.5 लाख की सहायता मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों में ईलाज कराने पर दी जाती है । वर्ष 2006–07 में ऐसे 565 व्यक्तियों को 5.41 करोड़ की राशि दी गई । वर्ष 2007–08 अब तक 347 व्यक्तियों को 3.48 करोड़ की राशि ईलाज हेतु दी गई ।

राज्य एड्स नियंत्रण कार्यक्रम : मेडिकल कालेज रायपुर एवं बिलासपुर में जोनल ब्लड टेस्टिंग सेन्टर मेजर ब्लड बैंक कार्यरत हैं, राज्य के 13 जिलों में ब्लड बैंक हैं एवं राज्य के सभी जिले में एस.टी.डी. क्लीनिक कार्यरत है जहॉ यौन रोगों के जांच के लिए महिला एवं पुरूषों के लिए पृथक–पृथक सुविधा उपलब्ध है । वर्तमान में राज्य में 32 सेटीनल सर्वेलेंस साइटस कार्यरत हैं । वर्ष 2006–07 में 33 और नये स्वेच्छिक परामर्श जॉच केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु एड्स नियंत्रण संगठन नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त हो गया है । अब तक 48 वी.सी.टी.सी. एवं 33 एस.टी.डी. क्लिनिक एवं 04 सी.टी. सेंटर कार्यरत है । राज्य में एड्स की स्थिति निम्नानुसार है :–

उम्रवार एड्स पीड़ितों की संख्या

उम्र	वर्ष 2002	वर्ष 2003	वर्ष 2004	वर्ष 2005	वर्ष 2006	वर्ष 2007(जून)	योग
0–05	0	1	2	3	0	2	8
6–14	1	1	1	1	0	0	6
15–19	2	0	4	6	1	0	13
20–29	14	10	21	38	19	12	114
30–39	37	16	28	32	47	27	187
40–49	2	3	9	18	17	12	61
50>	1	1	7	6	2	7	24
योग	**57**	**32**	**74**	**104**	**86**	**60**	**413**

एड्स पीड़ितों का माध्यम

माध्यम	वर्ष 2002	वर्ष 2003	वर्ष 2004	वर्ष 2005	वर्ष 2006	वर्ष 2007(जून)	योग
यौन संसर्ग	38	17	55	78	61	51	300
रक्त द्वारा	1	1	1	0	4	0	7
IVDU	1	0	1	3	1	0	6
वंशानुगत	1	1	2	3	0	2	9
अन्य	16	13	15	20	20	7	91
योग	**57**	**32**	**74**	**104**	**86**	**60**	**413**

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

जल प्रदाय एवं स्वच्छता

वर्ष 1993–94 के सर्वेक्षण अनुसार चिन्हित राज्य की कुल 54.81 हजार बसाहटों–ग्राम/मजरे/पारे/टोले में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया । केन्द्रशासन के निर्देशानुसार 2003 में पुनः सर्वेक्षण किया गया है । इसके अनुसार कुल 72.77 हजार बसाहटें चिन्हित की गई है ।

स्त्रोत विहीन बसाहटों एवं आंशिक पूर्ण बसाहटों में वर्ष 2007–2008 के अन्तर्गत 4913 बसाहटों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । जिसके विरूद्ध माह नवम्बर 2007 तक 2396 बसाहटों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

भू–जल संवर्धन कार्यक्रम : भू–जल संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत 9730 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल के वाटर शेड हेतु भू–जल पुर्नभरण एवं वर्षाजल संचयन कार्यो की कुल 40 योजना में लागत रूपये 1206.05 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है । इसके अतिरिक्त 89 योजनाओं के प्रस्ताव जिसके अन्तर्गत 2950 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल है की योजनाएं भी तैयार की जा चुकी है । इस कार्यक्रम अंतर्गत 74 मेसनरी स्टाप डेम, 191 बोल्डर चेकडेम, 170 परकोलेशन टैंक, 13 डाईक 170 सिल्ट ट्रैप, 13 विलेज पौंड 88 डिसिल्टिंग आफ टैंक एवं 25 रिचार्ज पिट के कार्य पूर्ण किया गया है ।

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम :–

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नानुसार संपूर्ण जिलों के लिए जनभागीदारी से क्रियान्वित की जाने वाली सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान अंतर्गत व्यक्तिगत गृह शौचालयों के निर्माण हेतु बी.पी.एल. परिवारों को 1500 रुपये प्रति हितग्राही सहयोग राशि दिया जाना प्रस्तावित है । गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की कुल संख्या 1553540 एवं गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों की कुल संख्या 1811886 है ।

संपूर्ण परियोजना की लागत 442.11 करोड़ रुपये है ,जिसमें कुल निर्मित निजी शौचालयों की संख्या बी.पी.एल. 400814 एवं ए.पी.एल. 298606 है ।

कुल निर्मित स्कूल सेनेटरी काम्पलेक्सों की संख्या 4589 एवं आंगनबाड़ी स्वच्छता परिसर में 4151 काम्पलेक्स का निर्माण पूर्ण किया गया है ।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने हेतु भारत शासन ने निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना शुरु की गई है ,जिसके अंतर्गत गत वर्ष राज्य की 90 ग्राम पंचायतों को यह पुरस्कार मिला । वर्ष 07 के लिए 938 पंचायत एवं 5 निर्मल विकास खण्ड कुल 943 प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए गये ।

शहरी क्षेत्र : राज्य में कुल 110 शहर/नगर है । जिनका निकायों के गठन की दृष्टि से वर्गीकरण क्रमशः नगर पालिक निगम 10, नगर पालिका परिषद–28 एवं नगर पंचायत–72 है । नगरीय नल जल योजना निम्नानुसार है :–

नगरों की श्रेणी	कुल	पूर्ण	प्रगतिरत योजनाएँ	प्रस्तावित
नगर निगम	10	2	8	0
नग पालिका	28	5	15	8
नगर पंचायत	72	36	06	30
कुल योग	**110**	**43**	**29**	**38**

वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाऊन (UIDSSMT) कार्यक्रम के अंतर्गत 3 नगरीय जल प्रदाय योजना क्रमशः बिलासपुर (4142.60 लाख) रायगढ़ (1524.50 लाख) तथा कोण्डागाँव (451.00 लाख) एवं जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन (JN-NURM) कार्यक्रम के अंतर्गत रायपुर जलप्रदाय योजना लागत रू. 303.64 लाख की स्वीकृति हुई है ।

तकनीकी शिक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 19 इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा 13 पॉलिटेक्निक संस्थायें है । 19 इन्जीनियरिंग महाविद्यालय में 03 शासकीय 14 निजी एवं 02 स्वशासी स्ववित्तीय संस्थायें है । हाल में ही शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर को नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी का दर्जा प्राप्त हुआ है एवं वर्ष 2006–07 से एन.आई.टी.ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है ।राज्य में बी. ई पाढ्यक्रम की कुल प्रवेश क्षमता एन.आई.टी के अलावा 6640 एवं पॉलिटेक्निक में 2265 हैं 08 निजी संस्थायें फार्मेसी विषय में डप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित कर रही हैं । इन महाविद्यालायें में 810 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता है इन महाविद्यालयों में इन्फार्मेशन टेक्नालाजी, इलेक्ट्रानिक्स, टेली–कम्यूनिकेशन, बायोटेक, बायो मेडिकल, कम्प्यूटर साइंस, एवं परम्परागत पाठ्यक्रम– सिव्हिल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कैमिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम– इनर्जी, वाटर रिसोर्स एवं कम्प्यूटर टेक्नालाजी के कोर्स संचालित है । सत्र 2007–08 में राज्य शासन ने तीन नवीन पॉलिटेक्निक कबीरधाम, महासमुन्द एवं जॉजगीर–चॉपा में प्रारंभ किये गये है । राज्य शासन द्वारा पॉलिटेकनीक विहीन जिलों में पॉलिटेकनीक की स्थापना एवं कोरबा में शासन एवं निजी उपक्रमों की भागीदारी से एक उत्कृष्ट इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना त्वरित

गति से जारी है । बी.ई. की कुल सीटों में सत्र 2005–06 की तुलना में 38 प्रतिशत एवं डिप्लोमा में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

वर्ष 2007–2008 की विभागीय योजना हेतु रू. 2644.17लाख बजट स्वीकृत किया गया है । इसमें स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय हेतु रू. 270.00 लाख का अनुदान, शासकीय इन्जीनियरिंग महाविद्यालयों में उपकरण हेतु 716.00 लाख एवं शासकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में उपकरण खरीदी हेतु 470.00 लाख रू. स्वीकृत किया गया है ।

वर्ष 2006–07 में यू.टी.आई. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर का अधिग्रहण कर नवीन शासकीय इन्जीनियरिंग महाविद्यालय प्रारंभ किया गया । 240 प्रवेश क्षमता वाले इस महाविद्यालय में इलेक्ट्रानिक एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन, कम्प्यूटर साईंस, इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल इन्जीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स पाठ्यक्रम संचालित है । वर्ष 2007–08 में नवीन शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर में सिविल इंजीनियरिंग शासकीय कन्या पॉलिटेकनीय राजनांदगॉव में सी0डी0डी0एम0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के नये पाठ्यक्रम सम्मिलित किये गये है ।

प्रदेश में वर्ष 2007–08में शासकीय इन्जीनियरिंग कोरबा में प्रस्तावित है । जिसके लिए 50 एकड़ जमीन चिन्हित की जा चुकी है । साथ ही शासकीय पालीटेक्निक खैरागढ़ में प्रिन्टिग टेक्नालाजी रायगढ़ में मेटलर्जी एवं प्रोडक्शन इन्जीनियरिंग तथा कोरबा में पावर प्लान्ट इन्जीनयिंरिंग कड/कम में पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

राज्य शासन ने सत्र 2007–08 में बी.पी.एल. छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना लागू की है । प्रवेश की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की फीस फ्री स्कीम के तहत मेरिट आधार पर महिला विकलॉग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्र–छात्राओं को ट्यूशन फीस मॉफ की जाती है । यह लाभ कुल क्षमता की 10 प्रतिशत सीटों पर उपलब्ध है ।

उच्च शिक्षा

1. छत्तीसगढ़ राज्य के 139 शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 73364 हजार छात्र छात्रायें अध्ययनरत हैं जिसमें लगभग 9803 हजार छात्र अनुसूचित जाति तथा 14816 हजार छात्र अनुसूचित जनजाति के हैं एवं लगभग 29860 हजार अन्य पिछड़ावर्ग के छात्र/छात्रायें हैं ।

2. 10 शासकीय महाविद्यालयों को उत्कृष्टता मूलक संस्थान घोषित किया गया है । इसी प्रकार 5 महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है । तथा दो महिला महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है ।

3. शासकीय विज्ञान महाविद्यालय रायपुर को विज्ञान संस्थान के रूप में उन्नत किया जा रहा है एवं 17 शासकीय महाविद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं ।

4. 18 महाविद्यालयों में अंग्रजी लेब की स्थापना की गई है जिसके लिये वर्ष 2007–08 में 62.86 लाख का प्रावधान किया गया है ।

5. 13 भवनहीन महाविद्यालयों में भवन निर्माण योजना अन्तर्गत रू. 835.00 लाख का बजट आबंटन है । साथ ही 23 महाविद्यालयों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु रू. 25.00 लाख का आबंटन पी.एच.ई. विभाग को दिया गया है ।

6. समस्त शासकीय महाविद्यालयों में अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को पी0जी0डी0सी0ए0, डी0सी0ए0 का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है ।

7. छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी की स्थापना की गई है ।

8. वर्ष 2007–08 में 23 शासकीय महाविद्यालय खोले गये है जिसमें महिला महाविद्यालय भी शामिल है ।

9. तीन संभागों सरगुजा, बिलासपुर एवं जगदलपुर में अतिरिक्त संचालक के पद नियुक्त किये गये है । स्टाफ कालेज के भवन निर्माण हेतु 100.00 लाख पं. रविशंकर विश्व विद्यालय को अनुदान दिया गया है ।

समाज सेवा

समाज कल्याण द्वारा विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, प्रभावशील अधिनियमों एवं कार्यक्रमों से संबधित दायित्वों को सम्पादन किया जा रहा है । निराश्रित वृद्ध विधवा, परित्यकता एवं निःशक्त व्यक्तियों के देख–रेख तथा किशोर न्याय अधिनियम अन्तर्गत बालकों की देख–रेख एवं बाल संप्रेक्षण गृह आदि कार्यक्रम प्रभावशील है ।

1. सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन :– इस योजनान्तर्गत 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध एवं 50 वर्ष या अधिक आयु का निराश्रित विधवा या परित्यक्ता महिलाएं एवं 6 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित विकलांग बच्चों को 200 रू. मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है । गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले

विकलांग बच्चे ही वह निराश्रित न हो, को पेंशन की पात्रता है । पेंशन की पात्रता केवल राज्य के निवासियों के लिये ही है । इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2006–2007 में 4385.00 रूपये व्यय किए गए जिससे 492546 हितग्राही लाभान्वित हुए ।

1.2 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : राज्य शासन द्वारा जुलाई, 1996 से संचालित भारत सरकार की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा राज्य द्वारा क्रियान्वित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का एकीकरण किया जाकर युक्तियुक्तकरण किया गया है । फलस्वरूप, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को 300 रूपये प्रति माह एकमुश्त पेंशन दी जा रही है । राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2006–2007 में 3371.09 लाख रू 228729 हितग्राहियों को भुगतान किया गया ।

1.3 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :–योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के 18 वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष से कम आयु के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 10,000 रू. दिये जाते हैं । भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है । इस योजनान्र्तगत वर्ष 2006–2007 में 3777 हितग्राहियों को 377.70 लाख की सहायता प्रदान की गई है ।

1.4 सुखद सहारा योजना :– इसके अन्तर्गत 18–50 वर्ष तक की विधवा/परित्यक्ता व निराश्रित महिलाओं को 150 रूपये प्रतिमाह–पेंशन राशि स्वीकृत की जाती है । वर्ष 2006–2007 में 160449 हितग्राहियों को राशि रू. 1898.15 लाख का भुगतान किया गया है ।

1.5 स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान :–

निःशक्त (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं । शैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अस्थि वाधितों हेतु रायपुर एवं राजनांदगांव में विद्यालय संचालित हैं । मंद बुद्धि बच्चों के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, व बिलासपुर में विद्यालय संचालित हैं । इन स्वैच्छिक संस्थाओं को विभाग द्वारा वर्ष 2006–07 में राशि रू. 21.64 लाख अनुदान स्वीकृत किया गया है जिसमें 3392 मंद वुद्धि बच्चे लाभान्वित हुए ।

2. निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजनाः– वित्तीय वर्ष 2006–2007 में इस मद में राशि रू. 1798 लाख की छात्रवृत्ति 3392 निःशक्त हितग्राहियों को वितरित की गई ।

छात्रवृत्ति हेतु अभिभावकों की आय सीमा 8000 प्रतिमाह एवं 40 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों की निःशक्तता आवश्यक है ।

3. कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजनाः— इस योजना के अन्तर्गत निःशक्त जनों को ट्रायसिकल, बैसाखी, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, बेंत की छड़ी आदि उपलब्ध कराये जाते हैं । इस योजना अन्तर्गत निःशक्तों को संसाधन सेवायें उनकी आय सीमा रू. 5000 मासिक साथ ही रू. 5000 से अधिक एवं रू. 8000 तक आय सीमा होने पर संबधित हितग्राही को भारत सरकार की सहायक यंत्र उपकरणो की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग की सहायता योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत राशि की पूर्ति की जाती है । वर्ष 2006—07 में रू. 32.64 लाख की राशि राज्य मद से व्यय कर 1373 व्यक्तियों को यंत्र उपकरण प्रदाय किए गए ।

4. समाज रक्षा कार्यक्रम : किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत विधि अवरूद्ध बच्चों हेतु राज्य में रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर, राजनांदगावं में व दुर्ग जिले में संप्रेक्षण गृह तथा बालिका संप्रेक्षण गृह संचालित है । रायगढ़ तथा उक्त जिलों में इन बच्चों के लिए परिवीक्षा सेवायें उपलब्ध कराई गई हैं । वित्तीय वर्ष 2006—07 में इस योजना पर रू.168.64 लाख व्यय किये गये एवं 818 हितग्राहियों को परिवीक्षा सेवाएँ उपलब्ध करायी गई । वर्ष 2006—07 में अगस्त 2006 तक 82.95 लाख व्यय किए गए जिससे 292 किशोरों को लाभान्वित किया गया है ।

राज्य में समाज रक्षा कार्यक्रम के तहत नशामुक्ति को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक प्रचार प्रसार एवं जनचेतना विकसित करने की व्यवस्था की गई है तथा इस संबंध में राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में नशामुक्ति मंडल का गठन किया गया है । वित्तीय वर्ष 2006—07 में नशामुक्ति कार्यक्रम पर राशि रू. 9.26 लाख व्यय किया गया । नशामुक्ति को बढ़ावा देने के लिए विभाग के अन्तर्गत कला पथक दल गठित है, जो लोकगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जन—जन तक शासन की इस योजना व अन्य योजनाओं हेतु प्रचार प्रसार करते हैं ।

5. सामर्थ विकास योजना :— निःशक्त जनों को उपयुक्त, टिकाउ वैज्ञानिक रूप से मानकीकृत सहायक यंत्रों एवं उपकरण प्रदाय करने तथा अस्थि निःशक्तजनों की शल्य क्रिया करने हेतु सामर्थ विकास योजना प्रारंभ की गई । इस योजना के माध्यम से निःशक्त जनों की गतिशीलता बढ़ाना व व्यवसायिक पुनर्वास की व्यवस्था करना है । वर्ष 2007—08 में योजनान्तर्गत 100.00 लाख का बजट प्रावधान है ।

6. स्वालंबन केन्द्र की स्थापना :– वित्तीय वर्ष 2007–08 में श्रवण बाधित नवजात बच्चों के श्रवण शक्ति की जॉच कर उनके उपचार तथा पुनर्वास हेतु स्वावलंबन केन्द्र की स्थापना की गई है । स्वावलंबन केन्द्र के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में 33.36 लाख का बजट प्रावधान किया गया है ।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

(1) शालायें शिक्षा :– राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर की शालायें संचालित की जा रही है । विभाग द्वारा 13442 प्राथमिक शालाएँ 2589 माध्यमिक शालाएँ 419 हाई स्कूल 519 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 5 आदर्श उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय 5 कन्या शिक्षा परिसर 8 एकलव्य आवासीय विद्यालय एवं 12 खेल परिसर संचालित है ।

(2) राज्य छात्रवृत्तियाँ :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 3 से 10 तक निरंतर विद्या अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा 10 माह हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है । वर्ष 2006–07 में 3,66,295 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 828.61 लाख रूपये की छात्रवृत्तियाँ दी गई एवं अनुसूचित जनजाति 7,30,716 विद्यार्थियों को 485.41 लाख की छात्रवृत्तियाँ दी गई ।

वर्ष 2007–08 में 568191 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को सितंबर, 2007 तक 808.50 लाख की छात्रवृत्ति दी गई ।

(3) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ :– कक्षा 11 वी एवं इससे उपर में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को वर्ष 2006–07 में क्रमशः 48.68, 34.08 लाख राशि की छात्रवृत्ति दी गई जिसमें अनुसूचित जाति के 46743 एवं अनुसूचित जनजाति 61941 छात्र लाभान्वित हुए ।

वर्ष 2007–08 में 13852 अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को माह सितंबर, 2007 तक 318.25 लाख की छात्रवृत्ति दी गई है ।

(4) अस्वछ धंधों में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ :– अस्वछ धंधों में कार्यरत बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने हेतु कक्षा पहली से दसवी तक के छात्र–छात्राओं को यह विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है । इसके अलावा सहाता अनुदान भी दिया जाता है । वर्ष 2006–07 में 17507 छात्र–छात्राओं को 233.17 लाख की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई । वर्ष 2007–08 में 2166 छात्र–छात्राओं को माह सितंबर तक 3.00 लाख की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई ।

(5) छात्रावास :– प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1554 छात्रावास संचालित है । प्रवेशित छात्र को 10 माह के लिये शिष्य वृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्रता है । वर्ष 2006–07 में इन वर्गों के क्रमशः 9306, 34702 विद्यार्थियों को 544.56, 769.03 लाख की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई । वर्ष 2007–08 में 39732 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को माह सितंबर तक 421.04 लाख रूपये की छात्रवृत्ति दी गई है ।

(6) आश्रम शाला योजना :– प्रदेश के वनाँचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ शैक्षणिक सुविधा नही है आश्रम शाला योजना की व्यवस्था है जिसमें प्राथमिक स्तर के 823 एव माध्यमिक स्तर के 201 आश्रम शालाएँ संचालित है । इन आश्रमों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र–छात्राओं को वर्ष 2006–07 में क्रमशः 127.74, 1445.59 लाख रूपये छात्रवृत्तियाँ दी गई जिसमें 1235 एवं 49420 छात्र–छात्राएँ लाभान्वित हुई है ।

(7) निःशुल्क गणवेश प्रदाय :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कक्षा पहली से आठवी तक के बालक–बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश प्रदाय किया जा रहा है । वर्ष 2006–07 में 326022 छात्र–छात्राओं को 526.39 लाख रूपये के गणवेश वितरण किये गये । वर्ष 2007–08 387102 विद्यार्थियों को 812.00 लाख की राशि गणवेश हेतु जारी की गई है ।

(8) निःशुल्क सायकल प्रदाय :– नवमी एवं दसवी में अध्ययनरत छात्राओं विद्यालय आने जाने की सुविधा हेतु निःशुल्क सायकल दिये गये है । वर्ष 2006–07 में 1776 अनुसूचित जाति एवं 14211 अनुसूचित जनजाति को निःशुल्क सायकल प्रदाय किये गये है जिस पर क्रमशः 69.73, 511.43 लाख रूपये व्यय किये गये है । वर्ष 2007–08 में कुल 16732 सायकल प्रदाय करने हेतु 347.50 लाख की राशि आवंटित की गई है ।

(9) कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :– योजनान्तर्गत ऐसी कन्याएँ जो पॉचवी कक्षा उत्तीर्ण कर आगे पढ़ाई जारी हेतु प्रवेश लेती है उन्हें 500 रू. प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है । वर्ष 2006–07 में 46712 अनुसूचित जाति की कन्याओं को 233.56 लाख एवं अनुसूचित जनजाति की 57941 कन्याओं को 299.71 रूपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी गई । वर्ष 2007–08 में 31937 कन्याओं हेतु 460.00 की राशि का वितरण करने का प्रावधान है ।

(10) अत्याचार निवारण अधिनियम :– सवर्ण जाति के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के प्रति किये गये अत्याचारों के फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति अंतर्गत जरूरतमन्द

परिवारों को तुरंत राहत योजना लागू की गई वर्ष 2006–07 में ऐसे 16 परिवारों को 48.45 लाख की वित्तीय सहायता दी गई है ।

(11) प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति :– माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में बैठने वाले छात्र–छात्राओं की परीक्षा प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जा रही है वर्ष 2006–07 में 5058 अनुसूचित जाति एवं 5432 अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को क्रमशः 14.29 एवं 39.99 लाख की राशि परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई है ।

(12) मध्यान्ह भोजन योजना :– प्राथमिक शालाओं में छात्र–छात्राओं की दर्ज संख्या में वृद्धि एवं नियमित उपस्थिति में प्रोत्साहन के लिये यह योजना वर्ष 1995 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत छः वर्ष से बारह वर्ष आयु समूह के बच्चों को गर्म भोजन दिया जाता है वर्ष 2006–07 में 12.62 लाख बच्चों को गर्म भोजन प्रदाय किया गया वर्ष 2007–08 में 14.38 लाख बच्चों को दोपहर गर्म भोजन दिया जा रहा है । वर्ष 2006–07 में 2723.79 लाख एवं वर्ष 2007–08 में माह सितंबर 2007 तक 1367.49 लाख रूपये व्यय किये गये ।

(13) अशासकीय संस्थाओं को अनुदान :– अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षणिक उन्नयन के लिये कार्य करने वाली शाला, छात्रावास, बालवाड़ी, महिलाओं हेतु सिलाई केंद्र आदि के लिये अनुदान देने का प्रावधान है । योजनान्तर्गत वर्ष 2006–07 में 33 संस्थाओं को 524.87 लाख एवं वर्ष 2007–08 में सितंबर 2007 तक इन्हीं संस्थाओं को 195.20 लाख का अनुदान दिया गया था ।

(14) विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण :– राज्य में विशेष 5 पिछड़ी जनजातियाँ अबूझ माड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं बैगा के विकास हेतु विशेष अभिकरण का गठन किया गया है । जिनके द्वारा अधोसंरचना के कार्य, समुदायिक कार्य तथा परिवार मूलक कार्य संपादित किये जाते है । वर्ष 2006–07 में 400.00 की लागत से 6 अधोसंरचना के कार्य एवं वर्ष 2007–08 में 159.99 लाख रूपये व्यय कर सामुदायिक एवं पारिवारिक मूलक कार्य संपन्न किये गये ।

(15) अनुसूचित जाति विकास :– राज्य के सघन अनुसूचित जाति क्षेत्रों में निवासरत लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उद्देश्य से इस प्राधिकरण का गठन किया गया है । वर्ष 2006–07 में 425 कार्य हेतु 2339.82 लाख रूपये का व्यय आर्थिक विकास हेतु किया गया है । वर्ष 2007–08 में 694 नये कार्य हेतु 2487.75 लाख रूपये व्यय किये गये है ।

(16) एकीकृत आदिवासी परियोजनाएँ :– आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में एकीकृत विकास योजना, माडा पॉकेट एवं लघु अंचलों का गठन किया गया है । राज्य में 19 परियोजनाए एवं 9 माडा पॉकेट एवं 2 लघु अंचल संचालित है । परियोजनान्तर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ निम्नानुसार है :–

वर्ष/वर्ग	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य	व्यय
परियोजना				
2006–07	19	19	4550.00	4837.49
2007–08(सितंबर, 07)	19	19	5000.00	31.12
माडा पॉकेट				
2006–07	09	09	271.75	360.60
2007–08(सितंबर, 07)	09	09	370.00	0.86
लघु अंचल				
2006–07	02	02	115.00	49.99
2007–08(सितंबर, 07)	02	02	115.00	0.00

(17) आदिवासी विकास अभिकरण :– बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र के अंचलों में त्वरित तथा सर्वांगिण विकास हेतु आदिवासी विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है जिसमें समस्त सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला पंचायत, समाज सेवी, मुख्य सचिव, सचिव एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग को शामिल किया गया है । वर्ष 2006–07 में 12205 नवीन कार्य हेतु 2552.17 लाख बस्तर हेतु एवं 725 नये कार्य हेतु सरगुजा विकास प्राधिकरण द्वारा 2351.28 लाख रूपये व्यय किये गये है ।

(18) ज्ञान प्रोत्साहन योजना :– इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मेघावी छात्र/छात्राओं को जो दसवी एवं बारहवी बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण हुए हों, को 10 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाती है । प्रत्येक वर्ष 700 आदिवासी एवं 300 अनुसूचित जाति के वर्ग को प्रोत्साहन करने की यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू की गई है ।

(19) स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना :– विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्र/छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आदिवासी छात्र/छात्राओं के लिये 100.00 लाख एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थी हेतु 50.00 लाख का प्रावधान वर्ष 2007–08 में किया गया है ।

महिला एवं बाल विकास

बच्चों का समुचित शारीरिक, मानसिक एवं बौद्विक विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार के साथ–साथ महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, पोषण की स्थिति में सुधार लाने तथा इन्हें अपने हित के प्रति जागरूक करने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित मुख्य राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं ।

एस.आर.एस. बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2004 में शिशु मृत्यु दर की संख्या में निम्नानुसार परिवर्तन दर्ज किया गया है :–

देश/प्रदेश	वर्ष 2002 कुल	वर्ष 2004 कुल	वर्ष 2004 ग्रामीण	वर्ष 2004 शहरी
भारत	63	58	64	40
छत्तीसगढ़	73	60	61	52
मध्यप्रदेश	82	79	84	56

पोषण आहार कार्यक्रम :

छत्तीसगढ़ राज्य में महिला एवं बाल विकास के अन्तर्गत कुल 152 बाल विकास परियोजनाएं हैं । इनमें से 50 (ग्रामीण) परियोजनाओं में स्थानीय व्यवस्था, 06 (शहरी) परियोजनाओं में स्थानीय व्यवस्था पोषण आहार कार्यक्रम संचालित है, शेष 96 (ग्रामीण) परियेाजनाएं केयर पोषित है । इनमें भारत शासन स्तर पर गठित जी.ई.ए.सी. कमेटी का क्लियरेंस प्राप्त न होने से केयर खाद्यान्न प्रदाय में उत्पन्न व्यवधान के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के तहत भारत शासन के निर्देशों के आधार पर राज्य शासन द्वारा तत्काल निर्णय लिया जाकर खाद्यान की स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि हितग्राही बच्चे एवं महिलाएं पोषण आहार कार्यक्रम से वंचित न रहने पायें । वर्तमान में 146 (ग्रामीण) बालविकास परियोजनाओं में स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत दलिया तथा 6 शहरी परियोजनाओं एवं 2 विशेष पोषण आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत रेडी टू ईट पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है । योजनान्तर्गत 152 बालविकास परियोजनाये है जिसमें 20289 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं । इसके अतिरिक्त भारत शासन द्वारा 9148 अतिरिक्त बालवाड़ी केन्द्र तथा 05 शहरी बाल विकास परियोजनाएॅ स्वीकृत की गई है । वर्तमान में लगभग 6 माह से 6 वर्ष के आयु तक के 17.15 लाख बच्चों तथा 4.16 लाख गर्भवती–शिशुवती माताओं तथा 6.41 किशोरी बालिकाओं अर्थात कुल 27.72 लाख हितग्राहियों को प्रतिदिन लाभान्वित किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2006–07 में पोषण आहार कार्यक्रम पर कुल 7909.44 लाख रू. तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 में 4720.37 लाख रू. माह सितंबर, 2007 तक व्यय किया गया है ।

आयरन फोर्टिफाईड साल्ट

प्रदेश में महिला एवं बच्चों में आयरन की कमी होने के कारण एनिमियां का प्रतिशत अधिक है अतः भारत शासन द्वारा आयरन फोर्टिफाईड साल्ट का उपयोग किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने के पश्चात अप्रेल 2003 से प्रदेश की 146 ग्रामीण बाल विकास परियोजनाओं में आयरन फोर्टिफाईड साल्ट का प्रदाय किया जा रहा है, जिससे लगभग 14 लाख हितग्राही को 500 ग्राम प्रति माह के मान से आयरन 45 साल्ट टेक होम राशन की पद्धति से प्रदाय किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2005–06 अन्तर्गत कार्यक्रम में 759.08 लाख रू. एवं वर्ष 2006–07 में 147.65 लाख रूपये माह सितम्बर 06 तक व्यय हुआ है ।

नेशनल न्यूट्रीशन मिशन अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं हेतु योजना :–

भारत शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 35 किलोग्राम से कम बजन की 11 से 19 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को प्रतिमाह छः किलो अनाज (चावल) प्रति हितग्राही के मान से प्रदाय किया जा रहा है । हितग्राहियों की सूची को ग्रामसभा से अनुमोदन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं । यह योजना सभी 152 एकीकृत बाल विकास परियोजना में संचालित है ।

आई.सी.डी.एस सेवा योजना :– 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों में कुपोषण अत्यधिक शिशु एव मातृ मृत्यु दर जैसी गम्भीर समस्या रही है । भारत सरकार ने प्रत्येक 1000 की आबादी पर एक आंगनवाड़ी केन्द्र आरंभ किया गया जिसका उद्देश्य बच्चों को सम्पूर्ण विकास कुपोषण शिशु मृत्यु मातृ मृत्यु एवं शाला त्यागने की प्रवृत्ति का कम करना । स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के माध्यम से बच्चों की उचित देख भाल हेतु माताओं की क्षमता का विकास करना तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना है । वर्ष 2006–07 में 05 नवीन परियोजनाओं सहित कुल 5500 आंगनवाड़ी एवं 1483 मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से जहॉ 0 से 03 आयु वर्ग के 12.28 लाख, 3–6 आयु वर्ग के 9.38 लाख बच्चे तथा 5.22 लाख गर्भवती व धातृ महिलाओं दर्ज कर लाभान्वित किया जा रहा है ।

स्वयं सिद्धा (एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम) : राज्य स्थापना के पश्चात प्रदेश के 17 विकास खण्डों में स्वयंसिद्धा परियोजना प्रारंभ की गई है । जिसमें एक अशासकीय संस्था के रूप में जिला साक्षरता समिति दुर्ग द्वारा गुण्डरदेही विकास खण्ड में कार्य संचालित किया जा रहा है । स्वंयसिद्धा योजना के अन्तर्गत राज्य संचालित 17 विकास खण्डों में कुल 1620 स्व–सहायता समूह गठित है जिसकी सदस्य संख्या 20812 है । माह जून 2007 की स्थिति में सभी 1620 समूहों के पास कुल रू. 2.35 लाख की राशि जमा है । 1560 समूह इन्टरलोनिंग कर रहे हैं । जिनकी इन्टरलोनिंग की राशि 1.41 करोड़ रू. है । 1258 समूह

बैंक लिंकेजेस से एवं छत्तीसगढ़ महिला कोष से रू. 1375 समूहों द्वारा जिसमें 16375 महिलाओं के विभिन्न आय उपार्जक गतिविधियां प्रारंभ कर दी गई है ।

छत्तीसगढ़ महिला कोष :–

महिलाओं को ऋण/आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने की योजनाओं का संवर्धन, पोषण और उनमें सहायता देना सम्मिलित है । वर्तमान में महिला कोष द्वारा 7346 महिला एवं स्व–सहायता समूहों को रू. 527.83 लाख रूपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराये गये । कोष द्वारा जारी ऋण वितरण नीति के अनुसार प्रत्येक समूह को प्रथम क्रम 5000/– रू. तक का ऋण तथा सफलता पूर्वक भुगतान पश्चात 20000 रू. तक एक मुश्त ऋण प्रदान करने का प्रावधान है । जोकि शहरी एवं ग्रामीण दोनो क्षेत्र में प्रभावशील है । प्रदत्त ऋण पर स्व–सहायता समूह से 5.5 प्रतिशत एवं अशासकीय समिति से 6.50 प्रतिशत ब्याज गणना का प्रावधान है । प्रदायित ऋण के विरूद्ध वसूली लगभग 85 प्रतिशत है ।

दहेज प्रतिषेध :

दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध नियम–2004, 31 मार्च 2004 को लागू किया गया है । प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तर पर मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी तथा जिला स्तर पर दहेज प्रतिषेघ अधिकारी नामांकित किये गये है। प्रदेश में अधिनियम/नियम के क्रियान्वयन हेतु वित्त वर्ष 2005–06 के लिए 14.00 लाख रू. का बजट प्रावधान दहेज प्रतिषेघ प्रकोष्ठ के लिये किया गया है ।

दहेज प्रतिषेध अधिकारी का कार्य दहेज के खिलाफ तथा दहेज की रोकथाम के लिये स्थानीय लोगों के माध्यम से जन–जागरण तथा प्रचार–प्रसार करना है । इसी प्रकार प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार शालीनतापूर्ण एवं गोपनीयतापूर्ण ढंग से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना है, जिससे पारिवारिक संबंधों की प्रतिष्ठा एवं समरसता बनी रहे ।

दहेज प्रतिषेध नियम में दहेज प्रतिषेध अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के संदर्भ में प्राप्त शक्तियों के प्रयोग की सीमा एवं शर्ते उल्लेखित है ।

किशोरी शक्ति योजनाः–

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में समस्त 152 बाल विकास परियोजनाओं में इस योजना को लागू किया गया इससे 37200 किशोरी बालिकाओं को को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया । सामाजिक गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु बालिकाओं

के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के साथ–साथ स्व–सहायता समूह के तर्ज पर किशोरी बालिका समूह का गठन, गांवो में बाल विकास के नारे लेखन, कुपोषित बच्चों की देखभाल इत्यादि कार्य भी योजनान्तर्गत किए गये ।

आयुष्मति योजना : (राजीव जीवन रेखा योजना में समाहित)

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं को इलाज सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । जिसके अन्तर्गत जिला/मेडिकल कालेज अस्पताल/खण्ड चिकित्सालयों में रोगी महिलाओं को एक सप्ताह तक उपचार हेतु भरती रहने पर 400 रू. तक तथा एक सप्ताह से अधिक भरती रहने पर 1000 रू. तक की चिकित्सा सुविधा के तहत इलाज दवायें टानिक एवं पोषण आहार आदि उपलब्ध कराया जाता है । यह अस्पताल में मिलने वाली निःशुल्क दवाओं के अतिरिक्त है । रोगी महिला के साथ आए परिचारक को भी सुविधाजनक विश्राम तथा दो समय के भोजन की सुविधा दी जाती है ।

वर्ष 2006–2007 में 23331 महिलाएं लाभान्वित की गई हैं जिन पर 64.38 लाख रू. व्यय हुए हैं । वित्तीय वर्ष 2007–08 में सितम्बर 2007 तक 7377 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं तथा 17.86 लाख रू. व्यय हुए हैं ।

बालिका समृद्धि योजना :

योजना के अन्तर्गत 15 अगस्त 1997 के बाद गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में जन्मी दो बालिकाओं के जन्म पर उनके नाम से 500 रूपये की सहायता राशि को फिक्सड् डिपाजिट किया जाता है । यह राशि बालिका एवं विभागीय अधिकारी के संयुक्त खाते में जमा की जाती है । बालिका के 18 वर्ष की होने पर ब्याज सहित यह राशि उसे प्रदान की जाती है । इस योजना के अन्तर्गत बालिका छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है ।

वर्ष 2004–2005 में 18259 बालिकाएं लाभान्वित की गई हैं जिन पर 89.95 लाख रू. व्यय हुए हैं । वित्तीय वर्ष 2005–06 में जुलाई 2005 तक 115 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है ।

दत्तक पुत्री शिक्षा योजना :

योजनान्तर्गत प्राथमिक शाला में पढ़ने वाली बालिका के लिए रू. 300.00 प्रति वर्ष तथा माध्यमिक शाला में पढ़ने वाली बालिका के लिए रू. 400.00 प्रतिवर्ष की सहायता जो कि नगद राशि के अलावा कपड़े, पुस्तक आदि के रूप में दी जा सकती है, उपलब्ध कराने

का प्रयास किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2005–06 में 62894 बालिकाएं लाभान्वित हुई है तथा वर्ष 2006–07 में अगस्त 2006 तक 84016 बालिकाएं लाभांन्वित हुई हैं ।

महिला जागृति शिविर :–

ग्राम पंचायत, जनपद एवं जिला स्तर पर महिला एवं वाल विकास विभाग द्वारा महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है । इसका उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति जागृत करना, विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक एवं सक्रिय बनाना तथा विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरूद्ध महिलाओं को जागृत व संगठित करना है । वित्तीय वर्ष 2006–07 में 1325 जाग्रति शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसमें 5.39 लाख महिलायें लाभान्वित हुई हैं तथा इन शिविरों पर राशि रू. 65.30 लाख का व्यय हुआ है । वित्तीय वर्ष 2007–2008 में 220 शिविर आयोजित कर 0.97 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया जिस पर 6.82 लाख रू. व्यय किया गया ।

स्वेच्छिक संस्थाओं को अनुदान :

राज्य में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक स्वयं सेवी संस्थाओं को विभिन्न महिला एवं बाल कल्याण की गतिविधियों के संचालन में सहयोग प्रदान करने हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । उदाहरण के लिये बालवाड़ी, झूलाघर, अनाथालय, सिलाई–कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन आदि ।

वित्तीय वर्ष 2006–07 में 25 स्वयं सेवी संस्थाओं को रू. 33.48 लाख का अनुदान दिया गया है । तथा इस अनुदान से इन स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा 1394 हितग्राही लाभान्वित किये गये है । वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुदान देने हेतु 48.95 लाख रू. का बजट प्रावधान किया गया है ।

नारी निकेतन :

अनाथ, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, व परित्यक्ता नारियों को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा उनके निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास के लिए प्रदेश में तीन नारीनिकेतनों का संचालन किया जा रहा है । ये नारी निकेतन–रायपुर, सरगुजा एवं दन्तेवाड़ा में संचालित हैं संस्था में नारियों के निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है ।

वर्ष 2006–07 में 32 महिलाएं लाभान्वित की गई हैं, जिन पर 30.74 लाख रू. व्यय हुए हैं । वित्तीय वर्ष 2007–08 में सितम्बर 2007 तक 20 महिलाएं एवं 17 बच्चे लाभान्वित हुए है तथा 13.50 लाख रू. व्यय किए गए हैं ।

शासकीय झूला घर :

निम्न/मध्यम आय वर्ग की कामकाजी महिलाओं के छः माह से छः वर्ष आयु तक के बच्चों की देखभाल के लिए प्रदेश में शासकीय झूलाघर बिलासपुर एवं रायपुर में संचालित हैं ।

वर्ष 2006–07 में 50 बच्चों को लाभान्वित किया गया है जिन पर 5.53 लाख रू. व्यय हुए हैं । वित्तीय वर्ष 2008–08 में सितम्बर 2007 तक प्रति माह औसत 50 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं तथा 2.28 लाख रू. व्यय हुए हैं ।

मातृकुटीरः–

मातृ (धात्री मॉ) कुटीर नामक संस्था राजनांदगांव तथा बिलासपुर में संचालित की जा रही है । संस्था में 3 से 4 अनाथ बच्चों को तथा निराश्रित एक महिला को एकसाथ परिवार के रूप में गठित कर पारिवारिक वातावरण में मॉ व बच्चें के निःशुल्क परिपालन, पोषण एवं बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण, स्वास्थ्य की देखभाल आदि की सुविधा मुहैया करायी जा रही है । बच्चे वयस्क होने और स्थापित होने तक संस्था में रहते हैं । वर्ष 2005–06 में रायपुर एवं दुर्ग जिले में संस्था के संचालन की स्वीकृति की गई है ।

वर्ष 2006–07 में 3 बच्चे लाभान्वित किए गए हैं जिन पर 50.00 हजार रू. व्यय हुए हैं । वित्तीय वर्ष 2007–08 में सितम्बर 2007 तक 03 बच्चे लाभान्वित हुए है तथा 16628 रूपये व्यय किए गए ।

छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना : प्रदेश के निर्धन परिवारों की आवश्यकताओं को देखते हुए योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को प्रति कन्या 4000.00 रू.तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में देय होगी । जो कन्या की आवश्यकतानुसार सामूहिक विवाह के आयोजन के लिए 1000 रू. तक व्यय की जा सकेगी । इस तरह प्रति कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 5000 रू. की सहायता राशि देय होगी । वर्ष 2006–07 में 4595 विवाह सम्पन्न कराये गये जिस पर 247.93 लाख रूपये व्यय किये गयें । वर्ष 2007–08 में माह सितम्बर, 2007 तक 768 विवाह सम्पन्न कराये गये जिस पर 75.51 लाख रूपये व्यय हुये हैं ।

बाल संरक्षण गृह : संस्था में 18 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ्य बच्चों को आवास शिक्षण, भोजन, वस्त्र तथा प्रशिक्षण प्रदेश में स्थित पांच बाल संरक्षण गृह क्रमशः बालको हेतु

जांजगीर, जगदलपुर तथा दुर्ग एवं बालिकाओं के लिए बिलासपुर तथा रायपुर में संचालित है ।

वर्ष 2006–07 में 182 बच्चे लाभान्वित किए गए हैं । जिन पर 43.14 लाख रू. व्यय हुए हैं । वित्तीय वर्ष 2007–08 में सितम्बर 2007 तक 188 बच्चे लाभान्वित हुए है तथा 15.68 लाख रू. व्यय हुए हैं ।

बालवाड़ी सह संस्कार केन्द्र : 0–6 आयु वर्ष के बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए रायपुर तथा बिलासपुर में शासकीय बालवाड़ी सह–संस्कार केन्द्र संचालित है जहॉ सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ।

वर्ष 2006–07 में 65 बच्चे एवं 30 महिलाएं लाभान्वित की गई है, जिन पर 4.30 लाख रू. व्यय हुए हैं । वित्तीय वर्ष 2007–08 में सितम्बर 2007 तक 65 बच्चे एवं 37 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं तथा 2.67 लाख रू. व्यय हुए हैं ।

राज्य महिला आयोग :–

प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके हितों की देखभाल, व उनका संरक्षण करने महिलाओं के प्रति भेदभावमूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हे विकास के समान अवसर दिलाने महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है ।

स्वयं सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण :–

महिलाओं को संगठित करने, उन्हें समूह में छोटी–छोटी बचत करने एवं अपनी छोटी–मोटी जरूरतों की पूर्ति हेतु समूह में ही न्यूनतम दर पर लेन देन करने के लिये सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करने हेतु तथा महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण हेतु स्व–सहायता समूह का गठन प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है । राज्य में संचालित 16 जिलों में 72085 महिला स्व–सहायता केन्द्र गठित है जिसकी कुल सदस्य संख्या 855845 है मार्च 2007 की स्थिति में 41.89 करोड की राशि जमा है । 502045 समूह इन्टर लोनिंग कर रहे हैं जिसकी राशि 10.41 करोड रू. है । 17122 समूह बैंक लिकेजेज से तथा छत्तीसगढ़ महिला कोष से 5098 समूहों को जोड़कर माह सितम्बर 2007 तक कुल 73036 गठित महिला समुह के कुल 854611 सदस्य है । कुल जमा राशि 41.32 करोड है, इन्टरलोनिंग में संलग्न समूह 48521 है । इन्टरलोनिंग से संबद्व राशि 10.45 करोड है । बैंक लिंकेज में 16283 समूह है ।

संस्कृति एवं पुरातत्व

(वर्ष 2006–07 से 2007–08 तथा प्रस्तावित वर्ष 2008–2009)

1. **फोटोग्राफी सेलः**– विभाग के अधीन 58 पुरातत्वीय प्राचीन स्मारक है, जिनकी देख–रेख एवं रख–रखाव कार्य किया जाता है। पुरातत्वीय उत्खनन/सर्वेक्षण में प्राचीन पुरातत्वीय स्मारक साईड की खोज होती है। इसका डॉक्यूमेंटेशन तथा विडियोग्राफी की जाती है। साथ ही वांछित स्थलों की समय–समय पर फोटोग्राफी, विडियोग्राफी का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के प्राचीन स्थलों के सर्वेक्षण कार्य के समय वहां की फोटोग्राफी की जाती है। इसके लिए कैमेरा, रील, रील धुलाई, एलबम क्रय आदि किया जाता है। पुरातत्वीय प्रदर्शनी के आयोजन अवसर पर बड़े साईज के छायाचित्र करवाए जाते हैं तथा प्रदर्शन हेतु रखे जाते हैं। वर्ष 2006–07 में इसके लिए रू. 2.25 लाख का प्रावधान था, जिसमें से राशि रू. 1.79 लाख व्यय किए गए थे। वर्ष 2007–08 में राशि रू. 3.00 लाख का बजट प्रावधान है जिसमें माह सितम्बर 2007 तक राषि रू. 2.56 लाख का व्यय किया गया, इसमें जिला बिलासपुर की पेन्ड्रा रोड़, कोटा, तखतपुर के स्मारकों की फोटोग्राफी की गई है।

वर्ष 2008–09 में राशि रू. 4.00 लाख बजट मांग प्रस्तावित की गई है, इसमें सिरपुर, जिला महासमुंद, जिला रायपुर, जिला बिलासपुर तहसीलों के पुरातत्वीय स्मारकों/साईड की फोटोग्राफी, विडियोग्राफी किया जाना प्रस्तावित है।

2. **मेला/उत्सव/प्रदर्शनी** :– संस्कृति विभाग के अंतर्गत राज्य की कला, संस्कृति एवं पुरातत्वीय गतिविधियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु मेला, उत्सव एवं प्रदर्षनी का आयोजन किया जाता है तथा इसके अंतर्गत सांस्कृतिक विरासत का विभाग द्वारा अभिलेखन / प्रलेखन कार्य किया जाता है। वर्ष 2006–07 में इस मद में रू. 40.00 लाख का प्रावधान था, जिसमें राशि रू. 37.41 लाख व्यय किए गए थे।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में राशि रू. 40.00 लाख का बजट प्रावधान से रायपुर एवं अन्य जिलों में प्रदर्शनी, मेला, उत्सव हेतु सितम्बर 07 तक राषि रू. 11.24 लाख व्यय किए गए है।

3. **शोध संगोष्ठी** :– इस मद के अंतर्गत साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं पुरातत्वीय गतिविधियों पर आधारित विषय पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संगोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। विभाग द्वारा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ तथा कलेक्टर सरगुजा को पुरातत्वीय गतिविधियों पर आधारित संगोष्ठी के आयोजन हेतु उत्प्रेरक

की भूमिका निभायी गई। वर्ष 2006–07 में बौद्ध धर्म और कला विषय पर संगोष्ठी, गांधी जयंती के अवसर पर संगोष्ठी, गुरू घासीदास जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित संगोष्ठी, हिन्दी दिवस के अवसर पर संगोष्ठी, विश्व धरोहर दिवस पर संगोष्ठी, संग्रहालय दिवस पर संगोष्ठी तथा पुरातत्वीय धरोहर विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके लिए बजट में राशि रू. 13.00 लाख का प्रावधान था, जिसमें से उक्तानुसार आयोजनों में राशि रू. 10.01 लाख व्यय किया गया।

चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में रू. 15.00 लाख का बजट प्रावधान में राष्ट्रीय स्तर की 4 एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 1 संगोष्ठी की जावेगी। माह सितम्बर 2007 तक राशि रू. 6.42 लाख व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए बजट में राशि रू. 20.00 लाख मांग प्रस्तावित है। जिसमें राष्ट्रीय स्तर की 4 पुरातत्व एवं संस्कृति विषय पर संगोष्ठियां तथा 2 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां सिरपुर उत्खनन तथा छत्तीसगढ़ में प्राचीन धरोहरों की सुरक्षा विषय पर की जावेगी।

4. उत्खनन तथा सर्वेक्षण :–

इस मद के अंतर्गत तहसीलवार एवं ग्रामवार सर्वेक्षण कर पुरातत्वीय धरोहर/ स्मारक संरचना, पुरावशेष की जानकारी एकत्रित करने हेतु जिला कलेक्टर के माध्यम से कार्य किए जाते हैं तथा पुरातत्वीय विरासत एवं धरोहर का संरक्षण कार्य किया जाता है। वर्ष 2005–06 में पुरातत्वीय नगरी ''सिरपुर'' का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। वर्ष 2006–07 में इस योजना के लिए राशि रू. 50.00 लाख का बजट प्रावधान था, जिसमें राशि रू. 46.24 लाख का व्यय किया गया। इस व्यय में सिरपुर में 16 टीलों का उत्खनन कार्य उसमें मरम्मत, सुधार, पथवे का निर्माण कार्य किया गया, जिसमें 01 महल, 07 शिवालय, 07 रिहायशी स्थल एवं 04 बौद्ध विहार प्रकाश में आये है। इसके साथ ही पेन्ड्रा रोड, जिला बिलासपुर कोटा, तखतपुर, मुंगेली एवं मस्तुरी तहसीलों का पुरातत्वीय सर्वेक्षण कार्य तथा जिला कबीरधाम (कवर्धा) की तहसील सहसपुर लोहारा का ग्रामवार पुरातत्वीय सर्वेक्षण किया गया।

चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के बजट प्रावधान राशि रू. 50.00 लाख है। इसमें महानदी अपरवेली, शिवनाथ नदी घाटी एवं खारून नदी घाटी का सर्वेक्षण कार्य किया जावेगा तथा सिरपुर साईड का उत्खनन कार्य निरंतर जारी रहेगा। सिरपुर के भग्न मंदिर को स्थानांतरित किया जावेगा। माह सितम्बर 2007 तक इस मद में राशि रू. 13.04 लाख का व्यय किया गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए इस योजना मद में राशि रू. 60.00 लाख की मांग प्रस्तावित की गई है। इसमें ग्राम लीलर, जिला धमतरी का उत्खन्न कार्य, सिरपुर उत्खन्न तथा वहां के उत्खनित साईड पर पथवे, कम्पाउन्ड का निर्माण, रास्ते का सौंदर्यीकरण तथा विकास के कार्य किए जाएंगे। सर्वेक्षण के तहत खारून नदी घाटी का पुरातत्वीय सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के के शैलचित्रों का सर्वेक्षण कार्य भी किया जावेगा।

5. **सार्वजनिक पुस्तकालय** :– इस मद के अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित महंत सर्वेष्वरदास ग्रंथालय को राज्य केन्द्रीय ग्रंथालय का दर्जा दिया गया है। शहीद स्मारक भवन में स्थानांतरित इस ग्रंथालय को ई–लाईब्रेरी के रूप में विकसित कर आधुनिक ग्रंथालय का रूप दिया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2006–07 में राशि रू. 36.00 लाख का प्रावधान था, जिसमें राशि रू. 35.91 लाख व्यय हुए। ग्रंथालय के लिए पुस्तकें, ग्रंथ, मासिक पत्रिकाएं, ग्लास डोर आलमारियों का क्रय, लकड़ी के रैक्स आदि तैयार किए गए।

वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए राशि रू. 36.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। इसमें ग्रंथालय के लिए पुस्तकें, ग्रंथ मासिक पत्र पत्रिकाओं का क्रय, फर्नीचर, कम्प्यूटर उपकरण, आलमारियां क्रय किया जाना है । माह सितम्बर, 07 तक राशि रू. 16.17 लाख का व्यय हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए शहीद स्मारक भवन में स्थानांतरित ग्रंथालय को विकसित करने हेतु राशि रू. 200.00 लाख प्रस्तावित किए गए है। इसमें भवन का सौंदर्यीकरण, ग्रंथालय की अंदरूनी सजावट, कम्प्यूटराईज ई–लाईब्रेरी कक्ष का निर्माण, म्यूजिक लाईब्रेरी का निर्माण, फर्नीचर, आलमारियों का क्रय ग्रंथालय में इतिहास, साहित्य, पत्रकारिता, पर्यटन, पुरातत्व, कला, नृत्य शास्त्र, लोक प्रकाशन, संस्कृत साहित्य का क्रय आदि कार्यो के लिए राशि रू. 200.00 लाख की आवश्यकता को देखते हुए प्रस्तावित किया गया है।

6. **सार्वजनिक पुस्तकालय** :– इस मद के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं पुरातत्वीय गतिविधियों, सर्वेक्षण, प्रकाशन, प्रदर्शनी, संगोष्ठी के आयोजन हेतु जिला कलेक्टर तथा पुरातत्व संघ को राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभाग के अंतर्गत शासकीय तौर पर पदुमलाल बख्शी सृजन पीठ भिलाई में स्थापित है तथा दूसरी संस्था छत्तीसगढ़ सिंधी

साहित्य संस्थान का गठन कर उसे भी स्थापित किया गया है। इन दोनों संस्थाओं को पोषण अनुदान के साथ–साथ सांस्कृतिक गतिविधियां चलाने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस मद में राशि रू. 115.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें राशि रू. 100.00 लाख दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर की सदस्यता ग्रहण करने हेतु उन्हें कारपस फण्ड के रूप में प्रदाय किया गया । शेष रू. 15.00 लाख में से राशि रू. 15.00 लाख व्यय हुआ, इस प्रकार कुल राशि रू. 115.00 लाख का व्यय किया गया था। इस राशि से 50 ऐसी पंजीकृत संस्थाएं जो कि सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, हेतु वित्तीय सहयोग/अनुदान प्रदाय किया गया था।

चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में राशि रू. 20.00 लाख का बजट प्रावधान है। इस प्रावधान से विभाग के अंतर्गत स्थापित पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ, भिलाई तथा छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान को पोषण अनुदान तथा कार्यो के लिए वित्तीय सहायता दी जावेगी। इसके साथ–साथ छत्तीसगढ़ की पंजीकृत संस्थाओं जिनके प्रस्ताव जिलाध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी की अनुशंसा से प्राप्त होते है लगभग 60 संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी। माह सितम्बर 2007 तक राशि रू. 16.38 लाख व्यय हो चुका है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए राशि रू. 50.00 लाख मांग प्रस्तावित की गई है। इसमें शासन के अंतर्गत स्थापित 2 संस्थाओं को पोषण अनुदान/वित्तीय सहायता तथा 100 पंजीकृत संस्थाओं को सांस्कृतिक–साहित्यिक क्षेत्र में कार्य करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का लक्ष्य है।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल

छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की सुविधा हेतु हॉस्टल एवं आवागमन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है । जिसमें महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के विकास हेतु वर्ष 2004–05 में 17.37 करोड़, वर्ष 2005–06 में 18.47 करोड़, वर्ष 2006–07 में 29.30 करोड़ एवं वर्ष 2007–08 में 42.15 करोड़ प्राप्त हुए है ।

1. अधोसंरचना विकास कार्य :– राज्य के सभी जिलों के ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों का चिन्हांकित कर 22 हाईवे मोटल का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही 1.36 करोड़ की लागत से 11 स्थानों पर अन्तराष्ट्रीय स्तर के शुलभ शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है ।

अध्याय–16

सहकारिता

राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक : वर्ष, 2006–07 में बैंकों की संख्या छः एवं जिनकी कार्यरत शाखाओं की संख्या 198 है ।

वर्ष 2006–07 में बैंकों की अँशपूंजी बढ़कर 9968.17 लाख रू. हो गई जिसमें राज्य शासन का अंशदान 3333.13 लाख रूपये रहा । वर्ष 2005–2006 में बैंकों की अमानतें एवं कार्यशील पूँजी क्रमशः 149694.46 लाख रूपये एवं 164035.17 लाख रूपये थी जो वर्ष 2006–2007 में क्रमशः 6.30 प्रतिशत एवं 21.58 प्रतिशत बढ़कर 159766.10 लाख़ रूपये एवं 209180.69 लाख रूपये हो गई । जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा वर्ष 2006–2007 में 83330.61 लाख रूपये ऋण वितरित किये गये जिसमें 62249.42 लाख़ रूपये अल्पकालीन एवं 2743.62 लाख रूपये मध्यकालीन ऋण के रूप में हैं । इसी अवधि में बैंक का कुल बकाया ऋण 81189.96 लाख रूपयों का रहा । वर्ष 2006–2007 में छः जिला सहकारी बैंकों को 1119.66 लाख़ रूपये का लाभ हुआ है ।

प्राथमिक सहकारी कृषि समितियॉ : राज्य में वर्ष 2005–2006 में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या 1333 है, जो 2006–2007 के समान ही है । इन समितियों के सदस्यों की संख्या 2006–2007 में 20.99 लाख हो गई है ।

कुल सदस्यों में से 3 लाख 01 हजार अनुसूचित जाति, तथा 6 लाख 38 हजार अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं । प्राथमिक कृषि साख समितियों की अंशपूंजी वर्ष 2005–2006 में 8671.06 लाख रूपये थी, जो वर्ष 2006–2007 में बढ़कर 26224.85 लाख रूपये हो गई है । कृषि साख समितियों द्वारा वर्ष 2006–2007 में 503.97 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया गया, जिसमें 451.14 करोड़ रूपये अल्पकालिन ऋण एवं 52.82 करोड़ रूपये मध्य कालिन ऋण के रूप में है । इसी अवधि में कुल ऋणी सदस्यों की संख्या 12 लाख 40 हजार रही जिसमें 1 लाख 73 हजार अनुसूचित जाति तथा 3 लाख 20 हजार सदस्य अनुसूचित जनजाति के रहे । वर्षान्त पर सोसायटियों की बैंकों की कुल बकाया ऋण राशि 539.68 करोड़ रूपये रही है ।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको में जमा–ऋण राशि

मार्च के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति (संदर्भ 9.1)

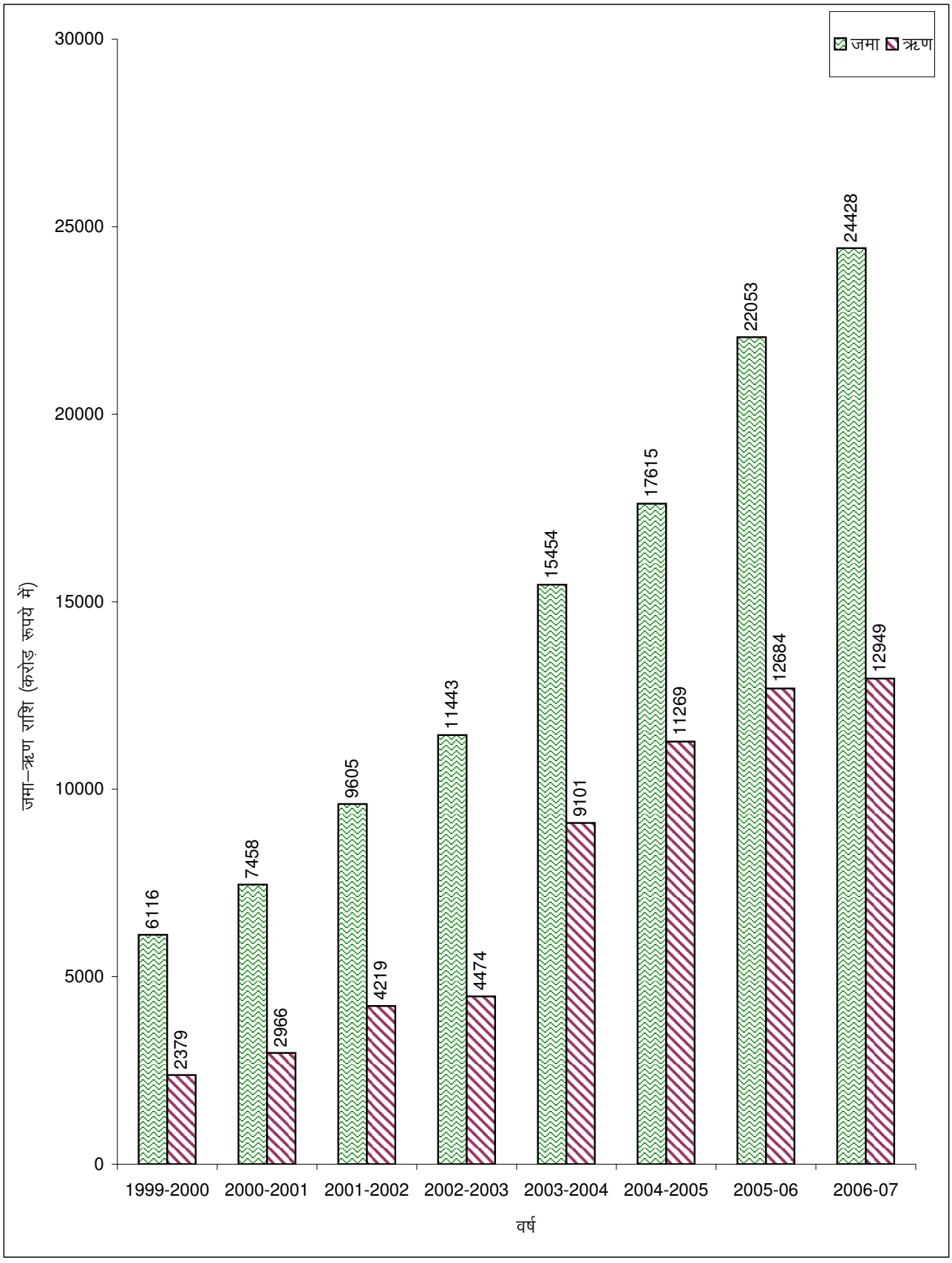

अध्याय–17

बचत एवं विनियोजन

अल्प बचत के अन्तर्गत संग्रहण : वर्ष 2006–2007 के लिये अल्प बचत योजनान्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 16 जिलों के लिये 650.00 करोड़ रूपये का शुद्ध संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध 2006–2007 में 671.00 करोड़ रू. का शुद्ध संग्रहण हुआ । वर्ष 2007–2008 में 600.00 करोड़ रूपये लक्ष्य के विरूद्ध माह सितंबर, 07 तक 39.24 करोड़ शुद्ध संग्रहण किया गया । अन्य वित्तीय संस्थाओं में व्याज की राशि अधिक होने के कारण बचत योजनाओं में निवेशकों की रूचि कम हुई है ।

अधिसूचित वाणिज्यिक अधिकोष

राज्य में बैंकों की कुल संख्या 45 व शाखओं की कुल संख्या 1357 है । इनमें वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 35 है जिसमें निजी क्षेत्र में 11, सार्वजनिक क्षेत्र में 22 व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में एक बैंक है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या तीन व सहकारी बैंकों की संख्या सात है । राज्य में बैकों की विभिन्न मदों के अंतर्गत प्रगति का विवरण इस प्रकार है:–

राज्य में बैकिंग कार्यो की प्रगति

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.	विवरण	मार्च 06	मार्च 07	वर्ष में वृद्धि	
				राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	शाखाओं की संख्या	1334	1357	23	1.72
2	कुल जमा	220530.95	26014.97	3961.02	17.96
3	कुल अग्रिम	12684.93	15435.16	2750.23	2168
4	साख–जमा अनुपात	57.52	59-33	1.81	3.15
5	प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	5002.83	7400.73	2397.90	47.93
6	कुल साख में से प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	39.44	45.95	8.51	21.57
7	कृषि में अग्रिम	1995.19	3196.99	1221.80	61.86
8	कुल साख में से कृषि क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	15.57	20.71	5.14	33.02
9	लद्यु उद्योगों में अग्रिम	1100.74	1519.43	418.69	38.04
10	अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	1926.90	2684.31	757.41	39.31
11	अन्य कमजोर वर्गो के लिए अग्रिम	1355.41	1777.52	422.11	31.14

जमाः—राज्य में वित्तीय वर्ष 2006—07 में बैंकों द्वारा जमा की गई कुल राशि 26014.97 करोड़ रू. है जो गत वित्तीय वर्ष 2005—65 की तुलना में 17.96% अधिक है । विगत वर्ष की तुलना में इस राशि में 3961.02 करोड़ रू. की वृद्धि दर्ज की गई है ।

अग्रिमः— वित्तीय वर्ष 2005—06 में बैंकों के ऋण की कुल राशि 1284.93 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2006—07 में 26.88% बढ़ कर 15435.16 करोड़ रू. हो गई । इस प्रकार इसमें 4150.23 करोड़ रू. की वृद्धि दर्ज की गई ।

साख—जमा अनुपातः— यह किसी भी बैंक की कार्यक्षमता को मापने का एक महत्वपूर्ण मापदंड होता है । वित्तीय वर्ष 2006—07 में राज्य में बैकों का साख—जमा अनुपात 59.33% रहा । राज्य पुर्नगठन के पश्चात् से यह अनुपात सर्वाधिक है । विगत वर्ष इसी अवधि में यह अनुपात 61.01% था ।

प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिमः— वित्तीय वर्ष 2005—06 में प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम की कुल राशि 5002.83 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2006—07 में 47.93% बढ़ कर 7400.73 करोड़ रू. हो गई । प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम की सर्वाधिक वृद्धि कृषि क्षेत्र में 2397.90 करोड़ रू. दर्ज की गई है ।

कृषि अग्रिमः— वित्तीय वर्ष 2005—06 में कृषि अग्रिम की कुल राशि 1995.19 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2006—07 में 61.86% बढ़ कर 3196.99 करोड़ रू. हो गई । इस प्रकार यह वृद्धि 1201.90 करोड़ रू. रही । कुल साख की राशि में कृषि अग्रिम का प्रतिशत 17.96% रहा है जो विगत वर्ष की तुलना में अधिक है । विगत वर्ष यह 15.57% था ।

लद्यु उद्योगों में अग्रिमः— वित्तीय वर्ष 2005—06 में लद्यु उद्योगों में अग्रिम की कुल राशि 1100.74 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2006—07 में 38.04% बढ़ कर 1519.43 करोड़ रू. हो गई । यह वृद्धि 418.69 करोड़ रू. है ।

अन्य प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिमः— वित्तीय वर्ष 2005—06 में अन्य प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम की कुल राशि 1926.90 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2006—07 में 28.21% बढ़ कर 2684.31 करोड़ रू. हो गई । यह वृद्धि 757.31 करोड़ रू. है ।

अन्य कमजोर वर्ग हेतु अग्रिमः— वित्तीय वर्ष 2005—06 में अन्य कमजोर वर्गो के लिए अग्रिम की कुल राशि 1355.41 करोड़ रू. थी जो 23.74% बढ़कर 1777.52 करोड़ रू. हो गई, यह वृद्धि 422.11 करोड़ रू. है ।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

1–राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) देश का एक शिखर बैंक है, जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिये बैंको के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है । कृषि क्षेत्र में शाख की आपुर्ती सहकारिता और ग्रामीण बैंकों के माध्यम से करने का प्रयास नाबार्ड कर रहा है । इस दिशा में केन्द्रीय सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंकों के माध्यम से वर्ष 2006–07 में रूपये 93.99 करोड़ तथा वर्ष 2007–08 में रूपये 170.00 करोड़ रूपये का बजट आबंटित किया गया है ।

कृषकों की वित्तीय आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए, केंद्रीय सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंको को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गमन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । केंद्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा वर्ष 2006–07 में 25250 किसान क्रेडिट कार्ड लक्ष्य के विरूद्ध 221382 किसान क्रेडिट कार्य जारी किये गये हैं और रू 600.08 करोड़ रूपये का ऋण वितरण किया गया था । जब की योजना प्रारम्भ से अब तक 1034082 किसान क्रेडिट कार्ड और रूपये 3036.37 करोड़ रूपये का अल्पावधी ऋण प्रदान किया गया है ।

इस वर्ष, सहकारी बैंकों में वैद्यनाथन कमेटि की अनुशंसाओं को लागु करने हेतु राज्य सरकार ने केन्द्र शासन तथा नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन स्वाक्षरित किया है ।

2–सूक्ष्म ऋण साख योजना

स्व–सहायता समूहों का बैंकों के साथ जोड़ने का कार्यक्रम

स्व–सहायता समूहों ग्रामीण निर्धन परिवार की महिलाओं को सामूहिक तरीके से समाजिक और आर्थिक स्तर पर अपने समस्याओं को पहचानना, अग्राधिकार देना और समस्याओं का समाधान करने में मदद कर रहा है । उक्त योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 31 मार्च 2007 तक 74398 स्व–सहायता समूह बैंक में बचत खाता खुलें हैं और 41806 स्व–सहायता समूहों ने बैंक से रू 52.94 करोड़ की ऋण उपलब्ध कियें है । स्व–सहायता समूहों को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता कार्यक्रम, क्षमता बनाने का कार्यक्रम सुग्राहीकरण बनाना कार्यक्रम आदि हेतु 502 कार्यक्रम की आयोजन किया है जिसके लिये नाबार्ड द्वारा 31 मार्च 2007 तक रू. 130.31 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी गई है ।

3—भारत सरकार की पूंजीगत विनियोजन योजनाएँ

(क) 31 मार्च 2007 तक ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत रू. 7692.61 लाख की लागत वाली 181 परियोजनाओं को मंजुरी दी गयी है एवं रू. 1774.947 करोड़ की अनुदान सहायता जारी की गयी है । इससे कुल 550797 में टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता निर्माण की गई है ।

(ख) 30 मार्च 2007 तक शीतगृह योजना के अंतर्गत रू. 4017.579 लाख की लागत वाले कुल 26 शीतगृह को स्वीकृति दी गयी एवं रू. 805.889 लाख की अनुदान सहायता जारी की गयी है । इससे कुल 147182 में टन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया गया है ।

(ग) 30 मार्च 2007 तक कृषि विपणन आधारित संरचना, श्रेणीकरण एवं मानकीकरण की योजना कुल रू. 1419.420 लागत वाली कुल 27 परियोजनाओं को मंजुरी दी गयी एवं रू. 180.413 लाख की अनुदान सहायता जारी की गई ।

(घ) 30 मार्च 2007 तक राष्ट्रीय जैविक खेती योजना के अंतर्गत कुल रू. 30.210 लाख लागत वाली कुल पाँच 5 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गयी एवं कुल रू. 7.50 लाख की अनुदान सहायता जारी की गई है ।

4—वाटर शेड डेवलपमेंट :— छत्तीसगढ़ जिले के छः जिले में 12 वाटर शेड प्रोजेक्ट हेतु शत प्रतिशत अनुदान सहायता दी गई हैं । इन वाटरशेड प्रोजेक्ट में 9800 हेक्टर क्षेत्र में मृदा एवं जल संधारण का कार्य किया जाएगा तथा 4000 से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे ।

:: विषय सूची ::

भाग–दो (सांख्यिकी तालिकाएँ)

1.	छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में	01–03
2.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर	04
3.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर 1993–94) भावों के आधार पर	05
4.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर–प्रतिशत वितरण	06
5.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (1993–94)भावों के आधार पर–प्रतिशत वितरण	07
6.	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर	08
7.	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों पर	09
8.	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	10
9.	प्रमुख फसलों का उत्पादन	11
10.	प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन	12
11.	सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र	13
12.	प्रमुख फसलों के घोषित समर्थन मूल्य	14
13.	भारत में थोक भाव के सूचकांक	15
14.	औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक –भिलाई केन्द्र	16
15.	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी, कोरबा का उत्पादन एवं मूल्य	17
16.	महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन एवं मूल्य	18
17.	महत्वपूर्ण खनिजों का औसत मूल्य	19
18.	सड़को की लम्बाई	20
19.	कुल पंजीकृत वाहन	21
20.	छत्तीसगढ़ प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन	22
21.	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	23
22.	प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियॉ	24
23.	प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की स्थिति	25
24.	छत्तीसगढ़ के समाजार्थिक संकेतांक	26–28

तालिका–1.1

छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में

मद	इकाई	वर्ष	छत्तीसगढ़
1	2	3	4
भौगोलिक क्षेत्रफल (ग्रामीण पत्रक अनुसार)	**वर्ग कि. मी.**		**137898**
प्रशासनिक संरचना			
जिला	संख्या	जून, 2007	18
तहसीलें	–,,–	–,,–	98
विकास खण्ड	–,,–	–,,–	146
आदिवासी विकास खण्ड	–,,–	–,,–	85
कुल ग्राम	–,,–	जनगणना 2001	20308
कुल जनसंख्या	हजार	–,,–	20834
पुरूष	–,,–	–,,–	10474
स्त्री	–,,–	–,,–	10360
ग्रामीण	–,,–	–,,–	16648
नगरीय	–,,–	–,,–	4186
अनुसूचित जाति	–,,–	–,,–	2419
अनुसूचित जनजाति	–,,–	–,,–	6617
जनसंख्या वृद्धि दर (1991–2001)	प्रतिशत	–,,–	18.06
जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि. मी.	–,,–	154
स्त्री–पुरूष अनुपात	प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियां	–,,–	989
प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद–त्वरित अनुमान)			
प्रचलित भावों पर	रूपये	2006–2007	25680
स्थिर (1999–2000) भावों पर	–,,–	–,,–	19233
कृषि वर्ष 2006–2007			
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	हजार हेक्टर	–,,–	4722
कुल बोया गया क्षेत्र	–,,–	–,,–	5732
शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	–,,–	–,,–	1282
कुल सिंचित क्षेत्रफल	–,,–	–,,–	1486
कृषि जोत (कृषि संगणना)			
कृषि जोतों की संख्या	लाख	2000–2001	32.55
कृषि जोतों का क्षेत्र	लाख हेक्टर	–,,–	5223
कृषि जोतों का औसत आकार	हेक्टर	–,,–	1.60

मद	इकाई	वर्ष	छत्तीसगढ़
1	2	3	4
कृषि उत्पादन (वास्तविक)			
अनाज	हजार मेट्रिक टन	2006–2007	5710
खाद्यान्न	–,,–	–,,–	6220
तिलहन	–,,–	–,,–	121
धान	–,,–	–,,–	5442
गेंहूं	–,,–	–,,–	94
मक्का	–,,–	–,,–	123
चना	–,,–	–,,–	193
तुअर	–,,–	–,,–	23
पशु संगणना 2003			
गौवंश पशु	हजार में	2003	8882
भैंस वंशीय पशु	–,,–	–,,–	1598
भेंड़/भेंड़ी	–,,–	–,,–	121
बकरा/बकरी	–,,–	–,,–	2336
सूवर	–,,–	–,,–	552
अन्य पशु	–,,–	–,,–	04
कुक्कूट	–,,–	–,,–	8181
विद्युत			
अधिष्ठापित उत्पाद क्षमता	मेगावाट	2006–2007	1423.85
उत्पादन	लाख किलो वाट घंटे	–,,–	9624
उपभोक्ताओं की संख्या	हजार	–,,–	2536
घरेलू विद्युत उपभोक्ता	–,,–	–,,–	2166
विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	–,,–	18830
विद्युतीकृत पंपसेट/नलकूपों की संख्या	हजार	–,,–	155.8
एक बत्ती कनेक्शन	–,,–	–,,–	868
मत्स्योत्पादन			
मछली उत्पादन	हजार मीटरिक टन	2006–2007	137.8
वन			
वनों का कुल क्षेत्रफल	वर्ग कि.मी. में	2006–2007	63552
आरक्षित वन	–,,–	–,,–	24452
संरक्षित वन	–,,–	–,,–	15409
अवर्गीकृत	–,,–	–,,–	5478
राजस्व वन	–,,–	–,,–	18213

परिवहन			
कुल सड़कों की लंबाई	हजार कि. मी.	मार्च, 2007	55.91
पंजीकृत वाहन	हजार	—,,—	1728
साक्षरता			
कुल	प्रतिशत	जनगणना, 2001	64.66
पुरूष	—,,—	—,,—	77.38
स्त्री	—,,—	—,,—	51.85
शैक्षणिक संस्थायें			
पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय	संख्या	सितम्बर, 2007	36212
माध्यमिक विद्यालय	—,,—	—,,—	14285
हाई स्कूल उ. मा. विद्यालय	—,,—	—,,—	1774
माध्यमिक (10+2) विद्यालय	—,,—	—,,—	1721
सामान्य शैक्षणिक महाविद्यालय	—,,—	—,,—	139
तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण संस्थाएं	—,,—	—,,—	121
विश्व विद्यालय	—,,—	—,,—	08
स्वास्थ्य सेवाएं			
जिला अस्पताल	—,,—	2006—2007	16
शहरी सिविल डिस्पेंसरी	—,,—	—,,—	17
सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र	—,,—	—,,—	134
प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र	—,,—	—,,—	708
उप स्वास्थ्य केंन्द्र	—,,—	—,,—	4994
नियोजन			
पंजीकृत बेरोजगार	हजार	2006—2007	48
जीवित पंजी पर दर्ज व्यक्ति	—,,—	—,,—	1052
नौकरी दिलाये गये व्यक्ति	संख्या	—,,—	164
प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
कार्यालय/शाखाऐं	संख्या	मार्च, 2007	1067
जमा राशि	करोड़	—,,—	24428
ऋण राशि	—,,—	—,,—	12948

तालिका क्रमांक 2.1

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर

क्र.	क्षेत्र	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06(P)	2006-07(Q)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	585178	418059	648257	537812	801161	691421	879724	985127
2	वन उद्योग	71224	77570	96069	95271	109602	119679	118200	149649
3	मत्स्य उद्योग	28912	35555	38894	41958	47808	52465	59822	72536
4	खनन तथा उत्खनन	341330	335443	338544	409135	408029	529754	430927	548743
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**1026644**	**866626**	**1121763**	**1084176**	**1366601**	**1393320**	**1488673**	**1756055**
5	**विनिर्माण**	**389384**	**387999**	**383463**	**505830**	**711234**	**1068129**	**1312454**	**1549558**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	302620	296168	291026	405305	594546	935958	1161156	1379499
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	86764	91831	92437	100525	116688	132171	151297	170058
6	निर्माण कार्य	103118	107271	123104	157552	184444	192173	217000	269168
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	149493	139222	117518	228826	208678	206974	200314	179245
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**641995**	**634492**	**624085**	**892208**	**1104356**	**1467275**	**1729768**	**1997970**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**157234**	**167160**	**178798**	**199884**	**232187**	**268586**	**301933**	**348665**
8.1	रेलवे	59444	58472	67884	71764	78501	87406	90050	96642
8.2	परिवहन	65902	75196	72219	89154	108037	130774	153110	184765
8.3	स्टोरेज	2303	3209	2878	2908	3257	2904	2755	3099
8.4	संचार	29584	30283	35817	36059	42392	47502	56017	64160
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	307610	279611	319067	339242	426486	509798	579618	751838
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**233301**	**253026**	**279683**	**310207**	**331786**	**342199**	**368494**	**400510**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	67633	74169	83318	100202	109377	106382	113620	124118
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	165668	178857	196365	210005	222409	235817	254874	276391
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**380675**	**407584**	**467623**	**461107**	**507211**	**568554**	**605641**	**677090**
11.1	लोक प्रशासन	101621	104897	190314	176335	148526	165301	194457	216112
11.2	अन्य सेवाएँ	279054	302687	277309	284772	358685	403253	411184	460978
स	**उप–योग**	**1078820**	**1107381**	**1245170**	**1310440**	**1497671**	**1689138**	**1855686**	**2178103**
	कुल योग (अ+ब+स) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)	**2747459**	**2608500**	**2991019**	**3286824**	**3968627**	**4549733**	**5074126**	**5932128**
	जनसंख्या (लाख में)	205	207	209	214	218	223	227	231
	प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)	13402	12601	14311	15359	18205	20402	22353	25680

(P)= प्रावधिक अनुमान (Q)= त्वरित अनुमान

श्रोत– आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका क्रमांक 2.2

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों के आधार पर

क्र.	क्षेत्र	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06(P)	2006-07(Q)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	585178	422076	634858	471436	706106	601845	708517	738893
2	वन उद्योग	71224	73723	83789	79638	87505	85533	80316	83236
3	मत्स्य उद्योग	28912	34736	35491	36945	41110	44449	48773	50995
4	खनन तथा उत्खनन	341330	363851	381858	412695	452012	518924	552193	604571
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**1026644**	**894386**	**1135996**	**1000714**	**1286734**	**1250751**	**1389799**	**1477695**
5	**विनिर्माण**	**389384**	**374994**	**367456**	**466585**	**575634**	**726956**	**830429**	**897309**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	302620	284495	277789	372865	474367	621352	716785	777084
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	86764	90499	89667	93720	101267	105604	113643	120225
6	निर्माण कार्य	103118	96547	138235	140833	153950	142168	160974	208099
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	149493	147708	120781	130434	116770	132868	135681	136149
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**641995**	**619249**	**626471**	**737852**	**846353**	**1001992**	**1127084**	**1241556**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**157234**	**168903**	**176361**	**196195**	**222516**	**248762**	**274940**	**306692**
8.1	रेलवे	59444	59980	66538	67902	72193	76232	82102	86683
8.2	परिवहन	65902	72879	68865	82114	95163	109556	123061	141919
8.3	स्टोरेज	2303	3069	2639	2626	2769	2359	2138	2306
8.4	संचार	29584	32975	38320	43552	52391	60615	67639	75784
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	307610	282540	318196	315189	378032	413352	468821	549465
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**233300**	**245926**	**255307**	**274226**	**282208**	**300166**	**317970**	**336585**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	67632	72665	75336	87084	87317	95571	103623	111364
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	165668	173261	179971	187142	194891	204595	214347	225221
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**380674**	**393726**	**437772**	**425337**	**446342**	**480112**	**492098**	**530910**
11.1	लोक प्रशासन	101621	100648	174739	159158	126789	134172	150728	161037
11.2	अन्य सेवाएँ	279053	293079	263033	266178	319553	345939	341371	369873
स	**उप–योग**	**1078818**	**1091096**	**1187636**	**1210946**	**1329098**	**1442392**	**1553830**	**1723652**
	कुल योग (अ+ब+स) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)	**2747457**	**2604731**	**2950103**	**2949513**	**3462186**	**3695135**	**4070712**	**4442904**
	जनसंख्या (लाख में)	205	207	209	214	218	223	227	231
	प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)	13402	12583	14115	13783	15882	16570	17933	19233

(P)= प्रावधिक अनुमान (Q)= त्वरित अनुमान

श्रोत– आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका क्रमांक 2.3

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर

क्र.	क्षेत्र	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06(P)	2006-07(Q)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	537944	388004	606040	496520	757881	640525	822724	924141
2	वन उद्योग	69294	76038	94801	93944	108171	116417	116833	145309
3	मत्स्य उद्योग	26202	33801	33946	37363	42094	47740	54811	66460
4	खनन तथा उत्खनन	269990	268196	264554	341539	339666	451070	361480	460309
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**903430**	**766038**	**999340**	**969366**	**1247813**	**1255753**	**1355848**	**1596219**
5	**विनिर्माण**	**278456**	**261968**	**242632**	**353437**	**541751**	**869852**	**1079171**	**1274045**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	202848	182788	164139	268279	442961	759456	953429	1132712
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	75608	79180	78493	85158	98790	110396	125741	141333
6	निर्माण कार्य	100122	103496	118766	151901	178130	185101	208808	259007
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	87712	77416	59488	124377	111534	101401	86164	77101
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**466290**	**442880**	**420886**	**629715**	**831415**	**1156353**	**1374143**	**1610152**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**132084**	**141878**	**150131**	**169007**	**196963**	**228068**	**256303**	**297405**
8.1	रेलवे	45607	44389	53203	57031	61047	65997	66768	71655
8.2	परिवहन	61480	70269	65562	81229	99063	121970	142121	171499
8.3	स्टोरेज	2244	3145	2821	2857	3196	2842	2685	3021
8.4	संचार	22752	24075	28545	27891	33657	37259	44728	51230
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	304824	276524	315783	336110	422775	505157	574621	745356
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**212586**	**228684**	**249873**	**275741**	**291842**	**294194**	**313789**	**341155**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	65671	71725	80699	97329	106261	102892	109730	119869
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	146915	156959	169174	178412	185581	191302	204059	221286
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**360277**	**386392**	**430874**	**432006**	**474872**	**532557**	**564680**	**631483**
11.1	लोक प्रशासन	84580	87715	157843	152476	122107	136244	162157	180215
11.2	अन्य सेवाएँ	275697	298677	273031	279530	352765	396313	402523	451269
स	**उप–योग**	**1009771**	**1033478**	**1146660**	**1212864**	**1386453**	**1559977**	**1709393**	**2015399**
	कुल योग (अ+ब+स) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)	**2379491**	**2242397**	**2566887**	**2811945**	**3465680**	**3972083**	**4439383**	**5221770**
	जनसंख्या (लाख में)	205	207	209	214	218	223	227	231
	प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)	11607	10833	12282	13140	15898	17812	19557	22605

(P)= प्रावधिक अनुमान (Q)= त्वरित अनुमान

श्रोत– आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका क्रमांक 2.4

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों के आधार पर

क्र.	क्षेत्र	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06(P)	2006-07(Q)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	537944	392504	595000	433658	667813	560893	665179	693998
2	वन उद्योग	69294	72210	82593	78423	86232	84305	77637	80459
3	मत्स्य उद्योग	26202	33051	31012	32787	36085	40223	44303	46321
4	खनन तथा उत्खनन	269990	298852	314128	352618	391413	441799	491119	537704
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**903430**	**796617**	**1022733**	**897486**	**1181544**	**1127220**	**1278238**	**1358482**
5	**विनिर्माण**	**278456**	**255367**	**240050**	**330865**	**429336**	**567109**	**652168**	**704525**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	202848	176964	162961	250651	342929	477991	556568	603389
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	75608	78403	77089	80214	86407	89118	95599	101136
6	निर्माण कार्य	100122	92969	134297	135759	148396	136329	154529	199767
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	87712	94692	27884	46843	32705	45308	49961	50133
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**466290**	**443028**	**402230**	**513467**	**610436**	**748746**	**856658**	**954425**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**132084**	**144471**	**149487**	**168093**	**193010**	**218957**	**243041**	**271573**
8.1	रेलवे	45607	46315	52509	54331	58366	62150	67713	71491
8.2	परिवहन	61480	68211	62742	74890	87051	102007	114016	131474
8.3	स्टोरेज	2244	3008	2588	2582	2718	2311	2087	2251
8.4	संचार	22752	26937	31649	36289	44875	52489	59225	66357
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	304824	279618	315218	312384	374838	409644	465036	545029
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**212586**	**223804**	**229859**	**245665**	**250331**	**265498**	**279065**	**295635**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	65671	71606	74168	85904	86066	94236	100666	108186
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	146915	152198	155691	159761	164265	171262	178399	187450
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**360276**	**373129**	**403787**	**399221**	**418279**	**451234**	**461021**	**497254**
11.1	लोक प्रशासन	84580	83890	144651	137713	103753	110713	126026	134288
11.2	अन्य सेवाएँ	275696	289240	259136	261507	314526	340520	334996	362966
स	**उप–योग**	**1009770**	**1021023**	**1098351**	**1125362**	**1236458**	**1345333**	**1448164**	**1609491**
	कुल योग (अ+ब+स) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)	**2379490**	**2260668**	**2523314**	**2536316**	**3028439**	**3221299**	**3583059**	**3922398**
	जनसंख्या (लाख में)	205	207	209	214	218	223	227	231
	प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)	11607	10921	12073	11852	13892	14445	15784	16980

(P)= प्रावधिक अनुमान (Q)= त्वरित अनुमान

श्रोत– आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –2.5

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भावों के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र $	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2000-01	-15.59	-1.17	2.65	-5.06
2	2001-02	29.44	-1.64	12.44	14.66
3	2002-03	-3.35	42.96	5.24	9.89
4	2003-04	26.05	23.78	14.29	20.74
5	2004-05	1.96	32.86	12.78	14.64
6	2005-06(p)	6.84	17.89	9.86	11.53
	2006-07(Q)	17.96	15.51	17.37	16.91

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

$ = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान

स्त्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –2.6

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि स्थिर भावों(1999–2000) के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र $	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2000-01	-12.88	-3.54	1.14	-5.19
2	2001-02	27.01	1.17	8.85	13.26
3	2002-03	-11.91	17.78	1.96	-0.02
4	2003-04	28.58	14.70	9.76	17.38
5	2004-05	-2.80	18.39	8.52	6.73
6	2005-06(P)	11.12	12.48	7.73	10.16
	2006-07(Q)	6.32	10.16	10.93	9.14

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

$ = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान

स्त्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –3.1

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र

(हजार हेक्टर में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र					
		2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0	**अनाज**						
1.1	धान	3734.6	3777.7	3718.3	3843.8	3854.3	3905.3
1.2	गेहूँ	96.8	92.8	102.9	106.1	97.1	93.2
1.3	ज्वार	7.1	9.3	7.8	8.4	8.5	6.0
1.4	मक्का	95.2	94.0	104.9	97.9	101.5	100.1
1.5	कोदो–कुटकी	208.9	212.9	206.6	194.2	177.7	161.1
1.6	जौ	5.0	4.0	4.1	4.5	3.6	3.5
1.7	छोटे अनाज	55.1	30.7	20.3	45.9	50.3	49.1
2.0	**दालें**						
2.1	चना	157.3	175.6	189.7	233.3	242.6	231.4
2.2	तुअर	52.5	55.7	60.6	52.5	50.7	53.8
2.3	उड़द	124.0	113.1	122.2	119.5	117.5	114.5
2.4	मूग–मोठ	15.5	16.4	18.5	16.3	17.1	16.6
2.5	कुल्थी	66.4	57.5	59.7	55.4	53.8	52.8
2.6	लाख (तिवड़ा)	372.4	330.1	383.7	449.4	458.0	425.4
3.0	**गन्ना**	4.0	4.00	10.8	12.3	14.5	19.2
4.0	**तिलहन**						
4.1	मूँगफली	26.6	34.3	30.4	34.1	32.8	33.1
4.2	रामतिल	76.0	72.00	70.8	73.1	72.7	72.8
4.3	तिल	24.2	24.8	25.5	24.3	24.9	21.3
4.4	सोयाबीन	14.7	15.2	19.4	32.3	46.7	64.5
4.5	अलसी	93.1	67.6	86.0	71.1	70.8	64.6
4.6	राई सरसों	60.0	47.5	56.3	54.5	57.1	54.5

स्त्रोत– आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

तालिका –3.2

प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार मे.टन में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों का उत्पादन					
		2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0	**अनाज**						
1.1	धान (चावल)	5132.6	2634.9	5567.6	4383.3	5297.5	5441.5
1.2	गेहूँ	99.1	98.5	108.6	82.4	85.1	94.0
1.3	ज्वार	6.8	6.9	7.6	4.4	5.8	5.2
1.4	मक्का	70.9	122.6	135.0	138.0	109.5	123.5
1.5	कोदो–कुटकी	48.9	29.4	50.9	38.6	29.3	30.0
1.6	जौ	3.8	3.1	4.3	3.2	2.9	2.8
1.7	छोटे अनाज	17.1	7.2	5.6	11.6	13.1	6.9
2.0	**दालें**						
2.1	चना	112.3	113.1	197.3	114.1	172.2	193.5
2.2	तुअर	19.6	24.1	31.5	30.8	22.4	22.9
2.3	उड़द	37.6	29.4	35.1	32.8	33.8	34.5
2.4	मूँगमोठ	4.4	4.0	4.8	4.1	4.3	4.3
2.5	कुल्थी	22.2	13.8	18.4	16.4	17.5	16.6
2.6	लाख (तिवड़ा)	214.9	170.3	278.8	158.1	208.2	225.2
3.0	**गन्ना**	10.2	10.00	13.3	15.6	19.0	20.3
4.0	**तिलहन**						
4.1	मूँगफली	35.5	38.1	40.2	32.3	35.5	37.7
4.2	रामतिल	14.6	11.5	13.1	11.9	12.2	12.8
4.3	तिल	5.9	6.4	7.1	6.9	7.2	6.4
4.4	सोयाबीन	11.9	8.3	18.4	33.8	41.8	64.2
4.5	अलसी	27.0	19.7	23.1	16.5	17.4	16.2
4.6	राई सरसों	22.1	15.6	22.8	21.4	18.1	21.8

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

तालिका –3.3

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

(किलो ग्राम प्रति हेक्टर)

वर्ष	चावल	गेहूँ	ज्वार	मक्का	चना	तुअर	सोयावीन	कपास	गन्ना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1998-1999	1006	1174	1072	1270	625	1037	603	275	2668
1999-2000	1337	1205	844	1548	642	1086	832	249	3000
2000-2001	988	1022	665	1346	515	429	547	106	2601
2001-2002	2160	1024	965	745	714	374	810	121	2514
2002-2003	683	1106	740	1305	644	433	550	142	2484
2003-2004	1531	1066	1001	1370	964	603	882	336	2582
2004-2005	1232	889	667	1430	542	510	1017	284	2472
2005-2006	1367	876	682	1078	710	441	895	158	2310
2006-2007	1425	1044	873	1225	843	426	998	-	-

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ़

तालिका –3.4

सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र

(हेक्टर में)

क्र	वर्ष	नहरे	तालाब	कुएँ	नलकूप सहित अन्य साधन	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	1998–1999	752933	62787	44175	185575	1045470
2	1999–2000	802137	60085	40236	175981	1078439
3	2000–2001	677930	54663	39308	212261	984162
4	2001–2002	834737	54944	38955	222645	1151281
5	2002–2003	743395	56708	47045	287429	1134577
6	2003–2004	768757	49707	35611	236410	1090487
7	2004–2005	859987	58032	38952	281099	1208070
8	2005–2006	876039	52611	113516	206124	1248290
9	2006–2007	887577	52089	34853	307766	1282285

स्त्रोतः– आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

तालिका –4.1

प्रमुख फसलों के घोषित समर्थन मूल्य

(रूपये प्रति क्विंटल)

फसल / किस्म		विपणन वर्ष				
	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
1	2	4	5	6	7	8
धान–सामान्य	530	550	560	560	580+40	645+100
धान– ग्रेड–ए	560	580	590	570	610+40	675+100
ज्वार, बाजरा आदि	485	505	515	525	540	600
मक्का	485	505	525	540	540	600
गेंहूँ	620	*	5630	640	650	1000
चना	1220	*	1400	*	1435	1600
मूंगफली	1355	1400	1500	1520	1520	1550+40
तुअर	1320	1360	1390	1400	1410	1700+40
उड़द	1330	1370	.1410	1520	1520	1700+40
मूंग	1330	1370	1410	1520	1520	1700+40
सूर्यमुखी	1195	1250	1340	1500	1500	1510
राई एवं सरसों	1330	*	1600	*	1715	1800
सोयाबीन	795	840		-	900	910
काली / पीली	885	930		-	1020	1050

* –अनिर्धारित

रबी फसलें – गेहूँ, चना एवं राई व सरसों ।

खरीफ फसलें– धान, ज्वार, बाजरा व मक्का, तुअर, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी ।

विपणन वर्ष– गेंहूँ, चना, राई व सरसों (अप्रैल–मार्च), अन्य फसलें (अक्टूबर से सितंबर) ।

स्त्रोत – संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, छत्तीसगढ़

तालिका –4.2

भारत में थोक भाव के सूचकांक

(1993-94=100)

वर्ष / माह	खाद्य पदार्थ	विनिर्मित उत्पाद	समस्त वस्तुयें
1	2	3	4
1998-1999	159.4	133.6	140.7
1999-2000	165.5	137.2	145.3
2000-2001	167.9	144.2	159.2
2001-2002	176.6	144.2	161.8
2002-2003	178.1	151.5	172.3
2003-2004	181.4	156.7	175.9
2004-2005	186.3	166.3	187.3
2005-2006	195.3	171.5	195.6
2006-2007	210.6	179.0	206.2
मई, 2007	220.3	184.9	212.3
जून, 2007	221.0	184.9	212.5
जुलाई, 2007	221.8	185.7	213.4
अगस्त, 2007			

स्त्रोत –भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई,

तालिका–4.3

औद्योगिक कामगारों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक– भिलाई केन्द्र

(1982=100)

वर्ष	भिलाई		अखिल भारत	
	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य
1	2	3	4	5
1999	390	373	444	424
2000	390	390	452	441
2001	409	407	462	458
2002	403	413	474	477
2003	417	439	490	496
2004	438	459	504	514
2005	440	480	520	536
2006	480	484	526	539
2007	123	121	122	123
अप्रेल. 07	131	125	130	128
मई, 07	134	128	131	129
जून, 07	136	129	133	130
जुल्राइ 07	141	137	136	132
अगस्त, 07	140	136	137	133
सितम्बर, 07	140	136	137	133

मार्च .... 07 (2001=100)

स्त्रोत : लेबर ब्यूरो, श्रम मंत्रालय भारत सरकार, शिमला ।

तालिका –5.1

भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा

का उत्पादन एवं मूल्य

(उत्पादन मेट्रिक टन में) (मूल्य लाख रूपयों में)

वर्ष	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी, कोरबा, का उत्पादन एवं मूल्य								
	इनगोटस्		प्रापजी रॉडस्		एक्सटूजन		रोल्ड उत्पाद		योग
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000-2001	7361	5806	36621	30337	6283	6276	36267	34398	76817
2001-2002	20805	17382	23433	21443	567	702	25305	28843	68372
2002-2003	20490	12922	47490	29947	-	-	27510	18272	61141
2003-2004	13149	11834	48243	44865	-	-	35696	35696	92395
2004-2005	6342	5707	34551	32132	-	-	31803	31803	69642
2005-2006	46462	47251	63302	64525			50391	58456	170232
2006-2007	64222	111072	40137	51062			30508	41607	203741
2007-2008*	18448	24983	7294	11226			5757	9336	45545

***- अक्टूबर 2007तक की जानकारी**

स्त्रोत–भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा छत्तीसगढ़ ।

तालिका –5.2

महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(हजार मेट्रिक टन में)

खनिज	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
कोयला	50,226	53,677	56758	61505	69250	76358	83245
बाक्साइट	557	556	611	888	1111	1349	1593
लौह अयस्क	20,016	18,660	19781	23361	23118	24750	28811
डोलोमाइट	695	855	918	1005	1043	1078	1093
चूना पत्थर	13,954	13,149	13626	13833	14855	14826	15011
टिनसान्द्र(कि.ग्रा)	12,979	13,887	10630	13342	23503	98736	103338

तालिका –5.3

महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य

(लाख रू. में)

खनिज	**2000-01**	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**
कोयला	3,00,026	286880	355239	334587	374642	409102	501774
बाक्साइट	2,529	1445	4188	2746	2900	5962	4392
लौह अयस्क	49,042	63231	69834	84162	102182	148618	173672
डोलोमाइट	1,816	2320	2351	2432	2329	2468	2500
चूना पत्थर	18,495	17022	15145	15492	170190	18385	22785
टिनसान्द्र (कि.ग्रा)	10	11	08	13	35	149	188

स्त्रोत – भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

तालिका–5.4

महत्वपूर्ण खनिजों का प्रति टन औसत मूल्य

(रूपयों में)

वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
कोयला	597	534	519	544	541	536	556
बाक्साइट	454	260	684	312	442	447	448
लौह अयस्क	245	339	343	360	442	451	478
डोलोमाइट	261	271	253	242	217	217	228
चूना पत्थर	133	129	123	112	106	107	115
टिनसान्द्र (कि.ग्राम)	77	79	85	100	150	146	148

स्त्रोत – भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –6.1

सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर में)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्यीय राजमार्ग	प्रमुख जिला मार्ग	अन्य जिला ग्रामीण मार्ग	कुल सड़कों की लम्बाई
1	2	3	4	5	6
2000-2001	1,827	2,197	3,532	27,526	35,082
2001-2002	1,827	3,611	2,118	27,526	35,082
2002-2003	1,827	3,611	2,118	28,768	36,324
2003-2004	2225	3213	2118	28768	36324
2004-2005	2225	3213	4814	24678	34930
2005-2006	2225	3213	4817	24756	35728
2006-2007 (प्रा.)	2228	3213	4818	25811	36066

(प्रा.) – प्रावधिक

स्त्रोत – मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़

तालिका –6.2

कुल पंजीकृत वाहन

(हजार में)

वर्ष (31 मार्च,)	कार एवं जीप	टेक्सीकेब / थ्री–व्हीलर	यात्री वाहन (बस)	माल वाहन (ट्रक)	द्विपहिया वाहन	अन्य (टेक्टर ट्रोली सहित)	कुल पंजीकृत वाहन
1	2	3	4	5	6	7	8
1998	28	6	9	31	526	44	644
1999	29	7	10	32	585	50	713
2000	31	7	12	35	643	53	781
2001	34	8	14	36	707	58	857
2002	38	10	15	39	793	65	960
2003	42	11	17	52	881	75	1078
2004	50	11	19	57	991	85	1215
2005	59	13	23	66	1117	97	1375
2006	68	14	24	73	1247	111	1540

स्त्रोत : परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़

तालिका 7.1

छत्तीसगढ़ प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन

नियोजन क्षेत्र (31 मार्च की स्थिति)

गणना वर्ष	शासकीय विभाग (नियमित)	नगरीय स्थानीय निकाय	ग्रामीण स्थानीय निकाय	विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास एवं विशेष क्षेत्र	विश्व विद्यालय	**योग**
1	2	3	4	5	6	7
1999	177988	14102	23535	468	1300	217393
2000	177890	13107	23864	396	1288	216545
2001	182352	12913	24181	399	2092	221937
2002	174273	12871	25795	395	2323	215657
2003	174423	14514	31083	184	2228	222432
2004	175124	15472	35122	14	2536	228268
2005	174453	12552	38500	426	2296	228227
2006	175347	13358	47380	557	2439	239080
*2007	178165	13779	59400	363 रु	2940	254647

* – प्रावधिक

- वर्ष 2004 में रायपुर विकास प्राधिकरण का विलय नगर निगम रायपुर में हो गया था । पुनः 2005 में रायपुर पुनः विकास प्राधिकरण अलग हो गया है ।

#- बिलासपुर विकास प्राधिकरण का विलय नगर निगम बिलासपुर में हो गया है ।

स्त्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकी, संचालनालय छत्तीसगढ़

तालिका–8.1

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक

(राशि लाख रू.)

विवरण	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007
1	3	4	5	6	7
बैक संख्या	07	06	06	06	06
शाखाएँ	211	198	198	198	198
सदस्य (हजार)	23	21	52	55.5	18440
अंश पूँजी(1) कुल	3691.26	4783.28	5201.10	5993.42	9968.17
(2) शासकीय	639.51	508.16	505.24	467.29	3333.13
अमानतें	120615.65	129337.53	141025.46	149694.46	159766.10
कार्यशील पूँजी	159497.56	150966.90	172365.20	184035.17	209180.69
ऋण वितरण (अ) कुल	40140.30	43925.34	55018.24	57854.84	83330.61
(ब) अल्पकालीन	30805.85	40577.96	49549.52	52186.33	62249.42
(स) मध्यकालीन	2896.33	2086.58	4742.61	5185.69	2743.62
ऋण बकाया					
(अ) कुल	76134.43	58089.43	66972.52	17608.13	81189.96
(ब) अल्पकालीन	21085.65	30906.86	39570.63	44941.20	62325.84
(स) मध्यकालीन	35205.13	24515.18	24903.04	24387.52	17958.62
कालातीत ऋण	13849.29	29290.31	29050.22	31605.24	41939.18
लाभ(अ) बैंक संख्या	01	01	06	06	05
(ब) राशि	655.17	9.17	775.58	1711.34	2827.01
हानि (अ) बैंक संख्या	06	05	–	–	01
(ब) राशि	2007.30	1948.92	–	–	707.35

स्त्रोत–आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़

टीप: जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित रायगढ़ बन्द होने के कारण बैंक की संख्या आलोच्य वर्ष में 06 हेा गई है ।

तालिका–8.2

प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियॉ

विवरण	इकाई	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5	6	7
समितियाँ	संख्या	1333	1333	1333	1333	1333
सदस्य संख्या	हजार	1903	19.18	19.32	19.64	2099
अनुसूचित जाति	–,,–	327	302	296	303	301
अनुसूचित जन जाति	–,,–	620	592	549	613	638
कुल ऋणी सदस्य	–,,–	1011	1021	1081	1126	1240
अनुसूचित जाति	–,,–	178	167	116	164	173
अनुसूचित जन जाति	–,,–	328	277	365	327	320
कुल अंशपूंजी	लाख रू.	7790.00	8205.66	8313.42	8671.06	26224.85
कुल ऋण वितरण	–,,–	34484	27381	49941	87082	50397.13
(अ) अल्पकालीन	–,,–	26498	25403	42037	33899	45114.91
(ब) मध्यमकालीन	–,,–	7985	1978	3904	1615	5282.22
कुल ऋण बकाया	–,,–	38366	43250	6770	52745	53968.97
(अ) अल्पकालीन	–,,–	20335	24434	42915	29027	31237.37
(ब) मध्यमकालीन	–,,–	16179	18816	23614	18431	22631.60
कालातीत ऋण	–,,–	17188	25122	25113	26883	24813.94

तालिका–9.1
प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की स्थिति

(राशि करोड़ रूपयों में)

वर्षान्त (अंतिम शुक्रवार की स्थिति)	प्रतिवेदक बैंक शाखायें	जमाराशि	ऋण राशि	ऋण–जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1998-1999	1,046	5,602	2,070	36.95
1999-2000	1,045	6,116	2,379	38.91
2000-2001	1,042	7,458	2,966	39.77
2001-2002	1,036	9,605	4,219	43.93
2002-2003	1039	11443	4474	39.10
2003-2004	1319	15454	9101	58.89
2004-2005	1331	17615	11269	64.01
2005-2006	1334	22053	12684	57.52
2006-2007	1067	24428	12949	53.00
2007-2008	1067	25500	12380	48.55

तालिका –10.1
छत्तीसगढ़ के समाजार्थिक विकास संकेतक

मद	इकाई	छत्तीसगढ़
1	2	3
जनगणना, 2001		
जनसंख्या का घनत्व	प्रतिवर्ग कि. मी.	154
स्त्री–पुरूष अनुपात	प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियां	989
जनसंख्या वृद्धि दर (1991–2001)	प्रतिशत	18.06
कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या	–,,–	79.90
कुल जनसंख्या में मुख्य कार्यशील जनसंख्या	–,,–	46.46
कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या में महिला कार्यशील जनसंख्या	–,,–	40.04
जनगणना, 2001		
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या	–,,–	11.61
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या	–,,–	31.76
प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद–त्वरित अनुमान) वर्ष 2006.2007		
प्रचलित भावों पर	रूपये	
स्थिर (1999–2000) भावों पर	–,,–	
कृषि एवं सिंचाई 2006.2007		
खाद्यान्न फसलों की प्रति हेक्टर औसत पैदावार	किलोग्राम	167.11
कृषि गहनता	प्रतिशत	121
कुल बोये गये क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्र	प्रतिशत	82.38
शुद्ध बोये गये क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र	–,,–	31.78
प्रति हेक्टेयर फसली क्षेत्रफल पर उर्वरक का उपयोग	किलोग्राम	60

मद	इकाई	छत्तीसगढ़
1	2	3
वन		
भौगोलिक क्षेत्र से वनों का प्रतिशत	प्रतिशत	46.08
विद्युत 2006–2007		
प्रति उपभोक्ता विद्युत उपभोग	कि. वा. घंटे	1143
कुल ग्रामों में विद्युतीकृत ग्राम (2001 जनगणना के अनुसार)	प्रतिशत	95.37
परिवहन एवं संचार वर्ष 2006.2007		
प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कुल सड़कों की लम्बाई	किलोमीटर	36.06
प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पक्की सड़कों की लम्बाई	–,,–	25.8
प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत वाहन	संख्या	76.46
प्रति डाकघर द्वारा सेवित जनसंख्या	–,,–	6668
प्रति हजार जनसंख्या पर दूरभाष	–,,–	39
साक्षरता जनगणना, 2001		
व्यक्ति	प्रतिशत	64.66
पुरूष	–,,–	77.38
स्त्री	–,,–	51.85
ग्रामीण साक्षरता जनगणना, 2001		
पुरूष	–,,–	74.09

मद	इकाई	छत्तीसगढ़
1	2	3
स्त्री	—,,—	46.99
शैक्षणिक संस्थाओं में कुल विद्यार्थियों पर छात्राएं, सितम्बर, 2007		
पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक	प्रतिशत	47.78
माध्यमिक	—,,—	44.67
उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर	प्रतिशत	41.00
प्रति लाख जनसंख्या पर शासकीय एलोपैथिक औषधालयों एवं चिकित्सालयों की संख्या	संख्या	28
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, मार्च, 2007		
प्रति बैंक/शाखा सेवित क्षेत्रफल	वर्ग कि. मी.	77
प्रति व्यक्ति जमा राशि	रूपये	11725
प्रति व्यक्ति ऋण राशि	रूपये	6214
ऋण/जमा अनुपात	प्रतिशत	53.00